खण्ड-159, अंक-1
गुरूवार, 21 आश्विन, शक संवत् 1877
(13 अक्टूबर, 1955 ई0)

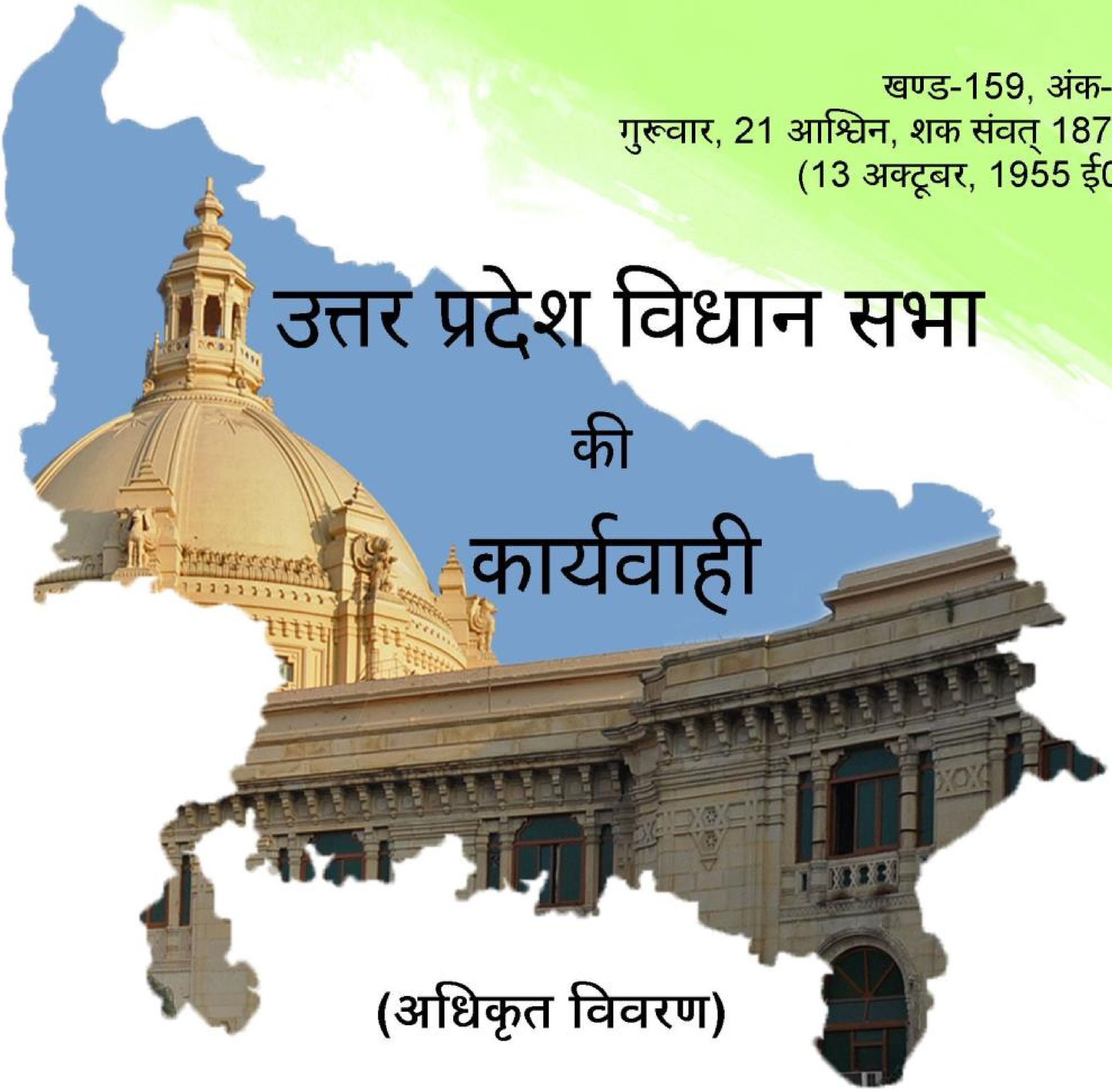

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बृहस्पतिवार, १३ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

### उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार , श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छदालाल, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राय, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधरमिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़्फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## बृहस्पतिवार, १३ अक्तूबर, १९५५

## तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

### गोवध-निषेध-सत्याग्रह के सम्बन्ध में पूछताछ

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गो संबर्धन समिति की रिपोर्ट के आधार पर उसका गोबध पर प्रतिबन्ध लगाने का इरादा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस सम्बन्ध में सरकारी निश्चय को प्रकाशित हुए कई महीने हो गये ।

*५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गो-वध रोकने के सिलसिले में अब तक प्रदेश में कितने सत्याग्रही जेल जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गो-वध रोको आन्दोलन के सम्बन्ध में कुल ४४८ व्यक्तियों को जेल भेजा गया था ।

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार का इरादा उन सत्याग्रहियों को मुक्त कर देने का है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सत्याग्रहियों को मुक्त हुए बहुत दिन हो गये ।

### देवरिया जेल में दुर्व्यवस्था

*७—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जेल से गत अप्रैल माह से अब तक कितने बन्दी या हवालाती भाग चुके हैं ?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—केवल दो बन्दी ।

आर्य प्रतिनिधि सभा

*८—श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि देवरिया के कुछ मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने इस जेल की दुर्व्यवस्था के बारे में सरकार को कोई सूचना दी थी ? यदि हां, तो इस पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो भागे हुये बन्दी कब-कब भागे, और वे किस दफा के कैदी थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—ये दोनों एक ही तारीख को भागे थे। और एक को ६ वर्ष की सजा थी और दूसरे को ७ वर्ष की ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन दोनों बन्दियों के भागने में कितना अन्तर था, क्या एक ही दिन भागे थे या २–४ दिन के अन्दर में भागे ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो जबाव दिया गया है ।

श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि इन बन्दियों के भागने के बाद भी अब तक कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही जेल में नहीं हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा तो नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि ये कैदी किस तरह से भाग गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—जंगला काटने के बाद भागे ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि ये दोनों भागे हुये बन्दी कनविक्ट थे या अभियुक्त थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो मैं अभी बता चुका हूं कि दोनों सजा पाये हुये थे ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन बन्दियों के भागने में कौन-कौन से कर्मचारी कसूरवार पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त वे कैदी जंगले को काट कर भागे उस समय जेल अधिकारियों की ओर से कोई पहरेदार वहां नियुक्त था ?

श्री मुजफ्फर हसन—पहरेदार अगर वहां पर मौजूद होता तो वे भाग ही नहीं सकते थे।

## राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक कितने राजनीतिक पीड़ितों को सरकार पेन्शन देती है ?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—११४१ को।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई के अन्त तक उसके पास कितने राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन तथा आर्थिक सहायता के लिये आवेदन-पत्र आ चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—लगभग १०,००० ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी आज कल की मंहगाई को देखते हुये हर एक राजनीतिक पीड़ित को कम से कम ३० रुपये मासिक पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोशिश तो यही होती है और ऐसे बहुत कम केसेज हैं जिनमें ३० रुपये से कम पेन्शन दी जाती है, और जहां ३० रुपये से कम दी जाती है उसको बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये राजनीतिक पीड़ितों की दरख्वास्तें सरकार के पास आयी हैं उन पर कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ये दरख्वास्तें तो आ रही हैं और आती भी रहेंगी । जैसे जैसे आती जायंगी उन पर फैसला होता जायगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह नया विभाग खुला है तब से अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन के हुक्म जारी हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो पहले सवाल के उत्तर में जवाब दिया जा चुका है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन राजनैतिक पीड़ितों को किस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ को मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है और कुछ को एक मुश्त दी जाती है ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मद में वार्षिक व्यय कितना होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय मासिक व्यय २८,०८५ रुपया हो रहा है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार के राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन में ८-१० दफा बयान हो चुका है । यदि आप कहें तो सारे के सारे फिर से बयान कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो नहीं कहूंगा, इतना ही काफी है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रार्थनापत्र आये हैं इनका फैसला कब तक सरकार करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है ।

श्री झारखंडेराय—जो दरख्वास्तें आई हैं अब तक, उन पर क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता, इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दस हजार दरख्वास्तें आई हैं उनमें से ११०० लोगों को पेंशन दी गई है या और पहले के लोग भी कुछ इनमें शामिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रायः सब नई दरख्वास्तें हैं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी अवस्था ६० वर्ष से ऊपर है उनके आवेदन पत्र पर भी विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो ऐसा किया है कि जिनकी उम्र ५० से ऊपर है उन पर विचार कर रहे हैं, उनमें ६० वर्ष से ऊपर के भी आ जाते हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई के नाती को ५० रुपये माहवार पेंशन मिलती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अभी हाल में इसका पता लगा है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके तथा अन्य राजाओं की पेन्शन को देखते हुये उनके मामले में फिर से विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके संबंध में विचार कर रहे हैं, लेकिन अन्य राजाओं से कोई संबंध नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश निकाले हैं कि जिस जिले के सारे एम० एल० एज० एक मत से प्रार्थना पत्र पर सिफारिश करें तो उसको पेंशन तुरन्त दे दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसे कोई आदेश मेरी जानकारी में तो नहीं निकले है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि इन राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों का निर्णय करने के लिये कोई समिति नियुक्त कर रखी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी षडयंत्र के राजनैतिक बंदियों को भी राजनैतिक पीड़ित करार देने की कृपा करेगें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह तो माने ही जाते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन राजनैतिक पीड़ितों ने सहायता के लिये दरख्वास्त दी है उनमें से कितने राजनैतिक पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिये या कारोबार के लिये दरख्वास्त दी है ?

श्री अध्यक्ष—इससे उठता नहीं है ,इतने ब्योरे का सवाल नहीं होना चाहिये ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि यदि कोई राजनैतिक पीड़ित इस दुनिया में नहीं है तो उसके आश्रितों को राजनैतिक पेंशन देने के बारे में क्या आधार नियुक्त किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके आश्रितों को भी राजनैतिक पीड़ित माना जाता है और जो समुचित प्रबंध राजनैतिक पीड़ितों के लिये होता है वही उनके लिये भी किया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १० हजार दरख्वास्तें पड़ी हैं उनमें कितनी ऐसी हैं कि जो एक मुश्त सहायता की हैं और कितनी ऐसी हैं कि जो पेंशन के लिये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—दरख्वास्तें देखी जा रही हैं और जब सब देख ली जायंगी तभी कुछ कहा जा सकता है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १० हजार दरख्वास्तों के सिलसिले में जब विचार होगा तो हिन्सात्मक और अहिन्सात्मक मामलों में सजा पाये हुए राजनीतिक पीड़ितों में कोई अंतर किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह राजनैतिक पीड़ित जो अभी इन्वैलिड नहीं हुये हैं और उनका व्यवसाय पट हो चुका है, क्या उनको अपना व्यवसाय इस्टैब्लिश करने के लिये कर्ज के रूप में कुछ सहायता देने पर विचार किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कभी-कभी कुछ थोड़ी सी रकम यदि कोई छोटा मोटा व्यवसाय हो तो दी जा सकती है लेकिन प्रायः ऋण के रूप में देने की व्यवस्था नहीं है। इसके पहले कुछ लोगों को ऋण दिया गया था और अनेक कारणों से वह ऋण राजनीतिक पीड़ितों से वसूल नहीं हो सका। इसलिये उस पद्धति को प्रायः छोड़ दिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जो प्रार्थना पत्र अब नये आये हैं उनके लिये क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि हर एक जिले में १० राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाय २० रुपया मासिक के हिसाब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई निश्चित रूप से जवाब नहीं दिया जा सकता।

## इलाहाबाद जिले में कत्ल तथा चोरी की वारदातें

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९५४ से ३० जून, १९५५ तक इलाहाबाद नगर तथा जिले में कितने कत्ल तथा चोरियां हुईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—नगर में १५ कत्ल और १५८७ चोरियां और जिले में ८० कत्ल और २९३७ चोरियां हुई।

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी सन् १९५४ से ३० जून, ५५ तक कितने कत्ल तथा चोरी के मुकद्दमें चलाये गये और कितने मुकद्दमों के चलाने की सरकार ने इजाजत नहीं दीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—५७ कत्ल और ७७२ चोरी के मुकदमें चलाये गये। ऐसे मुकद्दमें चलाने के लिये सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होती।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नगर और जिले में ९५ कत्ल और ४५२४ स्थानों पर जो चोरियां हुईं इस डेढ़ वर्ष में, उसमें केवल ५७ कत्ल और २७२२ चोरियों के लिये मुकदमे चलाये गये, और बाकी ३८ कत्ल और १७५२ चोरियों पर जो मुकदमे नहीं चलाये गये उसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह आंकड़े आप कहां से बता रहे हैं ? जो आंकड़े मैंने दिये हैं उनमें तो कुछ ऐसा नहीं है।

*१३—श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)—[२० अक्तूबर ,१९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में थाना ईसानगर की इमारत दुरुस्त कराने का विचार

*१४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार ने पिछले वर्ष जिला खीरी के थाना ईसानगर की इमारत को दुरुस्त कराने का विचार किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार ने पिछले वर्ष इस सिलसिले में उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि इस थाने की बिल्डिग एक साल में ठीक करा दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी तो मेरे पास कोई इत्तला नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इस संबंध में विचार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको ठीक करा सकेंगे अगर हमारे इस बजट में वह आ गया।

*१५—श्री रंणजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[स्थगित किया गया।]

आगरा के ताजमहल में फीरोजपुर की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार

*१६—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हाल में आगरा के ताजमहल में फीरोजपुर की छात्राओं के साथ कुछ गुन्डों द्वारा दुर्व्यवहार हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, कुछ छात्रों द्वारा उन महिलाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया गया।

*१७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या इस प्रकार की घटना जब हो रही थी तब वहां विदेशी टूरिस्ट भी थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*१८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आगरा क ताजमहल में पुलिस की क्या व्यवस्था है ? क्या वे इस प्रकार की घटनायें पुनः घटित न हों, इसके लिये कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ताजमहल के लिये अलग से कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। सम्बन्धित थाने की पुलिस ही वहां करीब १० बजे रात तक रहती है। विशेष अवसरों पर वहां पुलिस बढ़ा दी जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस प्रकार की घटना वहां पर प्रायः होती रहती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पहले होती रहती थी उसके बाद सख्त कार्यवाही की गयी तो वह घटना बन्द हो गयीं। पिछली मर्तबा जब यह घटना हुई इसमें वहां टूरिस्ट आफिसर भी थे। उन्होंने पुलिस को इत्तिला नहीं की थी। बजाय पुलिस को इत्तिला करने के अलग से समाचार पत्रों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें कहीं। इसके बाद जब पुलिस ने चाहा कि उसका पता लगाया जाय तो उसमें पुलिस को उनसे सहयोग नहीं मिला।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार को विदित है कि इस घटना में जो छात्र कहे जाते हैं वे गुन्डे थे जो छात्रों के रूप में थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—छात्र ऐसी कार्यवाही करेगें तो वह भी गुन्डे ही कहलायेंगे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार ताजमहल के महत्व को देखते हुये वहां स्थायीरूप से पुलिस को रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो व्यवस्था पहले थी उस व्वस्था में यह कर दिया गया था कि बजाय १० बजे तक पुलिस के रहने के वह १२ बजे तक वहां पर रहे । इसके अलावा अगर कोई टूरिस्ट पार्टी वहां पर आवे और पुलिस को इत्तिला दे तो उसका विशेष प्रबन्ध कर दिया जाता है और पुलिस की संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर किसी भी टूरिस्ट पार्टी के आने की इत्तिला डी० एम० को मिलती है कि वह टरिस्ट पार्टी उस समय वहां पर देखने जायगी तो चाहे वह कोई भी पार्टी हो उसका उस समय वहां प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन जब कि वहां पर बहुत भीड़ होती है, उसके लिये अब क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—शरद पूर्णिमा के दिन हर साल काफी व्यवस्था की जाती है । इसलिये कई वर्षों से कोई घटना नहीं हुई है । इस साल जब माननीय सदस्य शरद पूर्णिमा को वहां जायेंगे तो वह शान्ति से देखेंगे तथा उनको कोई शिकायत नहीं मिलेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह घटना रात में हुई थी या दिन में ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह घटना रात्रि में हुई थी ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह किस कक्षा के छात्र थे ? और किस कालेज के थे, जिन्होंने इस घटना में भाग लिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस घटना से जो संबन्धित थे उनका कोई पता नहीं चल सका क्योंकि न तो उनको कोई पहचान सका और न वह कोई पता दे सके। लेकिन यही मालम होता है जो जांच घटना के बाद कराई गयी, कि वह सम्भवतः छात्र थे इसलिये कि कुछ छात्रों ने इसके पहले भी कुछ ऐसी हरकत की थी उनमें से करीब ७ छात्रों को पकड़ा गया था और उन पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जब उनको कोई पहचान नहीं सका तो माननीय मंत्री जी को यह खबर कैसे मिली कि वह छात्र थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पता तो विभाग द्वारा ही लगाया था । यदि पहचान लिये जाते तो मुकदमा चलाया जाता । पता लगने पर भी सबूत की आवश्यकता मुकदमा चलाने के लिये होती है इसको माननीय सदस्य बखूबी जानते हैं।

*१९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२० अक्तूबर ,१९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२०-२१—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[स्थगित किया गया ।]

*२३-२५—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

## कानपुर में कोर्ट इंस्पेक्टरों की तैनाती में अव्यवस्था

*२६—श्री हमीद खां (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—कानपुर में इस समय मजिस्ट्रेटों की अदालत में कितने कोर्ट इन्स्पेक्टर हैं ? और पिछले तीन सालों में कितने बदल चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय कानपुर में एक पब्लिक प्रासीक्यूटर और १३ असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं और पिछले तीन सालों में एक पब्लिक प्रासीक्यूटर और ६ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटरों का तबादला हो चुका है ।

*२७—श्री हमीद खां (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि नये कोर्ट इन्स्पेक्टर कानपुर में दो तीन वर्ष से अधिक काम नहीं करते और तजुर्बा हांसिल करने पर इस्तीफा देकर अपनी वकालत शुरू कर देते है, जिससे सरकारी काम ठीक नहीं चल पाता ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले ५ वर्षों में ९ असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटरों ने इस्तीफा दिया है। और उनमें से ६ ने इस्तीफा देने के बाद अपनी वकालत शुरू कर दी है ।

*२८—श्री हमीद खां (अनुपस्थित)—यदि यह सही है, तो इसको रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इन पब्लिक प्रासीक्यूटर्स की नियुक्ति के समय उनसे ५ वर्ष के लिये बान्ड लिखाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इस बात का सरकार को दुख है कि लोग नियुक्ति के समय फायदा उठाकर बाद में छोड़ देते हैं। इसलिये कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाना ही पड़ेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या इस प्रकार के प्रासीक्यूटिंग अफसरों के इस्तीफ़ा देकर चले जाने का कारण यह नहीं है कि उनका कन्फ़र्मेशन नहीं हुआ करता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये विधान और कायदों का हर पब्लिक प्रासीक्यूटर को पता होता है । यदि वे उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं तो उन्हें उस नौकरी में नहीं आना चाहिये ।

श्री रामदुलारे मिश्र—जो बतलाया गया है कि विचाराधीन है उस निर्णय के कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा ।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या कोर्ट इन्स्पेक्टरों के इस्तीफा देने की वजह यह नहीं है कि उनकी तनख्वाह कम है और आगे के लिये प्रासपैक्ट्स नहीं हैं ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न २६-२८ श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे ।

श्री जगनप्रसाद रावत--यह कोई बात नहीं है। इसका कारण केवल यही है कि वे असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर होकर वकालत का कुछ तजुर्बा हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जब समझते हैं कि ज्यादा कमा सकते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या इन पब्लिक प्रासीक्यूटरों में से अभी तक कोई गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्ति किया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी मुझे सूचना नहीं है।

*२९--श्री बद्रीनारायण मिश्र--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।

*३०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३२--श्री रामचन्द्र विकल--[स्थगित किये गये।]

*३३--श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४-३५--श्री भगवानसहाय--[स्थगित किये गये।]

## नैनी सेंट्रल जेल के लिए असरकारी निरीक्षकों की नियुक्ति

*३६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि इलाहाबाद के क्राइम प्रिवेन्शन कमेटी ने ४ आदमियों के नाम जेल विजिटर के लिये भेजे थे? यदि हां, तो क्या उसमें से दो आदमियों का नाम हटाकर सरकार की ओर से दूसरे दो आदमियों का नाम रख दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन--जिला अपराध निरोधक समिति ने सेंट्रल जेल नैनी के लिये सात व्यक्तियों को गैर सरकारी निरीक्षक नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जिनमें से सरकार ने पांच व्यक्तियों को नियुक्त किया है। इनके अतिरिक्त सरकार ने दो पुराने गैर सरकारी निरीक्षकों को भी पुनः नियुक्त किया है। समिति की सिफारिशों को मानने के लिये सरकार बाध्य नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--जिन दो आदमियों के नाम कमेटी ने भेजे उनको सरकार ने क्यों हटाया?

श्री मुजफ्फर हसन--उनमें से एक साहब का नाम गुरुप्रसाद और दूसरे का नाम गौरी शंकर है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--उनके नाम क्यों हटाये गये मैं यह पूछता हूं?

श्री मुजफ्फर हसन--इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

*३७-३८--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--[हटा दिया गया।]

*४०-४१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३--श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४६--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

---

## "लफ्फाजी" शब्द के प्रयोग पर व्यवस्था की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस शब्द के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कल माननीय नियोजन मंत्री जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिये 'लफ्फाजी' शब्द का प्रयोग किया था।

श्री अध्यक्ष--कल के किसी भाषण के ऊपर मैं फ़ैसला नहीं दे सकूंगा, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप को उसी समय यह प्रश्न उठाना चाहिये था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं यह जानना चाहता हूं कि वह शब्द संसदीय है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--वह तो आप मुझसे मेरे कमरे में पूछ सकते हैं।

## आगामी असरकारी दिन की कार्यसूची पर आपत्ति

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, कल के लिये जो काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार जो शलाका का नोटिस रखा गया था वह नहीं हुआ। जो पिछले टाइम से चला आ रहा है वही कार्यसूची में रख दिया गया है। अभी तक यह व्यवस्था रही है कि जिसके ऊपर बहस होती थी वह आइटम रखा जाता था.....

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इस समय सदन के सामने नहीं है। आप इसके लिये मेरे कमरे में मुझसे मिल कर पूछ सकते हैं। कल का दिन गुजरा नहीं है। अभी मौक़ा है। आप मुझसे मेरे कमरे में बात कर लें।

## प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब माल मंत्री द्वारा प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर वक्तव्य होगा और फिर उस पर विवाद होगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि देश भर को विदित है, और जैसा कि प्रायः इस मुल्क के हर निवासी को अभी तक मालूम है, हमारे सूबे में और हमारे प्रदेश में ही नहीं, प्रायः उत्तर भारत के हर सूबे में इस वर्ष बाढ़ से बड़ी भारी हानि हुई है। अभी पिछले हफ्ते पंजाब में बड़ी भारी हानि सुनने में आई है, अर्थात् उस इलाके में जहां बाढ़ नहीं आती थी। पिछले बार जब हमारे यहां इस प्रश्न पर विचार हुआ, १७ और १८ अगस्त को, उसके फौरन् ही बाद हमको सुनने को मिला कि उड़ीसा में भी बड़ी भारी बाढ़ आयी। बिहार का और हमारा तो चोली दामन का साथ है। जब हमारे यहां बाढ़ आती है तो उनके यहां अवश्य आती है और जब उनके यहां आती है तो हम भी बच नहीं पाते। तो सब जगह बहुत हानि हुई। लेकिन हमारा अनुमान यह है कि इन सब सूबों के मुकाबले में कदाचित हमारे यहां ज्यादा हानि हुई। अगस्त तक जो हानि हुई उस का विवरण में माननीय मित्रों

के सामने पेश कर चुका हूं। लेकिन उस के बाद फिर १३, १४ सितम्बर से बराबर २० सितम्बर तक पूरब के जिलों में बड़ी भारी वर्षा हुई। पूरब के ५, ६ जिलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। छोटी गंडक, राप्ती, टोन्स और घाघरा में फिर से बाढ़ आयी और टोंस ने आजमगढ़ जिले में खतरे की सीमा को दूसरी बार पार कर लिया। पहले की बाढ़ के नुकसान से ही लोग अभी सांस नहीं ले पाये थे, उनके खेत नहीं सूख पाये थे, सिर को ढकने के लिये छप्पर तक नहीं डाल पाये थे कि फिर से यह मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। अपने मुसीबत जदा भाई और बहनों की जितनी सहायता हम कर सकते थे हमने उसके करने में कोई कोताही नहीं की। लेकिन इमदाद तो इमदाद ही होती है, उससे थोड़ा बहुत सहारा ही हो सकता है, उससे केवल दिल-जमई ही हो सकती है। हमारे किसान, गांवों के निवासी और कस्बे के रहने वाले जानते हैं कि यह दैवी आपत्ति है और मनुष्य तथा उसकी बनायी हुयी गवर्नमेंट उस में थोड़ी बहुत ही सहायता कर सकती है। मेरा अनुमान यह है कि हमारे सूबे के निवासी कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गवर्नमेंट से जितना हो सकता था उसने किया है और उनका ढाढ़स बंधाने में सरकार ने अपनी मजबूरियां और रिसीसेज को देखते हुए जितना हो सकता था किया है। १ जून सन् ५४ से ले कर ७ अक्तूबर सन् ५४ तक तथा इस साल भी १ जून से ले कर ७ अक्तूबर तक जो बारिश हुई है तथा सारे साल का जो नार्मल रेनफाल होता है उस के तीन कालम मैंने तैयार कराये हैं। आप की इजाजत से माननीय मित्रों की इत्तला के लिये उनको पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है :--

| नाम जिला | | | १ जून, ५४ से ७ अक्तूबर, ५४ तक वर्षा इंचोंमें | १ जून, ५५ से ७ अक्तूबर, ५५ तक वर्षा इंचों में | पूरे साल की वर्षा का औसत इंचों में |
|---|---|---|---|---|---|
| १--फैजाबाद | .. | .. | ३३ | ७८ | ३९ |
| २--बस्ती .. | .. | .. | ३२ | ८० | ४७ |
| ३--आजमगढ़ | .. | .. | ३६ | ४६ | ४२ |
| ४--सुलतानपुर | .. | .. | २७ | ७२ | ४१ |
| ५--गोरखपुर | .. | .. | ३६ | ७४ | ४८ |
| ६--जौनपुर | .. | .. | २३ | ५९ | ३८ |
| ७--बहराइच | .. | .. | ४० | ५९ | ४४ |
| ८--गोंडा | .. | .. | ३५ | ८४ | ४४ |
| ९--प्रतापगढ़ | .. | .. | ३० | ६१ | ३८ |
| १०--इलाहाबाद | .. | .. | २७ | ५१ | ३७ |
| ११--बाराबंकी | .. | .. | ३८ | ६७ | ३९ |
| १२--देवरिया | .. | .. | ३७ | ६० | ४४ |
| १३--बनारस | .. | .. | २१ | ४५ | ४० |
| १४--बलिया | .. | .. | ३० | ३८ | ४२ |
| १५--रायबरेली | .. | .. | ३३ | ४६ | ३७ |
| १६--गाजीपुर | .. | .. | २६ | ४२ | ४० |

बारिश के जो आंकड़े ७ अक्तूबर तक के हैं वह मैंने माननीय मित्रों को सुनाये। माननीय मुख्य मंत्री ने १९ सितम्बर को सदन को यह वचन दिया था कि सितम्बर में जो नुकसान हुआ है उसके सिलसिले में माननीय मित्रों को अपनी राय और अपने सुझाव देने का मौका एक दिन और दिया जायगा और गवर्नमेंट ने जो कुछ अब तक किया है उसका भी जिक्र उस दिन किया जायगा। उनके इसी वचन के अनुसार, जैसा कि माननीय मित्रों को मालूम है, मैं यह बातें सुना रहा हूं। जब

[श्री चरण सिंह]

से ६ लाख रुपया उन ५, ६ जिलों को और दिया गया है जिनमें १३, १४ सितम्बर से २० सितम्बर तक बारिश हुयी। पहले जितना रुपया दिया जा चुका था हर जिले को उसका एक नकशा माननीय मित्रों की मेज पर रखवाया जा चुका है और आज फिर अब तक जितना रुपया १५, १६ जिलों को बांट दिया गया और बाकी सूबे के जो और जिले हैं जहां वर्षा वगैरह हुयी है उसका एक नकशा माननीय मित्रों की मेज पर पहुंच चुका होगा। अभी सितम्बर की बारिश के बाद जब कि पूरब के जिलों के निवासियों के पैर कुछ-कुछ जमीन पर लगने लगे थे, और यहां हम यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि मुसीबत के दौर खतम हुये, तब सितम्बर के आखिरी हफ्ते में पश्चिम के कुछ जिलों में बहुत जोरों की बारिश हुयी: आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, इन जिलों में बारिश से काफी नुकसान हुआ। मुरादाबाद के हसनपुर तहसील में और तहसीलों के मुकाबिले ज्यादा नुकसान हुआ। मेरठ की प्रायः हर तहसील में बहुत वर्षा हुयी। मथुरा के मांठ और छाता तहसीलों में बहुत ज्यादा वर्षा हुयी। जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि इन सारे जिलों में बहुत ज्यादा वर्षा हुयी। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी ९ तारीख को ऋषिकेश जाने का मौका हुआ तो सहारनपुर के कलेक्टर से उस नुकसान की बाबत बातचीत हुयी, जो सितम्बर की वर्षा की वजह से हुआ। सितम्बर के आखिरी हफ्ते में इन पश्चिम के जिलों में वर्षा हुयी और फिर वह एक दो अक्तूबर तक रही। दो तीन दिन खाली रहे और फिर ५, ६, ७ ता० को सहारनपुर और मेरठ वगैरह में बहुत जोर की वर्षा हुयी। सहारनपुर जिले के कलेक्टर का कहना यह था कि साहब, सही-सही तो हम कह नहीं सकते लेकिन अनुमान यह होता है कि सहारनपुर के जिले में १३,००० मकान गिर चुके हैं, बाकी सही आंकड़े नुकसान के मैं बाद में भेजूंगा। उन्होंने बतलाया कि मेरठ में बहुत ज्यादा वर्षा हुयी है। उनका कहना था कि जैसे लोटे से पानी डाला जाता हो इस तरह की बारिश हुयी, और उनका अन्दाजा है कि वहां २०, २५ हजार मकानों की क्षति हुयी होगी। एक लाख ५० हजार रुपया ग्रेच्युटी रिलीफ के तौर पर दिया गया है और २ लाख ३५ हजार रु० तकावी दी जा चुकी है। अभी तक वे लोग नुकसान का अनुमान नहीं लगा पाये हैं। जितना नुकसान वहां हमें मालूम हुआ है उसके अलावा और जरायें से भी इसको मालूम किया जायगा और उसके लिये और इमदाद चाहिये तो देने की कोशिश की जायगी। मैं बुलन्दशहर की बाबत भी कहने ही वाला था लेकिन चूंकि दीनदयालु जी परेशान हैं तो पहले वहीं का हाल बता दूं। वहां की जो कल की रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि जहां तक वहां के बाढ़ से अफेक्टेड गांवों की संख्या का सम्बन्ध है, हो सकता है वहां की और मेरठ जिले के प्रभावित गांवों की तादाद बराबर हो। अगर बुलन्दशहर में ज्यादा नुकसान हुआ हो तो उसकी अभी पूरी इत्तला हमारे पास नहीं है, जो रिपोर्ट अभी तक आयी है वह गैरमुकम्मिल है। उन्होंने वहां से जितना रुपया मांगा है वह दिया गया है। वहां नुकसान काफी हुआ है। हमारी तरफ से डिप्टी कलक्टर्स और तहसीलदारों, सब को हिदायत है कि वे सारा काम छोड़कर पहले वहां के नुकसान के बारे में रिपोर्ट दें कि बारिश से कितना नुकसान हुआ और क्या हालत है? इसके अलावा यह भी जानते हैं कि आम तौर से गवर्नमेंट को सारी हालत मालूम है। मुजफ्फरनगर से हमारे से ४ हजार रुपया मांगा गया था, हमने कहा था ४००० नहीं ५००० लो। मुजफ्फरनगर के बारे में तो ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन बुलन्दशहर में हिन्डन नहर, जो कि गाजियाबाद से निकलती हुयी जमुना को आगे जा कर छोड़ करती है और आगे मथुरा और आगरे के लिये पानी ले जाती है, वह कट चुकी है और ४७ गांवों पर उसका असर पड़ा है। उन में से ६–७ गांव ऐसे हैं जिन का यही नहीं मालूम है कि उन का हुआ क्या। उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है और अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो रिलीफ पार्टी का भी जिलाधीश को पता नहीं है कि उसका क्या हुआ? आज नेशनल हेरल्ड में और कल हिन्दुस्तान टाइम्स में हमने पढ़ा कि ओखला बन्ध ब्रीच हो चुका है और मथुरा और बुलन्दशहर के देहात में पानी बहुत जोर से जा रहा है।

जहां तक हिन्डन की बात है हमने देहली के डिप्टी कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट की है कि जो गांव इनके इलाके के नजदीक हैं जहां उन का रिलीफ वर्क चल रहा है, अगर मुमकिन हो तो इन ६–७ गांवों को भी देखने की कोशिश करें। ओखला के ब्रीच से

मथुरा और बुलन्दशहर में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में उन दोनों जिले के जिलाधीशों से सम्पर्क स्थापित किया गया तो मालूम हुआ कि ब्रीच जरूर हुआ है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि गांवों में जो असर हुआ है वह केवल ब्रीच से ही हुआ है? उससे भी हुआ है और वैसे भी हुआ है। जमुना के बढ़ने से ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा उनका ख्याल है। उन्होंने कहा है कि हमारे आदमी गये हुये हैं जैसी इत्तला होगी यहां भेजी जायगी। उन्होंने कहा कि आगरा के कलेक्टर को सावधान कर दिया गया है कि जो पानी इधर से बढ़कर उधर जा रहा है उससे वह पहले से होशियार हो जायं। इन जिलों में सितम्बर के आखिरी सप्ताह में जो बारिश इस साल हुयी और पिछले साल हुयी मैं आप की इजाजत से यहां पढ़ना चाहता हूं। मथुरा में इस साल ५ इंच, पिछले साल ·५ इंच, मेरठ में इस साल ·६ इंच और पिछले साल ·६ इंच, यानी दसगुना अधिक! आगरे में इस साल ४·४ इंच और पिछले साल १·३ इंच, अलीगढ़ में इस साल ५·६ इंच और पिछले साल १ इंच, सहारनपुर में इस साल ५.६ इंच और पिछले साल २.४ इंच, बुलन्दशहर में इस वर्ष ८ इंच और पिछले वर्ष ·७ इंच यानी पिछले साल के मुकाबिले में ११ गुना अधिक! मुजफ्फरनगर में इस वर्ष १०·३ और पिछले वर्ष ३, यानी चौगुना! लेकिन वैसे इन सबसे ज्यादा मुरादाबाद में इस वर्ष ५ इंच और पिछले वर्ष ·९ इंच यानी पांच छःगुना। श्रीमन्, यह वर्षा जो हमारे पिछले वर्षों में पूर्वी जिलों में हुयी है उसके मुकाबिले में बहुत कम है लेकिन दो फर्क है, एक ही हफ्ते में हुयी और इसके लिये वहां की लोग काफी तैयार रहते नहीं हैं। इसीलिये मैंने सुनाया कि इतना नुकसान हुआ।

जैसा मैंने अर्ज किया था कि जो कुछ कार्यवाही गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है वह मैं बतला चुका हूं। १ लाख ८५ हजार रुपया हमने जिलाधीशों को भूसे के लिये अगस्त के महीने में ही दे दिया था। उसमें से ५० हजार मन भूसा जिलों के अन्दर पहुंच चुका है और ४० हजार मन रास्ते में है तो ९० हजार मन भूसा इस तरह से पहुंच चुका है या दो-चार रोज में पहुंच जायगा। पशुओं की बीमारी जहां थोड़ी बहुत थी उनके इलाज का प्रबन्ध फौरन किया गया और प्रिवेन्टिव मेजर्स जिससे वह बीमारी फैलने न पावे इसलिये टीके लगाये गये। इसी प्रकार कई हजार गांवों में गालिबन २३ हजार गांवों में, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे राज्य कर्मचारी गये और लाखों आदमियों को टीके लगाये गये। श्रीमन्, आपकी इजाजत से अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास हर जिले के कितने गांवों में किस प्रकार के टीके लगाये गये और कितने पेशेंट्स का इलाज हुआ–जानवरों और आदमियों दोनों का–यह आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। ऐनीमल हसबेंड्री और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों के। मैं चाहता तो यह था कि जिलेवार बहुत तफसील के साथ वह सारे इत्तिलात माननीय मित्रों को मिल जायं, लेकिन किन्हीं मजबूरियों की वजह से यह सम्भव नहीं हुआ। लेकिन जिलेवार तो नहीं सूबे का जो टोटल है हर प्रकार के कामों का वह मैंने अभी तैयार करने के लिये कह रखा है और वह गालिबन तीन बजे तक माननीय मित्रों को मिल जायेंगे और किसी जिलेकी बाबत कोई विशेष जानकारी कोई माननीय सदस्य करना चाहें तो मैं बीच में हर वक्त बताने के लिये तैयार रहूंगा। मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई भी बीमारी न फैले, इसके लिये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दोनों ने पूरी–पूरी कोशिश की और क्योंकि बीमारी नहीं फैली इसलिये इस सिलसिले में कितना काम हुआ है हम भूल जाते हैं। वरना स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है कि हजारों गांव ध्वस्त हुये, लाखों आदमियों को वक्त पर खाना न मिला, भटकते रहे, पशुओं को चारा न मिला और गालिबन ७ जून सन् १९५५ से बराबर वर्षा हुयी है और आज १३ अक्तूबर है। चौमासा पहले सुना करते थे लेकिन अब की बार सवा चार महीने बराबर वर्षा हुयी। हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन का औसत ऐसा हो, जब मुश्किल से धूप निकली हो, तो इतनी वर्षा बराबर हुयी! इस वजह से जलवायु पर कितना खराब असर पड़ा है। इस खराब जलवायु की वजह से मनुष्यों पर और पशुओं पर कितना बुरा असर पड़ा है, और बीमारी हो जाने की कितनी आशंका थी लेकिन वह आशंका परमात्मा की दया से दूर हो गयी, यह बड़ी खुशी की बात है। इसी से उनके काम का अन्दाजा लगाया जा सकता है। सभी लोग डर रहे थे कि बीमारी फूट निकलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

[श्री चरणसिंह]

अब जहां तक गांवों के ऊंचा करने का सवाल है, बहुत से गांवों को ऊंचा करने का काम कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। उसके सिलसिले में हमारे सामने स्कीम बहुत लम्बी है। मैं आपकी इजाजत से जो योजना बन गयी है उसके आंकड़े पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अब तक बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के ६४० गांवों में काम चल रहा था जिनमें से ४०० गांवों में काम मुकम्मल हो चुका है। यह काम पिछले वर्ष से शुरू हुआ था और इस साल जिन गांवों का लेविल रेंज करने का विचार है वे २,५०० गांव हैं। लेकिन जिन जिलों की बाबत प्रोपोजल था कि इस जिले में इतने गांव और इस जिलेमें इतने गांव लिये जायं यह अभी फाइनल नहीं हुआ था लिहाजा हर जिले में जितना मिनिमम काम करना है उसके लिये आर्डर्स जारी हो चुके हैं और १,०५० गांवों की संख्या इस काम के लिये है। मान लो कि इरादा यह था कि फैजाबाद में ५०० गांव रेंज किये जायं तो यह सब मिला कर २,५०० गांव बैठते। लेकिन तय यह हुआ कि जब तक फाइनल न हो जाय तब तक कम से कम १,०५० गांवों में काम शुरू कर दिया जाय। उसके लिये हुक्म जारी हो चुके हैं। वैसे वह काम २५०० गांवों में किया जायगा। ५० गांवों में मौके पर काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि हफ्ते दो हफ्ते में १,०५० गांवों में काम शुरू हो जायगा। फ्लड कंट्रोल स्कीम के मातहत पिछले साल से कौन सा काम मुकम्मल हुआ, कौन सी जगह पर काम हो रहा है और किस योजना को अब मेरे लेने का विचार है वह एक अलहदा चीज है। यह मैं फ्लड रिलीफ की बात कह रहा था।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, कुछ ऐसा इत्तिफाक है कि हमारे गांवों में जो नशेब में जमीन है उसमें हमारी सोसाइटी में जो सबसे गरीब तबका है वही उसमें बसे हुये हैं। उनके लिये यह आर्डर्स जारी हो चुके हैं कि उनको गांव समाज की तरफ से मकान बनाने के लिये जमीन दी जायगी और कीमत का कोई सवाल उनसे होता नहीं। इसलिये गांव समाज मैनुअल के जो रूल्स हैं वे स्थगित कर दिये गये हैं। गांव बसाने के लिये सबका लेविल भी रेंज नहीं करना है क्योंकि गैर जरूरी है। ८५ वर्ष पश्चात् बहुत सी जगहों पर फ्लड आया है और जो नुकसान वहां हुआ है वह ज्यादातर लोकल रेन-फाल से या वाटर-लागिंग से हुआ है। जिन जिलों का फ्लड से सीधा सम्बन्ध है, यानी जहां आम-तौर से फ्लड आया करता है, वहीं लेविल रेंज करने का सवाल है, और उनके लेविल को जरूर रेंज किया जायगा। २२ हजार गांवों पर फ्लड का असर पड़ा है जिनमें ढाई हजार का लेविल रेंज किया जायगा। इनमें भी लोगों को बसाना है, किसानों और मजदूरों के लिये मकान बनाने हैं। तबियत तो यह हुयी थी कि जब यह मुसीबत आयी हुयी है और नये मकान बनने हैं तो किसी नकशे के मुताबिक, अपनी तबियत के मुताबिक, वे मकान बन जांय। जैसे कि लंदन में १६६५ में आग लग गयी, बड़ी मुसीबत थी, लेकिन फिर नया लंदन बसा तो बहुत अच्छी तरह से बसा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी मजबूरियां हैं, न तो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं और न हमारे पास इतने ओवरसियर्स व इंजीनियर्स हैं कि हम इन २० या २२ हजार गांवों का नया नकशा बना कर और फौरन उनको मेटीरियल दे कर महीने दो महीने के अन्दर जबकि जाड़ा आने वाला है हम उन मकानों को बना सकें। महीने दो महीने नहीं साल दो साल में बना सकें। हमारी इच्छायें चाहे कुछ हों? २२ हजार गांवों में पौने चार लाख मकान गिरे हैं और उन मकानात को हमें अपने नक्शे के अनुसार बनाना है, इन २२ हजार गांवों का पुनर्निर्माण करना है। ख्याल बहुत अच्छा है काश कि हमारे ऐसे साधन होते, वह नहीं हो सकता। हम इस तरह की कोशिश करें और लोगों से कहें कि नहीं रुको, हम स्कीम बना रहे हैं, फलां जगह से मैटीरियल आ रहा है, वह नाकाबिल अमल है। इसलिये हमने किया यह है कि टाउन एंड विलेज प्लानर्स ने कुछ नकशे बनाये हैं, कुछ उनके पास पहले होंगे। उन्होंने तीन-चार तरह के नकशे दिये हैं। वे कलेक्टरों को भेजे जा रहे हैं कि आमतौर पर गांव पंचायतों की नोटिस में ला दें और उनको सुझाव दिया जाय कि जहां गली तंग है उसको चौड़ी कर दें, जहां मोड़ आती हो वहां ज्यादा जगह छोड़ दी जाय। इस तरह की चीजें जो वह कर सकते हैं, करें। लेकिन हमने नकशा बिल्कुल गांव वालों की मरजी पर छोड़ दिया है, हर आदमी अपना जैसा मकान बनाना चाहे बनाये, केवल सुझाव देने और उनकी नोटिस में ला देने की बात है। उसके लिये अहकाम जारी हो चुके हैं।

श्रीमन्, ८ लाख ८० हजार रुपया आज तक टेस्ट वर्क्स के लिये दिया जा चुका है, और जैसा कि मैंने कहा उसमें एक हजार पचास गांवों में काम शुरू होने वाला है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

गांवों का लेविल ऊंचा करने के सिलसिले में विचार यह है कि जो तालाब या पोखर गांवों में होते हैं वह सिल्ट-अप हो गये हैं। ये तालाब और पोखर धीरे-धीरे सिल्ट-अप हो जाते हैं और जहां बाढ़ आती है वहां जल्दी सिल्ट-अप हो जाते हैं। अगर वहां हो सके तो यह कोशिश की जाय कि उन तालाबों से मिट्टी ली जाय ताकि वह गहरे हो जायं। लोगों के वैसे भी काम में आ सकें, पशुओं के पीने के लिये पानी मिल सके और हो सके तो आबपाशी का भी काम हो जाय। और तीसरी बात यह है कि परमात्मा न करे फिर बाढ़ आ जाय तो कुछ पानी का सम्हाल हो सके। इससे चौथा फायदा यह होगा कि किसी और खेत में से जमीन न लेनी पड़ेगी। उनका लेविल ऊंचा करने में अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि हो सके तो कोशिश करो, रिजिड आर्डर्स देना कि नहीं तालाब से ही मिट्टी लो यह हर जगह सम्भव नहीं है। श्रीमन्, मैंने, जैसा कि मेरे मित्रों को मालूम है, पिछली बार यह कहा था कि गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि सवा करोड़ रुपये के करीब तकावी इस वर्ष बिला ब्याज दी जाय और मकान बनाने के लिये कर्ज भी बिला ब्याज दिया गया। पहले यह तय हुआ था कि जिस रोज से यह कर्जा या तकावी दी जाय उसकी किश्त पहले छः महीने के बाद वाजिब हो। अब गवर्नमेंट ने यह तय किया कि छः महीने नहीं साल भर के बाद वाजिब हो। इसमें से एक करोड़ ग्यारह लाख रुपया हम जिलों में दे चुके हैं इंटरेस्ट फ्री तकावी का, और साढ़े दस लाख रुपया मकान बनाने के लिये कर्जे के सिलसिले में दे चुके हैं। साथ ही तकावी रूल्स में एक नियम है कि जिस आदमी पर तकावी पहले वाजिब है उसको दूसरी तकावी न दी जाय जब तक कि पहली अदा न हो जाय। यह आर्डर्स जारी हो गये हैं कि नहीं, यह नियम इस वर्ष के लिये शिथिल कर दिया जाये। लिहाजा जिस पर पहली तकावी वाजिब हो उसको दोबारा तकावी दी जा सकती है अगर उसको जरूरत है।

मालगुजारी के मुताल्लिक मैं कह ही चुका और मालगुजारी का सवाल ही नहीं उठता। ३० सितम्बर बीत चुकी है।

स्कूल की फीस के मुताल्लिक माननीय मित्रों को मालूम ही है कि ऐसे इलाकों में जो निर्धन खान्दान के बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे सकते, उनकी फीस दिसम्बर तक गवर्नमेंट अपने पास से देगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देगी, प्राइवेट मैनेजमेंट के हैं तो प्राइवेट मैनेजमेंट को देगी। साफ जाहिर है कि यह रिपोर्ट इन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से शिक्षा विभाग की मार्फत कलेक्टर के यहां आयेगी। तबियत तो यह चाहती है कि हम सारे साल की फीस माफ कर दें। लेकिन, श्रीमन्, शायद मैंने परसों भी कहा था कि हमारी इच्छा और कितना हम कर सकते हैं उसमें हमेशा बड़ा भारी अन्तर रह जाता है। वह मजबूरी है। अब भी ५ महीनों में कितना रुपया गवर्नमेंट के खजाने से देना होगा उसका कोई अनुमान नहीं, क्योंकि कितने स्कूल हैं और उनमें कितने निर्धन घरों के बच्चे होंगे और कितनी फीस बैठती है, इसके कुछ आंकड़े पहले से रखने की जरूरत नहीं थी। यह हो भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान यह है कि हो सकता है कि ५० लाख रुपया कम से कम इसी में देना पड़े। हमने फिलहाल ५ लाख रुपया जिलाधीशों के पास भेज दिया है ताकि स्कूलों के चलाने में दिक्कत न रहे। फिर जैसी रिपोर्ट उनके यहां से आती रहेगी हम रुपया उनको देते रहेंगे। श्रीमन्, इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका, माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का जो कोष है उसमें से ३५ हजार रुपया---१५ हजार मुख्य मंत्री जी के और २० हजार प्रधान मंत्री जी के कोष से---बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को दिया जा चुका है क्योंकि साफ जाहिर है कि उन इलाकों के विद्यार्थी अधिकतर हिन्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ५ हजार, लखनऊ यूनिवर्सिटी को ५ हजार और

[श्री चरणसिंह]

आगरा यूनिवर्सिटी को ५ हजार दिया गया है । क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा बहुत फैला हुआ है, इसलिये उससे जो अफिलिएटेड कालिजेज हैं उनको ४,५०० रुपया डायरेक्ट दिया गया है। इस तरह से साढ़े चौवन हजार रुपया, जो विद्यार्थी कि यूनिवर्सिटी या डिग्री कालिजेज में पढ़ते हैं, उनकी फीस के सिलसिले में दिया जा चुका है । पर मैं अपने मित्रों के यह जहन नशीन करना चाहता हूं कि यह सब विद्यार्थियों के लिये नहीं, बल्कि उसी विद्यार्थी के लिये है जिसके घर वाले उसकी फीस नहीं दे सकते हैं । यह जाहिर है कि गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से रिलीफ पहुंचाने का काम जारी ही नहीं रखा, बल्कि उसको बढ़ाने की कोशिश की है । जैसा मैं पहले किसी मौके पर अर्ज कर चुका हूं ४-५ करोड़ रुपया केवल रिलीफ का हो गया । इरिगेशन डिपार्टमेंट और स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड के जरिये जो फ्लड कंट्रोल के लिये खर्च हो रहा है, वह अलग चीज रही । गालिबन ३,२५,००० रुपया तो केवल मकानों का लेविल रेज करने के लिये है, दूसरे काम अलग रहे, इतना रुपया केवल फ्लड रिलीफ पर होगा । मालगुजारी की माफी वगैरा और जो गल्ला वगैरा दिया गया है वह सब ४-५ करोड़ बैठेगा, लेकिन वह बरदाश्त किया जायगा ।

लेकिन अब सब से ज्यादा चिन्ता की जो बात हो गयी है, अध्यक्ष महोदय, वह यह कि बारिश अब तक जारी है, रातों रात बारिश हुयी है, आज भी हुयी है । आम तौर पर पूर्वी जिलों में पहली अक्तूबर को बुआई शुरू हो जाती है, दो दिन इधर या दो दिन उधर, और २० अक्तूबर तक प्रायः खत्म हो जाती है । हो सकता है कि किसी खास खेतों में २५ अक्तूबर तक चल जाय । पश्चिमी जिलों में २५ अक्तूबर के बाद शुरू हो जाती है और १५ नवम्बर को समाप्त हो जाती है । लेकिन जमीन की तैयारी के लिये एक महीना किसान को चाहिये । अगर इस पीरियड को बहुत कम भी कीजिये तो भी तीन हफ्ते चाहिये । लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां तो ज्यादातर ऐसा रकबा पड़ा है, विशेष कर पूर्व के जिलों में जहां अषाढ़ से लेकर अब तक एक बार भी हल नहीं निकला । अभी मैं जब १० अक्तूबर की सुबह को ऋषिकेश से आ रहा था तो बहुत सवेरे मैंने देखा कि किसान लोग हल लेकर अपने-अपने खेतों में थे । कुछ में पानी भरा था। कल परसों की बारिश देख कर मेरा मन उन किसानों की तरफ जा रहा है । उनका वह हल चलाना बेकार गया। अब फिर उनको हल चलाना होगा । कब चलाना होगा ? पानी से जमीनें पहले ही सैचुरेटेड थी, अब फिर पानी पड़ गया । कुछ ऐसे खेत होंगे कि अगर आज भी पानी बन्द हो जाय और सूरज निकल आये तो दो हफ्ते तक कम से कम जुताई नहीं हो सकती । फिर किसान के पास एक ही खेत थोड़ी ही है, जिसके पास १० एकड़ है या ५ एकड़ ही सही, और ६ खेत हैं, तो जुताई करने में ६–७ दिन लगेंगे फिर एक ही जुताई के बाद वह बो नहीं सकता । अगर मौका मिल जाय तो रबी की जुताई किसान ६-६ बार करता है, लेकिन कम से कम २-३-जुताइयां तो हों । फिर श्रीमन्, इतना जाड़ा आया और जमीन की गर्मी अन्दर से खत्म हो गयी, लिहाजा जर्मिनेशन नहीं हो सकेगा । तो मुझे और जो मेरे सहयोगी हैं, या यों कहिये कि हम सब को, आशंका है कि जो नुकसान हुआ सो हुआ लेकिन अगर ये रबी न बो सके तो हो सकता है कि यह नुकसान इस बाढ़ से भी ज्यादा हो जाय । अगर यह बारिश एक हफ्ता और जारी रही तो पूर्व के जिलों में तो मेरा अनुमान है, मैं बहुत अन्डर एस्टीमेट करके कहता हूं, कि ५० फीसदी से ज्यादा रबी का रकबा बिला बोये रह जायगा । पश्चिम के जिलों में भी कुछ कमी हो जायगी । यह नुकसान गालिबन हमारा जितना बाढ़ से नुकसान हुआ है उससे भी ज्यादा हो सकता है । श्रीमन्, इन्सान कर ही क्या सकता है सिवाय भगवान से यह प्रार्थना करने के कि जल्दी से बारिश बन्द हो ताकि हमारे किसान अपने काम में लगें ।

श्रीमन्, मैंने आपकी इजाजत से थोड़े से शब्दों में जो अब तक की पूरे सूबे की स्थिति है वह रखने की कोशिश की है, और जितना हमने किया है वह रखने की कोशिश की है । जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था जितना नुकसान हुआ है हम उसकी कभी पूर्ति नहीं कर सकते और उनकी

तकलीफ जितनी है फौरी उसको भी रफा नहीं कर सकते, उसमें भी थोड़ा सा ही अंश कर सकते हैं। जितना नुकसान पूर्व के १०–१२ जिलों में हुआ है वह इतना ज्यादा हुआ है कि जो ४–५ साल के बराबर सूखा या बाढ़ से पीड़ित रहने के कारण उनकी पर्चेजिंग पावर, या स्टेइंग पावर, बिल्कुल रह नहीं गयी थी। वह इलाका इस तरह से ध्वस्त हो गया कि उसका ख्याल करके आदमी का दिल कांपता है। उनको अपने पैरों पर खड़े होने में वर्षों लगेंगे। हमारा सूबा सिवाय तीन सूबों को छोड़ कर खेती पर आश्रित है। जहां तक उद्योग-धंधों का ताल्लुक है हम दूसरे सूबों से पीछे हैं, किन्हीं कारणों से काफी पीछे हैं। हमारी तो सारी ऐकोनामी खेती पर निर्भर है। यों तो सारे ही देश की है पर हमारी सारे देश के, अपेक्षतया बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़ कर, ज्यादा खेती पर आश्रित है, किसान पर आश्रित है। जो पिछले ३–४ साल की मुसीबत के बाद इस बारिश से और इस वाटर–लागिंग से जो एकदम नुकसान हुआ है उससे हमारी एकोनामी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी की और मेरे अन्य सहयोगियों की कोशिश से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे सूबे की मदद करने का वायदा किया है। लेकिन आपके जरिये मैं इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि हम बहक जानिब इन्टायटिल्ड होंगे, जस्टीफाइड होंगे हर प्रकार की इम्दाद पाने के, इंडस्ट्रीज को ज्यादा सेट अप करने के लिये और ग्रेटीचुअस रिलीफ के लिये, तो दो करोड़ रुपये का वायदा है। मैं माननीय सदन की आवाज को रिप्रेजेन्ट करता हूं। इन शब्दों के बाद मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं। मुझे खुशी होगी अगर कोई माननीय सदस्य ऐसे सुझाव दे सकें जिससे हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की कुछ और सहायता कर सकें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी का भाषण बहुत ही ध्यान से सुना। मैं उन्हें उस तस्वीर को जो बाढ़ से जनता को कष्ट हो रहा है, उसको काफी अंशों में सही तौर पर रखने की बधाई देता हूं। मैं जहां पर उनसे डिसएग्री करूंगा तो उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि मैं उनको किसी गलती में रखने के लिये ऐसा करने जा रहा हूं। सम्भव है कि जितनी जानकारी होनी चाहिये उतनी जानकारी न हो पाई हो अब तक। खासतौर से एक बात की, जब उन्होंने कुल २२ हजार गांवों की चर्चा बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने की की तो मैं बहुत ही डर गया। यह २२ हजार गांवों की चर्चा जब पिछली मर्तबा इस सदन में विवाद हुआ था, उस समय मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा कि २२ हजार गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त माने गये थे। इसके बाद जो सितम्बर में पानी बरसा है, मध्य सितम्बर में बरसा, उनके आंकड़े गलत ठहराने के लिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हैं। लेकिन यह मैं जरूर कहता हूं कि जो आंकड़े उनके पास मौजूद हैं, सम्भव है कहीं उससे ज्यादा पानी बरसा हो। तो यदि हम इन आंकड़ों को ध्यान में रखें तो जो पानी मध्य सितम्बर में बरसा, हम इस बात को पायेंगे कि आखिर इस पानी के बरसने पर और पश्चिमी जिले में आज एक मुसीबत आ गई, उसका जिक्र इन २२ हजार गावों के अतिरिक्त है और इसमें वह नहीं आते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इससे बहुत अन्तर पड़ गया। इसलिये पिछली मर्तबा जो आंकड़े हमारे सामने दिये गये थे वह ज्यादातर नदी के किनारे के गांवों के थे और वाटर लौगिंग वाले गांव इसमें शामिल नहीं किये गये। और मध्य सितम्बर में जो पानी बरसा वह इतना बरसा कि कहीं १५, कहीं १६ और कहीं २० इंच बरसा और अध्यक्ष महोदय, यह मालूम हो कि वह पानी ३,४ दिन के बीच में ही बरसा था। पहले इतना पानी बरसा था जो जज्ब हो जाता ऐसी सूरत नहीं थी। अब जो पानी बरसा वह सारे का सारा ऐसा था जिसे जमीन नहीं ले सकती थी और उसको ऊपर ही रहना था। तो अगर हम इस बात को मान लें कि वह पानी १५, २० इंच के बीच में जो तीन दिनों के भीतर बरसा वह सारा जमीन पर न रुका हो सारे जिलों में, जहां कि वह बरसा पूर्व के जिलों में तो कुछ हिस्से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

में वह जा कर टिकेगा ही, तो अगर हम उसका एक आरजी तौर पर हिसाब लायें कि दो तिहाई हिस्सा ऐसा था कि जहां से पानी खिसक गया और एक तिहाई में चला गया तो हम यह पायेंगे कि एक तिहाई गांव , उन गांवों के अलावा इस मुसीबत में और फंस गये। तो इस प्रकार केवल फैजाबाद, गोरखपुर, और बनारस कमिश्नरी में ही ४८ हजार गांव हैं , उनमें से २२ हजार गांव तो पहले ही से मुसीबत में थे जिनका कि जिक्र पहले की फेहरिस्त में दिया गया है, जो १५ जिले पहले हमको बताये गये थे उनमें बताया गया था कि २२ हजार गांव पीड़ित हैं। अब उनके अलावा जो ५, ६ जिलों का जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है उस में हमारा यह अनुमान है कि करीब-करीब ८ हजार गांव और बढ़ेंगे । यह वाटर लागिंग के कहे जायं या और कुछ कहे जायं। इनमें कुछ गांव बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, बलिया, आजमगढ़ के और कुछ इनके इर्द गिर्द जिलों के जिनमें पानी बरसा है सितम्बर के महीने में उनके हैं। और इनके अलावा जिन जिलों का जिक्र पश्चिम के माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, इनके हैं जो कुछ तो डूब गये हैं और कुछ आधे डूबे हैं, तो यह गांव भी उनमें बढ़ेंगे। मैं यह चाहूंगा कि इसको फिर से दुरुस्त कर लिया जाय। सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं क्या कहूं ? असल में मैं सोचता तो यह था और हमारे सभी साथी यह सोचते थे कि यह जो राजधानी के पूर्व रहने वाले मुसीबतजदा जिले हैं उनकी सहायता अगर पड़ोसी बचे रहते तो कुछ न कुछ कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वह खुद ही इस मुसीबत में फंस रहे हैं और जब वह खुद ही मुसीबत में फंस रहे हैं तो वह हमारा साथ देने कैसे आ सकते हैं ? उनकी तो यह बदकिस्मती है ही लेकिन सब से बड़ी बदकिस्मती तो उनकी है जो लगातार इस मुसीबत में रहा करते हैं। तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बात है अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी मुसीबत को कोई निमंत्रित नहीं करता। कोई चाहता भी नहीं कि इस तरह की मुसीबत, इस तरह का संकट आ जाय। लेकिन ऐसे संकट से कुछ अगर हम लाभ उठावें, ऐसे संकट से हम लोगों को बचाने की सूरत पैदा करें और उससे लोगों में जीवन पैदा करें कि वे इन संकटों का सामना करें, उससे कुछ सीखें, तब तो ऐसा करने वाले आदमी को यह कहा जाता है कि उसने खूबसूरती के साथ, जांफिशानी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ एक काम किया, लेकिन अगर हम उसको देख कर रोना रोते रहें, बैठे रहें और उसका वर्णन करें बहुत अच्छी तरह से तो उससे तो फिर आगे के लोग कुछ सीखेंगे और न हमारा इससे कुछ लाभ हो सकेगा। दूसरे मुल्कों में भी मुसीबत आती है। मैंने सुना है कि जापान में बहुत भूकंप आया करते हैं तो उस से जापान के लोगों ने सीखा कि किस तरह से उसका सामना करना चाहिये। तो जब इस तरह से हमारे देश में बाढ़ आती है और ऐसी जबरदस्त बाढ़ आती है कि जिसकी वजह से हमारे देश के करोड़ों लोग संकट में पड़ जाते हैं तो उससे बचने की बात भी हमको सोचनी चाहिये। पानी बरसने का रिकार्ड जो इस साल का है इस समय मैं उसको क्या बताऊं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्यों आखिर खुदा हमसे नाराज हो गया है ? हो सकता है कि नाराज होने का उसका मतलब यह हो कि वह चाहता है कि हम लोग जांफिशानी करें। हमारे प्रदेश में जो पानी बरसा उस के लिये राजस्व मंत्री ने बतलाया कि पानी बरसने का औसत पिछले कई वर्षों के रिकार्ड से दुगुना है और वह भी थोड़े से समय में इतना पानी बरस गया ! तो उसका इलाज भी तो कुछ सोचना चाहिये ! उसका इलाज हो सकता है या नहीं अगर इस बात को सोचते हैं तो हम लोगों को खुदा ने जमीन पर पैदा किया है और ऐसा संकट भी उसने दिया है तो उसका इलाज भी सोचना हमारे लिये लाजिमी है। मैं इस सिलसिले में इन बड़ी नदियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पिछली मर्तबा कुछ सुझाव मैंने सरकार की सेवा में रखे थे। मैं समझता हूं उनपर सरकार ने विचार किया होगा। और फिर जो अलग से अगली योजना पर बातचीत होने वाली है उस पर भी कुछ कहना चाहूंगा लेकिन इस समय इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो रिलीफ का काम है उन रिलीफ के कामों को ऐसी योग्यता और ऐसी कुशलता

से किया जाय कि हमारे पास धन की कमी होते हुये भी लोगों को कुछ खिला सकें और लोगों को ऐसी मुसीबत का सामना करने के लिये खड़ा कर सकें, उनकी आदत डाल सकें और आगे की मुसीबत को बचाने का भी बन्दोबस्त कर सकें और इस वक्त यह समझते हैं कि वह बिलकुल अनाथ हैं और भूखों मरने की हालत में हैं ऐसा मैं समझता हूं।

सब से पहले मैं यह जरूर कहना चाहता हूं और खासतौर से राजस्व मंत्री जी से कि जो वाटरल.गिंग वाले गांव हैं उनके लिये अपने रेविन्यू आफिसर्स को सख्त हिदायत करें कि वह उनको न छोड़ें। मैं निश्चयपूर्वक यह कहूंगा कि सैकड़ों गांवों को उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे जाती तजुर्बा है और उस जाती तजुर्बे को न कह कर मैं जनरल तरीके से यह कहूंगा कि जो २२ हजार का चर्चा किया गया था वह इस बात को सिद्ध करता है कि वाटर लौगिंग गांवों को छोड़ दिया गया है। अगर वह छोड़ दिये गये हैं तो सही नक्शा हमारे सामने नहीं ह। अब अध्यक्ष महोदय.....

**श्री चरणसिंह**—श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता था कि जो प्वाइंट माननीय गेंदासिंह जी ने उठाया है उस में आसानी हो जायगी। यह बात ठीक है कि मैंने २२ हजार गांव जो बाढ़ से पीड़ित हुये उनके आंकड़े बतलाये थे लेकिन उसके बाद कलेक्टर ने यह कहा कि तब से और गांव भी पीड़ित हुये हैं जो उसी क्षेत्र में हैं। वह लगभग २ हजार के हैं। तो अब २४ हजार गांवों को रखा जा सकता है। पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ से एफेक्टेड हुये वह बहुत थोडे गांव हैं। जो बरसात से एफेक्टेड हुए वह दूसरी बात है।

**श्री गेंदासिंह**—बड़ी मेहरबानी की राजस्व मंत्री जी ने कि इस चीज को और साफ़ कर दिया, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि दो हजार गांवों के सम्बन्ध में जो इत्तिला उनको दी गयी है वह गलत दी गयी है और वह गलत इसलिये हैं कि २२ हजार गांवों के अलावा मेरा निवेदन यह है कि आखिर ४८ हजार गांव इन पूर्वी जिलों में फैजाबाद, गोरखपुर, और बनारस की कमिश्नरियों में हैं। उन्होंने यह बताया कि दो हजार गांव और बढ़े हैं इन कमिश्नरियों में जो वाटरलौगिंग के हैं। २२ हजार गांव की सूचना उनको मिल चुकी है। वह सूचना जिस दिन हमारे इस सदन में बहस हुई थी उसके पहले की सूचना है। मैं उसके बाद की कहता हूं। सितम्बर के मध्य में जो पानी बरसा उस से उन गांवों पर भी असर पड़ा जो ऊंचे गांव थे और जिनकी बाबत यह कहा जाता था कि वहां पर बाढ़ नहीं आ सकती। जब इन तीन दिन के भीतर २० इंच और १५ इंच पानी बरस गया, और १/३ हिस्सा पानी इकट्ठा हुआ तो आखिर उन गांवों की क्या दुर्दशा हो गई होगी? जरा इस बात पर भी माननीय राजस्व मंत्री जी गौर करें। किसी एक जिले को नमूने के तौर पर ले लें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर यदि वह विश्वास न करें बल्कि इस सदन के दो तीन माननीय सदस्यों को वह इस बात के लिये नियुक्त कर दें। मैं इस बारे में किसी अधिकारी पर तो विश्वास करना नहीं चाहता कि जो ५–६ जिले माननीय मंत्री जी ने बताये हैं उनमें किसी एक जिले को ले लें और उसके आंकड़ों को कसौटी पर रख लिया जाय। कसौटी पर रखने के बाद यह मालूम कर लिया जाय कि गांवों की क्या स्थिति है। चाहे वह बस्ती हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, या देवरिया हो इन तीन चार जिलों में यह देखा जाय कि उनमें से कितने गांवों में मकई, कोदों, उर्द, और मूंग तथा गन्ना और धान की फसल, यानी जो खरीफ की फसलें होती हैं उन फसलों में कितने रुपये में कितने आने पर नुक्सान हुआ है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई गांव ऐसा है जिसके लिये यह कहा जा सकता हो कि उस में सोलहो आना फसल हुई है? अगर किसी गांव में १० आना फसल भी हुई है तो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हुई। अगर किसी गांव में १० आना फसल भी होती है तो वह डिजर्व करता है, वह सहायता का पात्र है।

इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि सितम्बर के मध्य में जो मकानात गिरे हैं वे २४ हजार गांवों में गिरे हैं। मैं कहता हूं कि आप २४ हजार गांवों की फेहरिस्त दें और मैं ३० हजार गांवों की फेहरिश्त दे सकता हूं और देख लिया जाय कि

[श्री गेंदासिंह]

इन ६ हजार गांवों में किस प्रकार से मकानात गिरे हैं ! यह विचार करने की बात है कि एक ऐसा अन्दाजा लगाया जाय कि इन गांवों में मकान गिरने की तादाद काफी है या नहीं ? मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि मकानात गिरने वाले गांवों की और वाटर-लोगिंग वाले गांवों की एक फेहरिस्त बनायी जाय। क्योंकि फेहरिस्त बनने के बाद ही आगे का नक्शा ठीक से बन पायेगा। इसको देख कर हमें ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहिये क्योंकि पुराने जो रास्ते पानी बहने के थे वह भी भर गये हैं। जमींदारी अबोलिशन की वजह से जितनी भी गैरमजरुआ जमींन थी, जो नाले वगैरह थे, जिनके जरिये से पानी निकल जाता था वह भर गये और पानी रुक गया। यही पानी बरबादी करता है। इसलिये यह जो ६ हजार गांव हैं, उनको देखने से आप को सही नक्शा मालूम हो जायगा और सरकार उनको बचा सकेगी।

यह कह कर एक दूसरी चीज में सुझाव के तौर पर कह देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान तीन चीजों की तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूं : १—मनुष्यों के लिये भोजन ; २—पशुओं के लिये चारा ; ३—जिनके मकान गिर गये हों उनके लिये मकानों की व्यवस्था। जिनके लिये भोजन की बात मैं कहता हूं उनके लिये मैं इस प्रकार सोचता हूं कि लोगों को भोजन भीख मांगने की तरह से नहीं मिलना चाहिये। उसके लिये आप उन से काम लें। जो लोग काम करने में असमर्थ हैं ग्रेचुटस रिलीफ उन्हीं के लिये रखा जाय, जो लोग काम कर सकते हैं उनको सरकार को काम देना चाहिये। सरकार यह कहती है कि इस सब के लिये रुपये का बन्दोबस्त कहां से किया जाय ? यह एक गैरमामूली काम है और गैरमामूली काम के लिये गैर मामूली प्रबन्ध होना चाहिये। गैर मामूली प्रबन्ध में मैं सोचता हूं कि रुपये को प्राप्त करने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देहली की हुकूमत को अपनी सही तस्वीर बतलावे और उससे सहायता लेने में रजामन्दी करे। चाहे जिस तरह से करे उस को मनाया जाय। दूसरी बात यह है कि हम अपने स्टेट में कुछ रिसोर्सेज कंसेंट्रेट करें, खास तौर से उस हिस्से में जहां पर कि ये मुसीबत वाले जो गांव हैं या हिस्से हैं उन हिस्सों में ही प्लानिंग का काम किया जाय। जो कि अगली पंच-वर्षीय योजना के अन्दर करने हैं या जो पिछली पंचवर्षीय योजना के काम बाकी हैं उनको बढ़ाया जाय। नये कामों के लिये मैं कहता हूं कि टेस्ट वर्क के जरिये हम लाखों, हजारों आद-मियों को रोजी दे सकते हैं ताकि वे गांवों की सड़कों को ऊंची कर सकें। इस तरह से काम किये जायं तो गांवों को ऊंचा करने में भी हम मदद कर सकते हैं। इसके लिये फिर पैसे के लिये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर हमारे सूबे में तो काफी धनी मानी लोग हैं, क्या उनके ऊपर कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाया जा सकता ? जब कि देश के ऊपर इस तरह का संकट आया हो और करोड़ों आदमी भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं तो फिर जो करोड़पती और लखपती लोग हैं उनके घरों से कुछ रुपया निकाल लेना कोई अन्याय नहीं होगा। अगर सरकार कोई इस तरह का बिल लावे और उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर १०, २० करोड़ रुपये की रिलीफ के काम के लिये जरूरत हो तो हमारे देश के जो लखपती और करोड़पती लोग हैं उनके घरों से यह रुपया निकालने के लिये कोई विधेयक आना चाहिये और उस से सरकार को अपना काम चलाना चाहिये क्योंकि इस तरह से करोड़ों आदमियों को भूखों मरने नहीं दिया जायगा। और उस हालत में जब कि लोगों के पास लाखों और करोड़ों रुपये पड़े हुये हैं और हम ठेकेदारों से काम लेते हैं तो इसमें हमको प्रायरिटी देनी होगी कि लोगों को भूखों मरने से बचावें और इसके लिये हमको उनके घरों से रुपया लेना पड़ेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—जरा आप इसकी परिभाषा तो कर दें।

श्री गेंदासिंह—मैंने तो लखपती और करोड़पती कहा है, इसमें परिभाषा की कोई बात नहीं है। मैं तो समझता हूं कि माननीय 'ग्रामवासी' जी लखपति और करोड़पति को समझते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि गांवों को ऊंचा करने में हमारी काफी बड़ी रकम खर्च हो रही है। पिछले मर्तबा भी मैंने कहा था कि गांव को ऊंचा करने के काम में जरूरी है कि गांव के लोगों का सहयोग लिया जाय। मेरा अपना तजुर्बा है और मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी का जो विभाग है वह मालूम नहीं उनके आदेश की भी क्यों अवहेलना करता है और जितनी उनकी इच्छा होती है उसके विरुद्ध काम करता है। मुझे यह तजुर्बा है कि गांव वालों ने उनकी सेवा में भी कई चिट्ठियां लिखी हैं और मैं अभी भी १०, २०, ५० चिट्ठियां गांव वालों से लिखवा कर उनकी सेवा में भेजवा दूंगा। गांव के लोग कहते हैं कि हम गांव को ऊंचा करने को तैयार हैं, अगर इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की मदद हमको दिला दी जाय। और जो पैसा वे मुनासिब समझें मजदूरी के रूप में हम गांववालों को दे दें। उसको हम आपस में बांट कर अपनी गुजर कर लेंगे। लेकिन इंजीनियर्स और ओवरसियर्स मदद करने को तैयार नहीं हैं। वे लोग इस वक्त अपना हथकंडा भी कर रहे हैं। क्योंकि इस काम के लिये पहले से ठेकेदारों को काम दे रखा है। पहले गांव के लोगों को मालूम नहीं था इसलिये गांव के सभापतियों के दस्तखत आदि करा कर मंगा लिये गये और यह कह दिया गया कि फलां आदमी ठेकेदार बना दिया जाय। लेकिन जब गांव के लोगों को मालूम हुआ कि सरकार ने यह फैसला किया है कि गांव वाले भी इस काम को ठेके पर करा सकते हैं तो वे लोग चाहते हैं कि वह भी इस काम में सहयोग करें। तो मेरा कहना यह है कि गांव के लोगों को यह काम दिया जाय क्योंकि मजदूरी ठेकेदार लोग बहुत कम देते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इस काम में मदद करे और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि असेम्बली से छुट्टी मिलने के बाद लोगों के बीच में जा कर इस बात की कोशिश करूंगा कि वे लोग उन कामों में मदद करें, लेकिन जब इंजीनियर्स और ओवरसियर्स गांव वालों की मदद नहीं करेंगे तो यह काम नहीं हो सकेगा। तो मैं खास तौर से यह बात कहना चाहता हूं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे गांव वालों को तो रोजी मिलेगी ही, और इससे सरकार का बोझ घटेगा।

**श्री चरणसिंह**—एक बात मैं पूछना चाहता हूं ताकि मालूमात हो जाय जिससे जवाब देने में आसानी होगी। आप को कितने इंजीनियर्स और ओवरसियर्स दे दिये जायं ताकि ये ५० हजार गांव जो अफेक्टेड हैं उनके लेविल को लोग ७ दिन के अन्दर ही रेज कर दें?

**श्री गेंदासिंह**—मैं समझ नहीं पाया मंत्री जी की बात, वह जरा फिर से दोहरा दें।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय राजस्व मंत्री फिर से स्पष्ट कर दें।

**श्री चरणसिंह**—माननीय गेंदासिंह जी अभी यह कह रहे थे कि उन को ओवरसियर्स और इंजीनियर्स दे दिये जायं और वह सब गांवों का लेविल आनन-फानन में बिना छिन पल लगाये ठीक करा देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने इंजीनियर्स और ओवरसियर्स उन को दे दिये जायं ताकि वह उन ५०,००० गांवों का लेविल आनन-फानन में, घड़ी की चौथाई में ठीक करा सकें।

**श्री गेंदासिंह**—इसमें माननीय मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सुनने में गड़बड़ हुयी। मैंने यह कहा था कि वह जितने भी इंजीनियर्स हैं वह गांववालों का सहयोग लें और गांव वालों का सहयोग ले कर. . .

**श्री अध्यक्ष**—आप उनके हस्तकौशल को न देखें, आप भाषण जारी रखें।

**श्री गेंदासिंह**—अगर ओवरसियर्स कम हैं तो इंजीनियर्स खुद कहते होंगे कि वह कम हैं। ओवरसियर्स बढ़ाये जायं हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जितने भी इंजीनियर्स हैं उन को गांववालों की सहयोग से ठेकेदारी की प्रथा को खत्म कर के काम लिया जाय और ठेकेदार बीच से हट जायेंगे तो पैसा गांव वालों के पास आ जायगा।

[श्री गेंदासिंह]

स्कूलों के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि ५,००० रुपया फीस माफी के सम्बन्ध में दिया गया है। जो स्कूल आज ऐसी हालत में हैं कि जो अध्यापकों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और वहां अध्यापकों को बहुत दिक्कत हो रही है, इस लिये जहां भी फीस माफ हो रही है और जिस मास की भी माफ हो रही है वह समय से वहां पहुंचनी चाहिये जिससे अध्यापकों को वेतन आदि समय से मिले। दूसरे कुछ गांवों में वाटर लागिंग हुआ है, जहां वाटर लागिंग हुआ है वहां जब पानी भरा है तो फसल कहां रह सकती है? उन गांवों को भी सहायता में शामिल करना उचित है ताकि वहां के लड़कों की भी फीस माफ हो सके। इस सम्बन्ध में एक और बात है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसा मालूम हुआ है कि अभी सहायता या फीस माफी की मांग नहीं की है। जिन्होंने अभी तक मांग नहीं की है उनसे मंत्री जी को कहना चाहिये कि अगर उन के यहां बाढ़-क्षेत्र के लड़के पढ़ते हैं तो वे उनके लिये सरकार को लिखें तो उन को सहायता मिल सकती है, और अगर वह लिखें तो उन को भी सहायता मिलनी चाहिये और उनकी फीस माफी होनी चाहिये, हमारे लिखने से मंत्री जी के लिखने का अधिक प्रभाव हो सकता है, लिखने को तो मैं भी लिख सकता हूं।

कुछ संस्थाओं के बारे में भी मैं कहूंगा कि वह लावारिस सी हैं, उनके बारे में मैं जोर देना चाहता हूं और फिर दोहराता हूं कि गिरे हुये मकानों के सम्बन्ध में जब सहायता की जाय तो उन संस्थाओं की इमारतों का भी ध्यान किया जाय क्योंकि जहां मकान गिरे हैं वहां लोग अपने ही मकान बनाने की फिक्र में हैं, वही नहीं बन पा रहे हैं, संस्थाओं के मकानों की किस को ऐसे समय में सुध है। मैं समझता हूं उनको बनाने के लिये भी कुछ प्राविजन होना चाहिये। मंत्री जी ने इस प्रकार की संस्थाओं की सहायता की कोई बात नहीं बताई है। मकान बनाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने हमें विस्तार से समझाने की कोशिश की लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि वह कहते हैं कि हम एक नकशा बना कर भेज देंगे, गांव वाले चाहें तो उस तरह से बनावें। एक समस्या वहां की यह भी है कि बाढ़ से ही केवल गांवों के मकान बरबाद नहीं होते, वह आग से भी हर साल जला करते हैं और चैत, बैसाख और ७–८ मास तक आग की मुसीबत रहती है। ठीक आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं कि आग से कितने मकान हर साल जलते हैं लेकिन काफी संख्या ऐसी है सरकार से हमारी यह दरख्वास्त है कि कोई मकान का ऐसा नकशा हो सस्ते से सस्ता जो आग और पानी दोनों से बच सकें, चाहे वह टीन का हो चाहे सीमेंट की पटरियों का हो, किसी एक्सपर्ट की सलाह से बनाया जाय, हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं लेकिन अगर कोई सस्ते तरीके का नकशा बन जाय तो ऐसे मकानों को बनवाने के लिये लोगों को एन्करेज किया जाय। अगर सारी जगहों पर न हो सके तो एक्सपेरीमेंटल तरीके पर कुछ जगहों पर इस काम को किया जाय। जहां पर किसी गांव के कुछ घर बहे और कुछ रह गये हैं वहां पर तो उनको आजादी हो चाहे जिस तरह के मकान बना लें लेकिन जहां गांव बह गये उनको यदि इस वक्त ठीक से बनाने और बसाने की व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि काम जो होगा वह स्थायी होगा और इसके साथ ही सरकार की वह परेशानी भी कि काम कहां से लायें वह भी हल हो जायगी। इस तरह से लोगों को मकान बनाने में काम मिल सकता है। लेकिन इस सिलसिले में जो रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है, मुझे क्षमा किया जाय, वह बिलकुल नगण्य है। करोड़ों की तादाद में मकान गिरे हैं। साढ़े तीन लाख तो उस वक्त थे और अब उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो मैं तो यह इस वक्त नहीं कह सकता कि कितनी तादाद उनकी है लेकिन इधर जो सितम्बर में पानी है उसमें २५ फीसदी से कम मकान किसी गांव में नहीं गिरे और आंशिक रूप से कितने मकानों की बरबादी हुयी उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। पहले मकानों की ठीक संख्या तो मालूम हो ताकि हम उनकी मदद कर सकें। इस सिलसिले में मैं यदि बिहार की बात करूंगा तो माननीय मंत्री जी दूसरी तरह का जवाब देंगे। बहरहाल वह बात छोड़कर मैं एक सुझाव दूंगा कि ऐसे लोग जो मकान बनाने में असमर्थ हैं उनको तो मकान बनाने की सहायता मुफ्त दी जाय। रुपये की शक्ल में मैं नहीं कहता हूं लेकिन जंगल की घास जो छप्पर छाने के काम में आ सके और बल्लियां और इसी प्रकार से बांस वगैरः दूसरी

जगहों से मंगा कर उनको दिये जायं और इस काम में हम लोग स्वयं जुटना चाहते और जो सेवा हमारी हो सकती है उससे हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। कुछ लोग जो मकान पक्के बनवाते हैं उनको ५० रुपये या १०० रुपये की तकावी अगर दी जायगी तो उससे मकान नहीं बन पायेगा। हम नहीं कहते हैं कि जो मकान बना सकते हैं उनको यहां से बड़ी-बड़ी रकमें दी जावें। लेकिन जो मकान बनाने में असमर्थ हैं उनको यहां से इतना कर्जा दिया जाय जिसमें वह मकान बना सकें। यह रकम जो तकावी की होगी बड़ी भारी होगी छोटी रकम नहीं है। इसलिये कि मकान बनानेवालों को मुफ्त मकान बनाने की सहायता देने में बड़ी रकम देने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी जिलों में जो पानी बरसा है तो उनकी मुसीबत यह है कि वहां नीचे भी पानी है और ऊपर से भी पानी बरसा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जितनी सहायता और जितनी देख-रेख उनकी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। लोगों को इससे बड़ा कष्ट है और खासतौर से जहां यमुना और हिंडन नदी का जो दोआबा है उस हिस्से के लोग हैं उनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है कि वे किस मुसीबत में हैं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं सोचता हूं कि इसके लिये तुरन्त ऐसी व्यवस्था होगी कि हम उनकी हालत जान सकें और हम उनको किसी तरह से भी मुसीबत से निकाल सकें।

**श्री चरणसिंह**--जो मैंने बयान किया उसके अलावा क्या होना चाहिये ?

**श्री गेंदासिंह**--कहीं से अगर नावों की व्यवस्था हो सकती है तो राजस्व मंत्री को नाव पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। यू०पी० में इधर से नाव की व्यवस्था तो हो नहीं सकती क्योंकि बनारस से नाव बुलन्दशहर बहुत देर में पहुंचेगी। दिल्ली की गवर्नमेंट से कहिये वह शायद कुछ कर सके ताकि उनको किसी तरह से पानी में से निकालने की व्यवस्था हो सके। मिलिटरी के पास नाव हों तो उन नावों को लेकर मदद पहुंचाये। यह मेरी समझ में बात आती है। फिर उनके बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं वे भी बतला सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं और वह यह कि ये जो सारे आफिसर्स हैं हमारे माल महकमे में, यह मैं मानता हूं कि उनको और भी काम करने पड़ते हैं और उन कामों की वजह से इस काम में बड़ी क्षति पहुंचती है और इस काम से वे फिर महरूम रह जाते हैं मदद पाने वाले, तो मैं यह सोचता हूं कि जब इस तरह से एक गैर-मामूली हालत पैदा हो गयी है उस हालत में जिस तरह से स्केयरसिटी आफिसर्स सरकार मुकर्रर करती है उसी तरह से इस वक्त बाढ़ से आयी मुसीबत को दूर करने के लिये सरकार को सारे आंकड़े को इकट्ठा करवाने के लिये कुछ स्पेशल आफिसर्स मुकर्रर करने चाहिये जो केवल इसी काम को करें और इस काम को कर के वे ज्यादा सही इत्तिला सरकार के पास पहुंचा सकें।

मकानों को ऊंचा करने के सिलसिले में मैं एक बात उनको जरूर बतलाना चाहता हूं। शायद उनको यह गलत इत्तिला मिली है कि ४०० गांवों को ऊंचा करने का काम मुकम्मल हो चुका है। मैं माननीय राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों को एक दिन जबरदस्ती पकड़ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वैसे मेरे कहने से नहीं जायेंगे, चाहे बाद में मुकदमे में फंस जाऊं, लेकिन दोनों को पकड़ूंगा और कहूंगा कि आप लोग कृपा करके हमारे साथ चलिये और किसी एक गांव को जो इंजीनियर साहब बतलायें कि वहां का काम मुकम्मल हो चुका है, उसे गांव को देखने के लिये चलें और फिर मैं उनसे कहूंगा कि अब आप बतलाइये कि यह गांव के मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है ?

**सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--आप देवरिया की बात कह रहे हैं या किसी और जिले की बात ? इन ४०० गांवों में से कुछ बस्ती और कुछ गोरखपुर में काम मुकम्मल हुआ है, देवरिया में जहां तक उंचा करने की बात है ८ गांव वहां पर ऊंचे हो चुके हैं और अगर आपकी सहायता मिलेगी तो बाकी भी ऊंचे हो जायेंगे।

**श्री गेंदासिंह**--४०० गांव जो राजस्व मंत्री ने बताये थे उनमें जिले का नाम नहीं लिया था।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैंने अर्ज किया था, लिखा हुआ मौजूद है, ५६० गांवों पर काम हो रहा था तीन जिलों में और उनमें ४०० पर काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपकी इजाजत से पूछता हूं, नेता विरोधी दल से, कि वे बतलायेंगे कि इसमें कहां पर गल्ती है, वह देवरिया को ज्यादा समझे ?

श्री गेंदासिंह—उन्होंने स्पष्ट करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। राजस्व मंत्री हमारी बात इस खूबसूरती से कहते हैं जिससे फिर हमारा काम चल जाय। उन्होंने डिफेंड किया माननीय सिंचाई मंत्री जी को लेकिन वास्तव में डिफेंड किया मुझको ५६० गांवों में से ४०० गांव मुकम्मल हो जाने पर १६० गांव रह जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि १६० गांव जिस जिले के हैं, गोरखपुर के हैं या देवरिया के हैं या बस्ती के हैं। इन आंकड़ों के चक्कर में तो मैं इस वक्त नहीं जाता क्यों कि वक्त खराब होगा। यह गुस्ताखी मैंने जरूर की जो कहा 'पकड़ूंगा' तो उसे अब भी वापस नहीं लेता। इस बात को मैं मानता हूं कि बस्ती के गांवों को मैंने नहीं देखा है लेकिन मैं यह जरूरत कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से इन गांवों को देखें कि जो भराई हो रही है इन गांवों में, जो नकशा माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया है वह नक्शा हमारे मरने वालों का नहीं है। वे मकान के नजदीक से ही मिट्टी खोद कर नीची जगह पर फेंक देते हैं। २० फुट मिट्टी बाहर से लाने के लिये कहा गया तो ४, ५ फुट मिट्टी भीतर से ही इकट्ठी करके भर देते हैं। और जब पानी बरसता है तो उसके बाद मकान फिर गिरता है। इसलिये मैं कोई इस बात के लिये नहीं कहता कि दोषदर्शन करूं, सरकार की जानकारी के लिये कहता हूं कि सरकार जिन गांवों को मुकम्मल बताती है, उनको जरा एक बार देखने की कोशिश करें, हमको भी दिखा दें तो बड़ी कृपा होगी।

आखिर में मैं एक बात कह कर बैठ जाऊंगा कि अगर कोई कड़ी बात मैंने कह दी हो तो माफी चाहूंगा कि यह शिकायत रफा नहीं हो सकती चाहे वह मकानों के काम में हो चाहे सहायता देने के काम में चाहे और सारी कार्यवाहियों में या अनुमान लगाने में, मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से और खासतौर से माननीय राजस्व मंत्री जी जो इस बात को जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते, जरा हमको और दो-चार और माननीय सदस्यों को वह एक मर्तबा मेहरबानी करके माननीय राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री भी रहें जो बड़े एकसपर्ट हैं जानकारी करने में। मैं भी कुछ सीखूं उनके साथ और दो-चार आदमी उन्हीं की इच्छा के मुताबिक रहें, वे भी सीखें। और जरा जो यह अनुमान लगाया है उसका ठीक अनुमान लगायें। रिलीफ का काम जो आगे के लिये करना है उस पर भी थोड़ा विचार कर लें। लोगों की वहां बात सुन लें और फिर अगर हमको नकशा देना चाहें तो वह ज्यादा सहायक होगा। हम यहां बैठ कर यह बात सही है कि हमारे माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं वह जो चित्र वहां का रखते हैं, मैं कहता हूं तो उसको बढ़ा कर कह दूं, लेकिन और लोग तो बढ़ा कर नहीं कह सकते। उनकी बात माननीय राजस्व मंत्री जी मानेंगे। बहस हम तो कर चुके उससे आखिरी फैसले में कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ता। मैं तो बड़ा पाजिटिव सजेशन दे रहा हूं। टैक्स लगाने का। सरकार सोचे, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले पता लगायें कि कौन सा टैक्स लगा कर रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। जिनके मैंने नाम बताये हैं उनको भी ध्यान में रखें। लेकिन सचमुच जितनी बड़ी प्राबलेम है, उसको भी समझ लें, बगैर उस प्राबलम को समझे हुये, हम उनकी सही मानी में सहायता नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना है। वह यह है कि इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिये टाइम लिमिट कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं तय करता हूं कि दस मिनट से अधिक भाषण न दें। कई लोग मुझसे प्रार्थना कर चुके हैं, दस दस मिनट काफी होगा। और ज्यादातर भाषक साहित्यपूर्ण भाषा न बोलें और माननीय सदस्य सुझाव की तरफ ज्यादा ख्याल करें, बार-बार वाक्यों को पर्यायवाची शब्दों को बदल-बदलकर सुन्दर बनाने की कोशिश न करें, तो दस मिनट में हो जायगा।

तो दस मिनट का समय मैंने निश्चित किया है।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माल मंत्री जी के भाषण को सुनकर जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों को इस सदन के समक्ष उपस्थित करते हुये, और समस्त उत्तर प्रदेश के बाढ़-ग्रस्त जिलों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है, जी चाहता है कि सिवा समर्थन करने के और एक भी बात सदन के समक्ष न कही जाय। साथ ही विरोधी दल के नेता के भाषण को भी सुन करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उन्होंने कुछ सुझाव के साथ माननीय माल मंत्री जी के भाषण का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि इस प्रान्त के बाढ़ पीड़ित जिले जो हैं वह आजकल बहुत कष्ट और विपत्ति और नाना प्रकार की मुसीबतों से गुजर रहे हैं। करोड़ों रुपये से यह सरकार मदद करने को तैयार है और अगस्त महीने के पहले जब हमारे इस सूबे में घनघोर वर्षा हो रही थी, बाढ़ से लोग परेशान थे। तो भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हर तरह से, जहां बाढ़ आयी हुयी है हर जिले में पहुंच कर या केन्द्र में पहुंच कर वहां की बाढ़-पीड़ितों की स्थिति की जानकारी हांसिल की। विभिन्न तरीके से, जितना भी सरकार के लिये सम्भव था, मदद करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सन् ३७ से लेकर इस समय तक बाढ़ का जब-जब प्रश्न यहां आया तो हम लोगों ने अपने भावों को प्रकट किया। उस जमाने से अगर आज के जमाने की तुलना की जाय तो यहां के बाढ़-पीड़ितों की मदद करने के जो साधन सरकार ने उपलब्ध किये हैं उसमें तब से काफी अन्तर है। नावों को पूरा करने की काफी कोशिश की गयी। बाढ़-पीड़ितों की जो खाने-पीने की दिक्कत थी उसको खाना पहुंचाने की कोशिश की और इसके अलावा लगान और मालगुजारी और तकावी देने की भरपूर कोशिश की गयी। लेकिन जहां करोड़ों की बातों को हम सुनते हैं, समाचार-पत्रों में भी पढ़ते हैं, वह रकम छंटते-छंटते इतनी कम होकर जिलों में पहुंचती है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि वह करोड़ रुपया कहां गया और इन बाढ़-पीड़ितों की जेब में ४–५ रुपया तक ही पहुंच पाया? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम मकान के बनाने के लिये रुपया देते हैं और एक लम्बा-चौड़ा खाका और आंकड़े हमारे सामने देती है, जो लोग अभ्यस्त नहीं है देखने के वहां की स्थिति को, वह अगर इस परचे को देखेंगे तो सहसा उनके मन में यह भाव पैदा होगा कि सरकार काफी रकम दे रही है और बाढ़-पीड़ितों की भूख के निवारण में काफी सहायता मिल रही है। लेकिन अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने और इस सदन ने निश्चय किया था कि ८-९ रोज के अन्दर प्रतिनिधिगण अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें। वास्तविक जो स्थिति है उसको समझ करके यहां लावें और इस सदन में एक दिन बाढ़ के वास्ते विचार विनियम कर लिया जाय ताकि वास्तविक स्थिति को जान करके जितना सम्भव हो सके मदद कर सकें करें लेकिन यह लाखहा रुपया जो जिलों में पहुंचता है, मैं नहीं जानता, माल मंत्री जी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या वह इन्सटालमेंट में देते हैं जिसकी वजह से जितना रुपया वहां पहुंचना चाहिये, समय से नहीं पहुंच पाता है।

मेरा निज का अनुभव है अपने जिले में, कि हमारे यहां एक कान्फ्रेंस की गयी थी। फ्लड के जो इन्चार्ज थे उनको भी बुलाया गया था बस्ती जिले में। उनके सामने यह सारा ब्योरा बतलाया गया। मैं भी नौगढ़ बांसी तहसील में था और ५–५ रुपया मकान बनाने के लिये बाढ़-पीड़ित लोगों को बांटा गया, जबकि मिनिमम एमाउन्ट एक मकान बनाने के लिये २५०रु० है। यह सबको मालूम है। तो मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि मिट्टी की एक दीवार भी खड़ी की जाय, उसकी लम्बाई-चौड़ाई कुछ भी हो, उसकी तामीर में ५ रुपया क्या हो सकता है? तो अनुमान यह किया जाता है कि शायद एक लाख या दो लाख या ९–१० लाख रुपया बस्ती जिले को एक मुश्त दिया गया। तो इंस्टालमेंट्स में वह गया और तहसीलों और कस्बों और गांवों में पहुंचते-पहुंचते चन्द रुपयों में रह जाता है। तो इच्छा तो सरकार की है और माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय माल मंत्री, इरिगेशन मंत्री की इच्छा यह है कि हम बाढ़-पीड़ितों के कष्ट का निवारण करें, लेकिन वह ५ रुपये से कैसे सम्भव हो सकता है? वह क्या उससे मकान बनवा सकता है? वह नंगा और भूखा आदमी तो बाजार में जायगा। उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

खरीफ की फसल तो होने वाली नहीं है, जो पुरानी रबी की फसल बच रही है, या जो मजदूरी करते हैं उसी से अपना वक्त काटते हैं। वह तो बाजार में जाता है और तम्बाकू नमक खरीद लेता है। उसी में मकान बनाने वाली रकम खर्च होती है। यह मुबालगे की बात नहीं है। मालमंत्री जी तो उधर गये नहीं, ऋषिकेश की तरफ वह गये। पूर्वी जिलों की तरफ नहीं गये। वहां वास्तविक स्थिति देखने के लिये नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे होते तो उनको मालूम होता। बाढ़ चली जाती है, लोग परेशान हाल हो जाते हैं। इस वक्त अगर माल मंत्री जी गये होते तो देखते कि उनके नीचे के अहलकारान के सामने क्या मुसीबत है। जमाबन्दी, खसरा, खतौनी, ये शैतान की आंत हो गय हैं। लेखपाल नहीं पहुंच पाते हैं। कार्यकर्ता अगर कहीं पहुंचते हैं तो बगैर तसदीक के तो मकान बनाने की तकावी एस०डी० ओ० साहब दे नहीं सकते। एस०डी०ओ० अभी भी पतलून पहनने वाले साहब हैं। वे मूसलाधार बारिश में बाहर जा नहीं सकते। इसलिये मैं एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। यों तो हमारे यहां बहुत से गांव ऊंचे किये गये मैं आभारी हूं, मैं कृतघ्न नहीं हूं। सरकार ने जो कुछ हमारी मदद की गांवों को ऊंचा करने में उसके लिए मैं आभारी हूं। हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने भी ४–५ सौ गांवों को ऊंचा करने में बड़ी मदद की। उस वक्त वहां के लोगों के पास कोई और साधन नहीं था और उन्होंने मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण किया। उसके लिये हम सब आभारी हैं। लेकिन तकावी के रूप में जो मदद मिली, वह पर्याप्त नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को पकड़ कर नहीं, उनसे अनुनय-विनय करके यह चाहता हूं कि वे खुद अपनी आंखों से वहां की हालत देखें तो सम्भव है हमारी प्रार्थना सार्थक हो। यह सारा भार माल महकमे पर छोड़ दिया गया है। विभागों में कोआर्डिनेशन बहुत कम है। आपके लेखपाल और पंचायतों के मंत्री भी दिखायी नहीं पड़ते हैं। मुझको कोई हर्ष नहीं होता है, निन्दा करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर इस सदन के समक्ष मैं नहीं कहता हूं तो जो लोग दुखी हैं उनके दुख का निवारण करने में मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा। इसलिये संक्षेप में मैं माल मंत्री को आमंत्रित करता हूं उस जिले के लिये, जहां पर ८० इंच बारिश इस वक्त हुयी है। मुझको दुःख है कि जहां पर ५ सौ, ४ सौ या हजार गांव डूबे हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह है, वहां सत्तू भी मिला, चावल भी मिले, लेकिन हमें केवल चने पर ही संतोष करना पड़ा! हम तो ज्यादा प्रचार करते नहीं हैं उस तरफ आपकी निगाह नहीं पहुंचती है इस वजह से कि श्रीमान् खुद नहीं गये। अगर गये होते तो बहुत सम्भव है कि उस बस्ती जिले की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जह होती। ज्यादा न कह कर उन छेहों तहसील, जो कि हमारे बस्ती जिले की हैं और इसके साथ-साथ पूर्व के जितने बाढ़-ग्रस्त जिले हैं, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर और फैजाबाद यहां के तमाम बाढ़ग्रस्त भाइयों की जो तकलीफ है उसको कम कराने के लिये मैं याचना श्रीमान् से करता हूं और ५ करोड़ से हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इतना हमको दीजिये जिससे हमारी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इतना ही मुझे संक्षेप में निवेदन करना है।

**श्री देवनन्दन शुक्ल** (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो चित्र माननीय माल मंत्री ने सदन के सामने बाढ़ और बाढ़ से जनित परिस्थिति का रखा है वह यथार्थ बात से ओत-प्रोत है। और जो भावना सरकार ने इस बाढ़ पीड़ित जनता के प्रति प्रकट की है वह उनकी सच्ची भावना है और जनता के दुःख में सरकार और सरकार के कर्मचारी उनके दुर्दिन के दिन मौके पर पहुंच कर उनकी सुधि ली। जो आंकड़े माल मंत्री ने सदन के सामने पेश किये हैं वे आंकड़े कुछ कमोवेश कर के सत्यता के पड़ोस में हैं। लेकिन मैं माल मंत्री जी की इस राय से सहमत नहीं हूं जब कि उन्होंने कहा था कि करीब २२ हजार गांव बाढ़ से पीड़ित थे, और यह आंकड़े २२ हजार के जब कि पिछली बार बाढ़ पर चर्चा हुई थी उस सिलसिले में मालमंत्री ने कहा था। किन्तु सितम्बर मध्य की जो अतिवृष्टि हुई, उससे या उसके वाटर लागिंग से गांव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस अतिवृष्टि से भंयकर क्षति

हुई। इस सिलसिले में यह कहना असंगत न होगा कि अभी जब कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय ढेबर जी देवरिया जिले में गये तो देवरिया की कांग्रेस कमेटी ने उनको एक मान-पत्र दिया था, उसमें जिक्र किया था कि २० हजार घर बाढ़ से ध्वस्त हो गये हैं और यह आंकड़े कांग्रेस कमेटी ने सरकारी आंकड़ों से लिये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिले में करीब २० हजार घर गिर जायं, धराशयी हो जायं, और उस जिले की सहायता के लिये, जो आंकड़े दिये हैं, मरम्मत के लिये सिर्फ २० हजार रुपया दिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सरकार के सामने सच्ची बात लाना चाहता हूं कि इस सहायता से उस जिले की दुखित जनता की क्या सहायता हो सकती है? जो रकम दी गयी है वह बिलकुल नाकाफी है और जो टोटल यानी योग दिया गया है और देवरिया को जो दिया गया है मुझे मालूम नहीं कि यह आंकड़े १२ अक्तूबर तक के कब से हैं? लेकिन मैं अनुमान करता हूं कि इस वर्ष के बाढ़ के आंकड़े हैं और बाढ़-ग्रस्त लोगों की मदद के आंकड़े हैं, उस का आंकड़ा केवल साढ़े ग्यारह लाख रुपये का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि २२ लाख की जनता के लिये ११ लाख रुपये की मदद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। सरकार की दलील है कि काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं भी इसी बात को मानता हूं और सरकार के पास कोई कारूं का खजाना नहीं है। बाढ़ और बाढ़ जनित परिस्थिति सरकार के लिये सिर दर्द है, लेकिन इस सिरदर्द की जिम्मेदारी सरकार ने अपनी ऊपर ली है और उस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना है। जनता अत्यन्त दुखी है।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की बाढ़ और अतिवृष्टि लगातार जून के तीसरे हफ्ते से लेकर अब तक बराबर होती चली आई और बाढ़ जुलाई के तीसरे-दूसरे हफ्ते से शुरू हो कर अब तक बाढ़ का सिलसिला जारी है। सितम्बर में जब लोगों की फसल पक कर तैयार हुई और कटने को थी, और कुछ कट कर खलिहान में चली गयी तो इतनी अतिवृष्टि हुई कि सारी की सारी फसल नष्ट-भ्रष्ट हो गई और अभी तक पानी खेतों में रुका है, जैसा कि माननीय माल मंत्री जी ने जिक्र किया कि आज तक एक बार भी हल से खेत नहीं जोते गये! जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि अगली रबी की फसल बिलकुल नहीं बो सकते। क्या भंयकर परिस्थिति उन किसानों की होगी, इसका अनुमान करना अत्यन्त ही कठिन है। इस सिलसिले में इतना ही निवेदन करना जरूरी है कि इस प्रदेश में जितनी शुगर मिल्स हैं उनमें से आधी मिलें, करीब ३२ के गोरखपुर कमिश्नरी के अन्दर हैं। ईख की फसल लगातार चार महीने तक पानी बरसने के कारण बहुत हद तक उकट गई हैं, नष्ट हो गई हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में एक बहुत बड़ी फसल ईख की होती है और उस से वहां के किसानों को काफी पैसा मिल जाता था लेकिन वहां भी अन्य फसलों के नष्ट होने के साथ-साथ ईख की फसल भी कम से कम ५० फीसदी नष्ट हो गई, उकट गई, सूख गई और जो बची है उस में रस का परसेंटेज बहुत कम आयेगा। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि यह बाढ़ और बाढ़-जनित परिस्थिति सरकार के लिये सिरदर्द है लेकिन इसको हल करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है।

मैं चन्द सुझाव इस सिलसिले में देना जरूरी समझता हूं। सरकार को यह अनुभव हुआ है कि गत वर्ष कुछ गांव ऊंचे किये गये। जो गांव ऊंचे हुये उन गांवों के किसानों को काफी राहत मिली और प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस बात के आर्डर इश्यू कर दिये हैं कि करीब १, डेढ़ या दो हजार गांव ऊंचे किये जायं। इस सिलसिले में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के सहयोग से, जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से गांव को ऊंचा करने में जो पैसा खर्च किया जाय वह किया जाय अच्छी तरह से। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी जो पैसा खर्च करते हैं उस में आज उनकी ईमानदारी और चरित्र सन्देह से परे नहीं है। इसलिये जनता के विश्वास को प्राप्त किया जाय और आगामी वर्ष के लिये उनको इतनी तकावी दी जाय कि वे बीज खरीद सकें, बैल खरीद सकें और अपने लिये मकान बनवा सकें। टेस्ट वर्क बड़े पैमाने पर कराया जाय।

**श्री चरणसिंह**—किस के जरिये से तकसीम कराई जाय? सरकारी कर्मचारी तो सब बेईमान हैं।

**श्री देवकीनन्दन शुक्ल**—मैं सब को नहीं कहता। मैं कहता हूं कि सन्देह से परे उनका चरित्र नहीं है और मैं अपनी बात पर कायम हूं। कुछ का चरित्र सन्देह से परे नहीं है। इसलिये इस बात की कोशिश की जाय कि जनता का जो पैसा खर्च हो वह अच्छी तरह से हो और जनता को सन्देह न हो। मैं हरगिज नहीं कहता कि सब के सब कर्मचारी इस तरह के हैं लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं।

तो आगे के लिये जो तकावी दी जाय उसमें बीज के लिये, मकान के लिये, बैलों के लिये अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये ताकि जनता को राहत मिल सके।

## प्राक्कलन समिति के उपनिर्वाचन के विषय में सूचना

**श्री अध्यक्ष**—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आज तीन बजे तक एस्टीमेट्स कमेटी के लिये जो दो सदस्यों का चुनाव होने वाला था उनके लिये १० सदस्यों के नाम आये थे और नाम वापसी का समय आज ३ बजे तक का है, और अभी तक उनके नाम वापस नहीं हुये हैं। मुझे यह बताया गया है कि संभावना इस बात की है कि नाम कुछ वापस हों और चुनाव की आवश्यकता न पड़े, इसलिये इसको मैंने १८ तारीख कर दिया है। नाम वापस लेने का समय १८ तारीख को ३ बजे तक होगा। यदि चुनाव की आवश्यकता इसके बाद भी पड़ी तब कोई तारीख नाम वापसी की दुबारा नहीं बदली जायगी और २० तारीख को ही चुनाव होगा। २० तारीख को चुनाव का समय कौन सा होगा और स्थान कौन सा होगा यह मैं बाद में बता दूंगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री महीलाल की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद (क्रमागत)

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन के सम्मुख बाढ़ की परिस्थिति पर विचार हो रहा है। आज से पूर्व भी सदन में समय समय पर प्रश्नोत्तर काल में भी इस बाढ़ की चर्चा होती रही है। मैं भी एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निवासी हूं और आज ही मैं अपने क्षेत्र में हो कर आ रहा हूं। पेश्तर इसके कि मैं अपने जिले में बाढ़ के हालात बयान करूं, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि सरकार का और माननीय मंत्री जी का प्रथम तो यही विचार रहता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बाढ़ नहीं आती है। और यदि बाढ़ भी आती है तो वह भयानक नहीं होती। यह दूसरे नम्बर की बात है कि यदि बाढ़ आये तो उसमें किस प्रकार से सहायता की जाती है यह आज के सरकारी आंकड़ों से साबित है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पहले इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे इन पश्चिमी जिलों में जमुना नदी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है जिसका पश्चिमी किनारा प्राकृतिक रूप से कुछ ऊंचा है और पूर्वी किनारा सभी जिलों में इतना ढालू है कि प्रायः जमुना की बाढ़ से भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। सन् २४ की बाढ़ की कहानी हमारे बुजुर्ग आज भी नहीं भूले हैं। सन् ३४ में जो जबरदस्त बाढ़ आयी थी वैसी ही हालत आज भी है। इधर तो अभी अतिवृष्टि है और उधर बाढ़ की भी सीमा नहीं है। सन् ३४ के बाद सन् ४७ में भी बाढ़ अपनी सीमा को पार कर गयी, मगर आज सन् ५५ में जो बाढ़ हमारे जिले और खास कर गाजियाबाद तहसील में आयी है उस को आंखों से देखने के बाद भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यह बाढ़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सन् ३४ और ४७ से ज्यादा है या नहीं? क्योंकि इस साल हालत इतनी भयानक है कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में रेलवे लाइन में ब्रीच हो गया। दिल्ली राज्य द्वारा बनाये गये ओखला बांध में ब्रीज हो जाने से इतना पानी जमा हुआ कि जमुना के पश्चिमी किनारों को पार कर गया और दिल्ली शहर में घुस गया! ७ तारीख को जब मैंने यह पढ़ा कि दिल्ली में पानी घुस गया तो मुझे यह निश्चय हो गया हमारे जिले के गांव अब नहीं बच सकते क्योंकि वह काफी नीचे हैं। मैं उसी रोज यहां से गया और दो दिन तक बराबर बाढ़ के किनारों को गांवों की हालत को जानने की कोशिश करता रहा। मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि मेरे जिले के जिलाधीश और वहां के चकबन्दी अफीसर तथा तहसीलदार ने वहां बहुत ज्यादा दौड़ भाग की है और लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। जो सरकारी सहायता हमारे जिले को एक हजार रुपये की बतायी गयी वह चना और गुड़ के नाम से अब तक बंट गयी होगी, लेकिन जो भारी कठिनाई हमारे क्षेत्र और हमारे जिले की है वह यह है कि जमुना के परली तरफ खुश्की इलाका होता है। आज गांव की हालत जानने में बड़ी भारी कठिनाई है। मेरे जिले के अन्दर जितने भी गांव हैं, काली नदी और नरौरा के किनारे के, दनकौर से और हिंडन के इलाके की स्थिति बड़ी भयानक है। धनकौर से ले कर जमुना के उस तरफ कहीं-कहीं पन्द्रह-पन्द्रह मील, दस-दस मील की चौड़ाई में केवल पानी ही पानी नजर आता है। गांव के लोग जो बहुत थोड़ी तादाद में बाढ़ से निकल सके हैं उनकी हालत जैसी है उसे वर्णन करने की यहां आवश्यकता नहीं है। हमारी तरफ सत्तू खाने का रिवाज नहीं है, इसलिये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस मौके पर चने और गुड़ से ही उनकी कुछ सहायता की जा सकती है। मैंने बगैर दांत के एक बूढ़े और बुढ़िया को साबुत चना निगलते हुये देखा। इसके अलावा जो आज बाढ़ की विशेष तरिस्थिति है, हमारे पुराने बजुर्गों का कहना है कि जिन दिनों में बाढ़ होती है उन दिनों में अब तक कभी वर्षा नहीं हुई। लेकिन इस साल हालत यह है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में वर्षा भी खूब हो रही है जिससे यहां पहले लोग ऐसी मुसीबत के मौकों पर अपने रिश्तेदारों आदि के यहां जगह और पशुओं के लिये चारे आदि की सहायता लिया करते थे वहां उनकी हालत जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। गांव की आबादी गिर चुकी है, फसल बरबाद हो चुकी है और जो लोग बाढ़ पीड़ित इलाकों में शरण लेने को रुके हुये हैं उनकी हालत रात दिन वर्षा होने की वजह से खराब हो गयी है तथा उनकी कठिनाई और भी बढ़ गयी है। मैं माननीय माल मंत्री जी से और अपनी इस सरकार से यही कहूंगा कि हमारे जिले की, हमारे इलाके की जनता की मांग है कि फौरन् हमको सिरकी दी जाय क्योंकि सरदी का मौसम आ रहा है, उस समय हम अपने बच्चों को सिरकी के नीचे तो रख सकें। उन्होंने कम्बल की भी मांग की है क्योंकि जाड़े में और इस बरसात में उनको उससे सहायता मिलेगी। जो बीज, खाद और तकावी आदि की बात होती है उसका इन्तजाम तो हमेशा बाढ़ के इलाके में होना ही चाहिये?

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने बाढ़ पीड़ित इलाकों को स्कूली बच्चों की फीस दिसम्बर तक माफ कर दी है। मैं इस चीज को नापसन्द करता हूं क्योंकि अक्तूबर में माननीय माल मंत्री जी ने घोषणा की, और नवम्बर तथा दिसम्बर दो महीने की फीस बच्चों से नहीं ली जायगी, तो यह कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं हो सकती। जब फीस का सवाल उठता है तो देखना यह है कि दिसम्बर तक कौन ऐसी पैदावार हो जायगी उन क्षेत्रों में जिससे वे अपना काम चला सकेंगे? मैं तो समझता हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के किसानों के लिये दिसम्बर तक आमदनी का कोई जरिया नहीं हो सकता। इसलिये दिसम्बर तक फीस माफ करने के बजाय कम से कम रबी की फसल तक के लिये यह सहूलियत दी जानी चाहिये। ऐसे तो अधिक वर्षा को देखते हुये रबी की फसल के लिये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब तक रबी की फसल उनकी तैयार न हो जाय तब तक उनके बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये। हमने अनेकों बार प्रश्नोत्तर काल में यह पूछा है कि अगर प्रादेशिक स्तर पर बाढ़ समिति बनायी गयी है तो क्या कभी उस में जमुना और पश्चिमी जिलों की

[श्री रामचन्द्र विकल]

बाढ़ के सम्बन्ध में विचार हुआ है ? तो इसका जवाब 'नहीं' में मिला। और मैंने यह भी कहा कि प्रदेशीय स्तर पर जो बाढ़ कमेटियां बनी हैं उस में पश्चिमी जिलों के जहां पर भी बाढ़ आती है वहां के लोगों को नहीं रखा गया है और प्रदेशीय स्तर पर इधर की बात अभी नहीं सोची गयी है। मजबूर हो कर एक हफ्ते पहले मैंने एक नोट भी दिया कि जब प्रदेशीय स्तर पर बाढ़ रोकने और सहायता आदि के विषय पर विचार हो रहा है तो यह भी आवश्यक है कि जमुना आदि पश्चिम की नदियों में जो बाढ़ आया करती है उस पर भी विचार हो। उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब मिला कि हम विचार कर रहे हैं और उससे हमें कुछ थोड़ा सा संतोष मिला लेकिन इस सम्बन्ध में जहां बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में बात है तो मैं सुझाव देता हूं कि प्राकृतिक प्रकोपों से नदियों को बांध बना कर न रोका जाय। मैं प्रदेश के अन्य भागों की बात तो नहीं जानता शायद उनसे और जगह लाभ होता हो, लेकिन हमारे यहां जो तो आप ने देखा कि बांध को तोड़ना पड़ा और उस बांध की वजह से ही जिस बांध के उत्तर के गांवों में सन् २४ तक की बाढ़ में नुक्सान नहीं हुआ था वह इस साल बिलकुल डूब गए। और हमारे यहां तो एक कहावत है कि 'पानी निभाने जाता है' यानी पानी नीचे में जा कर रुकता है। हुआ यह कि थोड़ी देर के लिये बांध पर पानी रुक गया, उस बांध को भी तोड़ा गया और उस के बाद मजबूर हो कर रेलवे लाइन को भी तोड़ना पड़ा और इन्सान, पशु आदि का काफी नुक्सान हुआ, फसल की तो कौन कहे उसकी तरबर-बादी हुई। इसलिये मंत्री जी उधर का भी ख्याल करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में अब दूसरी बार सदन में वादविवाद हो रहा है। इस दूसरी बार की बाढ़ से पूर्वी जिलों में अधिकतर हवा और आंधी का बहुत जोर रहा है और बारिश भी काफी हुई, उससे वृक्ष भी गिरे और खेतों में फसलों का भी नुक्सान हुआ। दो बार की बारिश से पूर्वी जिलों में और इस बार पश्चिमी जिलों में भी काफी हानि हुई है। हमारे माल मंत्री जी ने उस का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने समस्या का पूरा विवरण देने की कोशिश की है, लेकिन वे कहते हैं कि हम तो केवल दिलजमई कर सकते हैं, पूरी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी है। लेकिन जो समस्या है या जो राष्ट्रीय संकट आ गया है उस का मुकाबला करने के लिये केवल दिलजमई से काम नहीं चलने वाला है बल्कि ऐसी समस्या का हल एक राष्ट्रीय पैमाने पर होना चाहिये और इस काम पर अधिक से अधिक खर्चा करना चाहिये। जो पूरक बजट पेश किया गया है उसमें आधी रकम करीब-करीब बाढ़ के लिये ही रखी गयी है और उस रकम को जिलों में भेज दिया जाता है। जिलों में जितनी रकम भेजी जाती है वह भी जनता में अच्छी तरह से वितरित नहीं होती है। यह कहने में मैं कोई संकोच नहीं करता कि जिलों के हाकिम इस काम में पूरी तरह से जनता का सहयोग नहीं ले रहे हैं। हमारे जिले आजमगढ़ में पहले जब बाढ़ आयी थी तो वहां माननीय कमलापति त्रिपाठी जी गए थे और उस समय वहां बाढ़ की एक कमेटी बुलाई गई थी और उस के बाद केवल एक कमेटी और बुलाई गई थी। वहां जनता की राय उस के अलावा कोई नहीं ली जाती है। नतीजा यह होता है कि जो सहायता यहां से दी जाती है उसका वितरण वहां ठीक से नहीं होता और वहां के अफसर देहात की बाढ़ की समस्या को ठीक से नहीं जान पाते, इसलिये इस विषय में सरकार को पूरे तौर से ध्यान देना चाहिये और जितनी बाढ़ से क्षति होती है उस का पूरा रिकार्ड तैयार नहीं होता। बड़ी नदियों के किनारे के गांवों के रिकार्ड और क्षति या छूट आदि के नक्शे और रिकार्ड के कागजात बन रहे हैं लेकिन छोटी नदियां जो हानि कर रही हैं वहां के गांवों की हानि के कोई नक्शे या रिकार्ड नहीं बनाये जाते हैं, और नतीजा यह है कि वहां के लोगों को कोई सहायता नहीं पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि उनके कागजात भी छूट आदि के ठीक से बनाये जायं ताकि उनकी भी कुछ सहायता हो सके। वहां पर अब तक मकानों की समस्या सब से बड़ी समस्या है। मकानों को फिर से बनाने के लिये जो

बात माननीय माल मन्त्री जी ने कही कि हरिजन लोग ज्यादातर गांवों में नीचे बसे हैं जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि उनको मुफ्त सहायता मकान बनाने के लिये करोड़ों में देनी चाहिये। नहीं तो वे किसी भी प्रकार से मकान नहीं बना पायेंगे। और जो उनका कहना है कि गांव समाज की ओर से उनको जमीन मिलेगी तो मेरा ख्याल है कि गांव समाजों के पास जमीन बहुत कम है। उस के लिये यह भी प्रावीजन होना चाहिये कि नई जमीन एक्वायर की जाय और हरिजनों को दी जाय। यह समस्या हर गांव में है और हरिजनों को इससे बहुत परेशानी है।

दूसरी बात, तम्बू और कनात जो भेजे गये थे हर जिले में, जहां वे पहुंचे तो अपने यहां की बात जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का लिखा हुआ आर्डर तहसील मुहम्मदाबाद के पास रखा है कि यह तम्बू दूर देहातों के लिये नहीं है। जो लोग थानें या तहसील में या सेन्ट्रल प्लेस में आकर रह सकें उन्हीं को दिया जाय। नतीजा यह हुआ टाउन एरिया से दो दो और तीन-तीन फर्लांग के लोग न आ सके और वहां वे वैसे ही पड़े रहे और फिर वापस आ गये। इसके बाद सब से बड़ी बात यह है कि जो पुल वगैरः टूटने से यातायात के मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं, और जो बड़े-बड़े पुल टूट गये हैं जैसे मऊ का पुल वगैरः उनको बनाने की योजना अभी से नहीं बनायी जाती और उस योजना को अभी से कार्यान्वित किया जाता तो आगे चल कर अगली बरसात का समय आने तक कोई कार्य नहीं हो सकेगा क्योंकि उस वक्त तो गवर्नमेंट का एस्टीमेट तैयार हो पायेगा।

तीसरी बात यहां सरकार की ओर से यह कही जा रही है कि बजट में रुपया नहीं है। तो जिस तरह से और कामों के लिये रुपया बजट से दिया जा रहा है उसी तरह से इसके लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह छोटी समस्या नहीं है। जैसा कि एक भाई साहब ने कहा कि दिसम्बर तक की फीस माफ करने की बात कही गयी है। तो मैं पूछता हूं कि क्यों उसके बाद विद्यार्थियों को फीस के लिये यों ही छोड़ दिया और उसका नतीजा यह होगा कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी मजबूर होंगे अपनी पढ़ाई छोड़ कर घर बैठ जायंगे। जैसा उन भाई ने कहा था कि दिसम्बर के बाद कौन सी फसल वहां हो जायगी जिससे वह लोग दे सकेंगे? तो अच्छा यही होगा कि मार्च या जून के महीने तक की फीस माफ कर दी जाय।

इसके बाद पुनर्वासन की समस्या है। इस समस्या को भी शरणार्थी समस्या की तरह से हल करना चाहिये और उनको बसाने की योजना होनी चाहिये। हर जिले में एक स्पेशल आफिसर इस काम के लिये होना चाहिये। स्केयरसिटी आफिसर्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन मैं देखता हूं कि तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर या हाकिम परगना लोगों के पास काम बहुत है वे रोजमर्रा के कामों को नहीं कर पाते। हजारों लोगों को कचहरियों से लौटना पड़ता है, पेशियां उनकी नहीं होती हैं, और इस तरह से वे न इधर का न उधर का दोनों ओर का काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिये इसके लिये एक स्पेशल आफिस मुकर्रर होना चाहिये ताकि वह पूरे तौर से पिछले रिकार्ड को ठीक कर सके और जो रुपया यहां से दिया जाता है उस का ठीक-ठीक उपयोग हो सके। और जनता के प्रतिनिधि से और गांव पंचायतों के जरिये वह अच्छी तरह से जान सके कि वास्तविक समस्या क्या है? जब तक यह काम नहीं होता तब तक आप के सामने वहां का पूरा चित्र नहीं हो सकता। तहसीलदार, पटवारी या डिप्टी कलेक्टरान इस बाढ़ की समस्या को हल नहीं कर सकते और न वहां के दुख-दर्द को वास्तविक रुप से दूर कर सकते हैं। जाड़े के दिन आ रहे हैं उसमें उनको कपड़े की बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी तकलीफ होगी। जितनी दर्दनाक वहां की हालत है उस के हिसाब से बाढ़-पीड़ितों की उन्नति सहायता नहीं हो रही है। कभी १०, १५ दिन में १० रुपये तकावी के मिल जाते तो वह और उसके परिवार के लोग दो तीन दिन में उस को खा जाते हैं और उस समय तक उस के पास पुराना गल्ला भी नहीं होता है और वह खत्म हो चुका है। इसलिये जो रुपया आप दे रहे हैं उस से कुछ भी संतोष लोगों को नहीं हो रहा है। मारवाड़ी

[श्री विश्राम राय]

रिलीफ सोसायटी और जायसवाल रिलीफ सोसाइटी आदि जितनी ऐसी संस्थायें हैं वे भी जब तक वहां पानी रहेगा तब तक कायम करेंगी बाद को वह भी रफूचक्कर हो जायेंगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह पूरा बाढ़ क्षेत्र अकाल पीड़ित घोषित करना चाहिये। और फेमिन कोड को तब्दील करना चाहिये ताकि टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी अधिक से अधिक मिल सके। दूसरे माननीय मात्र मंत्री जी ने कहा कि मिट्टी ला कर डाली जायगी तो दूर से मिट्टी लाई जायगी तो मजदूरी भी बढ़नी चाहिये। फेमिन एरिया डिक्लेयर कर के अच्छी तरह से सहायता करनी चाहिये। उनके पास कुछ भी नहीं है यह तो आप महसूस करते हैं जिससे कि आपने पुरानी तकावी माफ की है, मालगुजारी की छूट दी है, इसलिये अकाल-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर के राष्ट्रीय संकट के तरीके पर उनकी पूरी मदद करनी चाहिये तब जा कर बाढ़ पीड़ितों की समस्या का हल हो सकेगा थोड़ी थोड़ी बहुत सहायता कर के यह संकट टाला जायगा तो इस समस्या के प्रति आप उपेक्षा और अन्याय करेंगे। इसलिये मेरी अपील है कि हर जिले में बाढ़ पीड़ित आफिसर मुक़र्रर कर के वह पूरे आंकड़े इकट्ठे करे और एक बड़े पैमाने पर इस समस्या को हल किया जाय और पूरी मदद की जाय चाहे हमको बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कार्य के लिये खर्च करना पड़े क्योंकि यह राष्ट्रीय संकट है और जल्दी से गरीबी दूर होने वाली नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस विषय पर वादविवाद हो रहा है वह विषय इस सदन के लिये अथवा इस प्रान्त के लिये कोई नयी चीज नहीं है, लेकिन इस वर्ष जो बाढ़ आयी है उसने बसबसे अधिक भयंकर रूप दिखाया है। गांव की फसलों को, जानवरों को, आदमियों को और पेड़ों को कितनी मात्रा में उसने क्षति पहुंचाई है उसके ठीक ठीक आंकड़े सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं यह हमारा खयाल है। लेकिन हर वर्ष जो सहायता सरकार की ओर से आती है थी और इस वर्ष जो सहायता की गयी वह है वह उसके सबसे अधिक रही है औ वह सराहनीय रही है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी सहायता के बावजूद भी किसी पक्ष को या किसी व्यक्ति को कोई असंतोष की बात हो सकती है। माननीय गेंदासिंह जी ने भी, जो सूबे भर के अखबारों और चिट्ठियों के लिये अथवा घूम-फिर कर हालात का पता लिया करते हैं, इस कार्य की सराहना की है और उनको जो यह राय रही कि सही आंकड़े अभी सरकार के पास नहीं हैं तो यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ने लोगों को इस विपत्ति के समय तड़पते छोड़ दिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को बधाई देने के अलावा माननीय गेंदा सिंह जी को भी बधाई देना उचित समझता हूं जिन्होंने विरोध के तरीके का स्तर बदल दिया हमारे इस माननीय सदन का। इसके बाद में मैं माननीय माल मंत्री जी का कुछ ध्यान उन हिस्सों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां ऐसी भयंकर बरसात और भयंकर बाढ़ का असर पड़ता है। सोचना हमें यह है कि हर वर्ष इस तरह से जो बरबादी आती है और लाखों करोड़ों रुपया दान में और तकावी में छूट के रूप में देना पड़ता है यह समस्या किस तरह से हल हो सकेगी? हम सुनते आ रहे हैं कि कई वर्षों से बाढ़ नियंत्र की कोई योजना बन रही है, इंजीनियर्स देश के इस मामले में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन अभी कोई बात विशेष तरीके से साफ नहीं हो पाई। गत वर्ष माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे जो हल्के में गये थे मेरा यह हल्का मेरे जिले में सबसे ज्यादा बाढ़-पीड़ित रहा करता है। मुझे तो मालूम नहीं कि कभी वहां बाढ़ न आयी हो ऐसा कोई इतिहास का दिन रहा हो। गत वर्ष में माननीय मंत्री जी को वहां इसलिये ले गया था ताकि वे अपनी आंख से देख सकें। उन्होंने कहा कि कम से कम इस वर्ष गांव का पाटने का काम किया जाय और गांव पाटने से वहां बसे रहने का अवसर मिलेगा और उसके बाद एक्स-पर्ट्स की राय निकलेगी कि बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या योजना की जायगी? जो काम इसके बाद शुरू हुआ वह था गांव का पाटा जाना, वस्तुतः वह एक सफलता की चीज रही और जो दिये गये वहां के लोग यह महसूस करने लगे हैं कि हम भी बाढ़ से बच सकते हैं और इस संकट से हमारा भी कभी उद्धार हो सकता है। यह एक उन की आशा की लड़ी बन चुकी है। लेकिन जिस भीषण रूप से बाढ़ का प्रकोप हुआ, दस बारह गांव हमारे हल्के के हैं जहां उनकी

सारी खेती कट कर के बह गयी और उनको बसाने के लिये जमीन भी नहीं रह गयी है। लोग हफ्ते दो हफ्ते, महीने में कलेक्टर के यहां, एस०डी०ओ० के यहां, मेरे यहां आते हैं और कहते हैं कि हमारे बसाने का उपाय कुछ सरकार ने निकाला या नहीं ? अभी माननीय मंत्री जी से मैंने उनकी तकलीफों के लिये अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि एक्वीजीशन के बारे में हमारा कानून है, उसके जरिये हो सकता है। लेकिन वह कानून, स्थानीय अधिकारियों से डिस्कशन करने पर हमें ऐसा मालूम हुआ कि जो हल्का किया गया है वह भी बड़ा लम्बा है। वह उस समय तक प्रतीक्षा कर सकेंगे, उनका जीवन रह सकेगा, हमें मालूम नहीं होता। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि जो गांव कट कर बे घरबार, बे खेतीबारी हो गये हैं उनके लिये जमीन का कुछ अवश्य उपाय करें जिससे वह जमीन में रह सकें। आपकी सरकार ने वसूली में सुविधा दे कर, तकावी वगैरह दे कर, तथा दूसरे प्रकार की सुविधायें दे कर जो उपकार किया है वह बहुत ही सराहनीय है और वह बधाई की पात्र है। हमारे जिले के गांव कटे तो हैं ही, इस वर्ष जो भयानक बरसात हुयी उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब ३८ हजार मकान गिरे हैं। लेकिन कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने जो आंकड़े संग्रह करवाये हैं उनमें मकानों के गिरने की जो सूचना मिली है उसमें करीब ४० से ५० हजार के करीब संख्या है। हमने संग्रह करते समय विचार रखा था कि कितने पूरे मकान गिरे, कितने आधे गिरे और कितने ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा गिर गया? इसमें करीब पचास हजार के करीब मकानों की क्षति हुयी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने बेसूद की तकावी देने के लिये या कुछ को मुफ्त देने के लिये जो उन्होंने अपना क्राइटेरियन बना रखा है वह २५ रु०, २० रु० और ३० रु० की ही है। हम मांगते-मांगते काफी थक भी गये हैं, हमारी शर्म भी छूट चुकी है। लेकिन उनका देना भी ऐसा है कि जो हमें काफी नहीं है।

**श्री चरणसिंह**--मैं आपकी इजाजत से अपने माननीय मित्र से एक बात कहना चाहता हूं। तकावी देने की कोई लिमिट नहीं है २० या २५ रु०। वह तो ग्रैटुटस रिलीफ के लिये है, २५ रु०।

**श्री केशव पांडेय**--जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह मैं समझा। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध था कि तकावी जो आप देते हैं वह दस, पांच, पंदरह या बीस रुपये की अधिक से अधिक होती है। लेकिन जिस काश्तकार को रबी की फसल बोनी है, खरीफ की फसल के भी खेत खाली पड़े हैं, उनमें भी रबी की फसल बोनी है, उसके लिये २०, २५ रुपये की तकावी क्या होती है ? इसलिये उसकी ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इसलिये कि उन्होंने इस विपत्ति में सारा खजाना खोल देने का निश्चय किया है, उसमें अगर थोड़ी और बढ़ोत्तरी करेंगे तो कोई बात नहीं होगी।

दूसरे टेस्ट वर्क्स हैं। दो ढाई वर्ष पहले जैसे टेस्ट वर्क्स हुआ करते थे उनको हम लोग पसन्द नहीं करते। हमारे यहां से सुझाव दिया गया कि कुछ ऐसा ठोस काम उन क्षेत्रों में करवायें जिसमें सड़क या बांध का निर्माण होता रहे, जिससे उनकी कुछ सुरक्षा हो सके। माननीय रामचन्द्र जी विकल ने कहा कि बाढ़ का नियंत्रण विशेष रूप से बांध ही से नहीं हो सकता। इस बात को बहुत कुछ अंशों में सत्य भी कहा जा सकता है। लेकिन बाढ़ को रोकने के लिये बांध अथवा रिजर्वायर जो कि बांध का ही दूसरा रूप होता है, इनके अलावा कोई और जरिया दिखायी नहीं देता। नदियों की कोई गहराई में ऐसा छेद नहीं किया जा सकता कि पानी नीचे जा सके। इसलिये फौरी तरीके पर बांध के ऊपर ज्यादा भरोसा हो गया है और जहां बांध से फसलें बच गयी हैं वहां कुछ पैदा भी हो गया है। आज उन रास्तों को, उन सड़कों को बांध करके, जो बांध का भी काम देती हैं, जैसा कि उन्होंने देवरिया में नगवा से रुद्रपुर तक किया था, जहां कोई मार्ग सड़कों के नाम से नहीं था, उधर भी संकेत किया गया है, वह सड़क भी हो और जो ऐसी छोटी-मोटी सड़कें बनी थीं और अपूर्ण रूप से थीं, इस बरसात में बह गयीं, उन्हें मरम्मत करवाने के लिये या उसी तरीके से सड़क अगर बनवाने के लिये यदि उनका आदेश सरकारी अधिकारियों को जायगा तो वह टेस्ट वर्क्स से काश्तकारों को पैसा मिलेगा

[श्री केशव पांडेय]

और वहां का निर्माण भी हो सकेगा। यह हमारा सुझाव है। हमारे यहां से सुझाव स्थानीय अधिकारियों को दिया गया था जिसमें दो दो आने छूट घुंडी के सूत की है। उससे लोग जो घरों से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते, वह अपने घरों में काम कर सकते हैं। अभी तक यह कार्य कहीं-कहीं हुआ करता था लेकिन अब तो व्यापक रूप से लोग परेशान हैं। अगर आप इस चरखा उद्योग को चालू कर सकें तो कारगर हो सकता है। और जिन उद्योगों की स्वीकृति के लिये परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है वह उससे बच सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

अन्त में मैं जो सरकार की ओर से सहायता दी गयी और जिन अधिकारियों ने युद्धस्तर पर जिस तरह से कार्य करके सहायता की है मैं उसके लिये सरकार और उन कर्मचारियों के लिये बधाई देना उचित समझता हूं। हमारे यहां के स्थानीय फल्ड रिलीफ के अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया है वह सराहनीय है।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बाढ़ की समस्या पर हमारे सदन को दोबारा बहस करने का अवसर दिया। इस साल जो बाढ़ आयी हुयी है उसकी कई प्रकार की विचित्रतायें हैं। एक तो यह नयी बात नहीं है, हमारे प्रदेश में बाढ़ हमेशा आया करती थी, लेकिन अक्सर, साधारणतः पूर्वी जिले उससे आक्रांत रहते थे, लेकिन अबकी बार पश्चिमी जिलों से भी आवाज आ रही है और हम देखते हैं कि वहां भी काफी बरबादी हुयी है। दूसरी बात समय की है। अक्सर अगस्त और सितम्बर के महीने हुआ करते थे, लेकिन इस साल समय की भी विचित्रता रही है! मुख्य मंत्री जी ने बतलाया था कि बाढ़ आकस्मिक तरीके पर समय से बहुत पहले आ गयी। तीसरी बात नदियों के सम्बन्ध में है। जैसे पहले बाढ़ आया करती थी तो गंगा और घाघरा इन बड़ी नदियों से आती थी, अबकी वह बात नहीं रही, बल्कि छोटी-छोटी नदियों ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि बरबादी बहुत बड़े रूप में हुयी। तो इस साल कई प्रकार की विचित्रतायें हैं और ऐसी नयी-नयी समस्यायें खड़ी हो गयी हैं कि जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। आज की समस्यायें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम उन पर नये तरीके से विचार करें।

दूसरे बाढ़ के अलावा एक और भयंकर बात हुयी जिसको माल मंत्री जी ने बहुत तफसील से बताया। इस साल बारिश हमारे प्रदेश में अपूर्व हद तक हो गयी, जिसका असर नदियों पर ही नहीं, बल्कि जहां नदियां नहीं हैं वहां हमारे यहां की फसलों का व्यापक तरीके पर अनिष्ट हुआ है और बहुत बड़ी क्षति हुयी है, जो बाढ़ से अधिक क्षति कही जा सकती है। काफी तादाद में मकान और फसल की बरबादी हमारे प्रदेश के कई जिलों में हो चुकी है। यह ऐसी समस्यायें हैं जिनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये। बाढ़ के रोकने के लिये जो कुछ हुआ है, या जो सरकार करने जा रही है उसके लिये हम बहुत ही आभारी हैं। हमें इस बात का विश्वास हो चला है कि बाढ़ की समस्यायें बहुत हद तक हल हो सकती हैं, लेकिन इस साल जो वाटर-लागिंग और बरसात के जरिये से जो फसल की बरबादी होती है, यह एक नया प्रश्न है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिये और ऐसे उपाय होने चाहिये जिस से पानी रुके नहीं और उसका निकास हो सके।

साथ ही इस भयंकर बाढ़ और वर्षा के साथ में जो तीसरी समस्या है वह मकानों के बनाने की है। एक बड़े पैमाने पर कई जिलों में मकान ध्वस्त हुये हैं। सवाल यह है कि यह प्रश्न कैसे हल किये जायं? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अबतक जो सरकार ने किया है, चाहे वह रिलीफ के सम्बन्ध में या समस्या को हल करने के या मकान बनाने के सम्बन्ध में हो, वह तो पिछले समय की बात है। आज के समय को देखते हुये एक बहुत ही बड़ी चीज है और उसके लिये हम सरकार के बड़े आभारी हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि यह समस्या इतने भयानक और बड़े रूप में आ रही है कि उसको देखते हुये जो केवल दो करोड़ या ढाई करोड़ का खर्चा किय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है, वह नहीं के बराबर है, जैसा कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य सदस्यों ने कहा है। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुये और इसके विस्तार को देखते हुये मैं समझता हूं कि १०-१५ करोड़ रुपये भी खर्च किये जायं तो कम हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समस्या को दो भागों में विभाजित किया जाय, एक तो तत्काली और दूसरी स्थायी। जहां तक तत्कालीन सहायता का सम्बन्ध है उसमें सरकार ने जहां तक हो सकता था सहायता की है। लेकिन यह कहना कि तमाम लोगों की फीस माफ की जाय और सबको तकावी दी जाय, यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक हम सबको गौर करना है कि इसका हल कैसे किया जाय? मैं तो यह समझता हूं कि केवल सरकार से मांग कर और उसके खजाने से रुपया निकाल कर इस समस्या को हल करना सम्भव नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि सरकार अगर कोई टैक्स लगाये तो उसका वह समर्थन करेंगे। लेकिन उनकी स्पीच यहां खत्म हो जाती है। वह आगे नहीं कहते हैं कि किस प्रकार का टैक्स वह चाहते हैं। इसके अर्थ यह हुये कि जब सरकार की ओर से कोई कर लगाने का प्रस्ताव आयेगा तो उसका वह विरोध करेंगे। आगे वह कहते हैं कि करोड़पतियों के घर से रुपया निकाल लें! मैं नहीं समझता कि किस तरह से उनके घर से रुपया निकाला जाय, क्या डाका डाला जाय? मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर जो भी सुझाव रखे जायं वे गम्भीरतापूर्वक और जैसी समस्या की महत्ता है उसके अनुकूल रखने चाहिये। जब तक इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अन्दर हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कायम करते हैं जिससे लोग कुछ कमा सकें तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। हमारी तरफ अक्सर बाढ़ आया करती है। हम लोग तो इसके आदी से हो गये हैं, लेकिन फिर भी ३-४ महीने वहां पर लोग बेकार रहते हैं। वहां पर एक छोटी सी स्कीम चर्खा की जो चलायी जा रही है वह बहुत ही उपयुक्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार व्यापक पैमाने पर इस स्कीम को चलाये तो उन गांवों में जहां पर लोग पीड़ित हैं वहां बहुत कम समय में घर की औरतें सीख सकती हैं। जब कि कातिक के महीने में वहां के मर्द खेतों में काम करेंगे तो घरों की औरतें इस काम से थोड़ी सी अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकती हैं। जब तक हम वहां के लोगों में इस प्रकार की रुचि पैदा नहीं करेंगे तब तक इस भयानक समस्या का हल नहीं हो सकता। इसलिये इस चर्खे की स्कीम को या और कोई योजना जो जल्दी कार्यान्वित हो सके अगर चालू किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हल इस समस्या का हो सकता है।

इसके बाद वर्षा के अलावा इस वर्ष यह भी हुआ कि कई गांव कटान से ध्वस्त हो गये। हमारे बलिया जिले में कई गांव ऐसे हैं जिनकी तमाम जमीन और घर कट कर नदी में चले गये हैं और वहां पर बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। हमारे माननीय पांडेय जी ने बताया कि गोरखपुर में भी ऐसी समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि उन लोगों को वहां से हटा कर रखना। अक्सर पानी बरसा करता है, जगह नहीं मिलती है। यह भी कहा गया कि उनको बसाने के लिये जगह नहीं मिलती है। हमारे बलिया जिले में यह समस्या नहीं रही क्योंकि वहां के जिलाधीश ने बहुत जल्द एक दिन के अन्दर जमीन एक्वायर करके उनको बसने के लिये जगह का इन्तजाम कर दिया। लेकिन एक्वायर करने में एक और बड़ी समस्या यह होती है कि आखिर वह जमीन भी तो गरीब किसानों के पास से ही तो आती है। वे किसान भी बहुत पीड़ित होते हैं जिनकी जमीन पर फस्लें खड़ी होती हैं और उनको काट कर बसने वालों को दी जाती है। मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ उस जमीन का मुआविजा देना ही काफी नहीं होता है। वे गरीब किसान जिनकी फस्लें खड़ी होती हैं वे अपनी जमीन से बेदखल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका भी कोई ऐसा हल निकाला जाय कि जिसकी जमीन ली जाय उसको फिर से कोई जमीन मिले या कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिये जिससे कि वह उसको बर्दाश्त कर सके। साथ ही नये गांव जो बसाये जाते हैं वह भी एक समस्या होती है।

अभी यहां सदन में कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जो तकावी दी जाती है वह बहुत कम होती है। मैंने स्वयं देखा है कि किसान बे घरबार के हो गये हैं। किसी गांव में अगर दो चार रुपये किसी को दे दिये गये तो इससे एक भी घर नहीं बन सकता है। तो ऐसी हालत में वह

[श्री राधामोहन सिंह]

किसान जिनके घर ध्वस्त हो गये हैं कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि ऐसे गांवों में लोगों को भूमि मुफ्त दी जाय और वहां पर जो जमीन कट गयी है, बहिया में चली गयी है तो वह जमीन जब निकलेगी तो गांव समाज की होगी। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उन लोगों को गांव समाज से मुफ्त भूमि दिलायी जाय और लोगों को बसाने के लिये लाँग टर्म लोन दिये जायं और इतना रुपया दिया जाय जिससे एक मकान आसानी से बन सके। अगर यह आशा की जाय कि किसान से रुपया दो चार साल में वसूल हो जायगा तो यह नामुमकिन है। जिनके घर गिर गये हैं वह फिर से मकान बनायें यह उनके लिये एक बड़ी भारी समस्या हो गयी है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जमीन की कटान जारी है वहां एक्सपर्ट के जरिये जांच करायी जाय कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है? यदि ऐसा नहीं होगा तो बलिया जिले में दो तीन गांव कट गये हैं और रेलवे लाइन के पास भी जमीन कट गयी है। अगर इसकी जांच न करायी गयी तो बड़ी बरबादी होगी।

**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो आज माननीय माल मंत्री जी ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की अवस्था तथा क्षति का जो चित्रण किया है उसके पश्चात बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को कुछ कहना शेष नहीं रह गया है अतिरिक्त इस बात के कि वह अपने जिलों की विशेष परिस्थितियों को माननीय मंत्री जी के सामने रखें या कुछ सुझाव दें।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मेरे जिले का संबंध है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं बतलाया है कि एक तहसील में सब से अधिक हानि हुई है, और मैं उसी तहसील हसनपुर जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूं। वहां परिस्थिति यह है कि यह तहसील ४२ मील तक गंगा के किनारे फैली हुई है और प्रति वर्ष वर्षा से यहां हानि होती है, और यह बात हमें बहुत दिनों से देखते चले आये हैं। इसमें ४२ मील तक चार मील चौड़ा क्षेत्र जो गंगा के किनारे पड़ता है उसमें बहुत हानि होती है। जिस वर्ष अधिक वर्षा होती है उस वर्ष ज्यादा हानि होती है या पानी अधिक आ गया तो हानि अधिक होती है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया इस वर्ष हानि का विशेष कारण बाढ़ नहीं है बल्कि स्थानीय वर्षा और वाटर-लौगिंग है। लेकिन मेरी तहसील की परिस्थिति भिन्न है। आपने जो अभी अवकाश दिया था उसका मैंने घूमकर उपयोग किया है और मैंने देखा है कि वहां हानि वर्षा से नहीं हुई। गंगा के अतिरिक्त दो नदियां और हमारे यहां बहती हैं, जो वर्षा का पानी अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन विशेष हानि तो गंगा के बढ़ जाने से होती है, जब पानी ज्यादा हो जाता है और किनारों से होकर चारों तरफ बहने लगता है। इसके अतिरिक्त वाटर लौगिंग की समस्या भी ऐसी है और मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि ईख और धान के खेतों में पानी चल रहा है। मैं घोड़े पर चल रहा था और मेरे पैर भीग रहे थे, इतना पानी खेतों में था यह पानी दो महीने के लगभग रहा।

जहां तक सहायता का संबंध है मुरादाबाद जिले को तो ५०,००० रुपये की सहायता दी गई है। वैसे मैं जानता हूं कि सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है और जितने जिलों की सहायता का प्रश्न है उसमें सबके हिस्से में थोड़ा ही पड़ेगा। परन्तु जहां तक मेरी तहसील का संबंध है तो सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट के अनुसार पहले १७८ गांवों में क्षति हो चुकी थी और अब तो गांवों की संख्या २०० से ऊपर पहुंच गई होगी और ५० हजार रुपया मिला है। अगर हिसाब लगाया जाय तो १७८ गांवों में २८० रुपये प्रति गांव पड़ता है। मैं थोड़े से गांवों में घूमा हूं और मुझे मालूम

है कि बहुत बड़ी संख्या में घर गिरे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें ५०,६०, ७० और १०० घर न गिरे हों। पूरे घर नहीं गिरे हैं तो कुछ न कुछ जरूर हर गांव में गिरे हैं, तो उनको इतना रुपया देने या न देने से कोई लाभ नहीं होगा।

एक बात जो इसमें कही गई खास तौर से वह है बीमारी को रोकने की बात। इसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया और वास्तव में उसका प्रबंध भी है, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि भयंकर मलेरिया फैला हुआ था। कोई घर मुश्किल से ऐसा होगा कि उसमें जितने आदमी हों उनके ७५ फीसदी बीमार न हों और उनकी मांग सबसे ज्यादा क्वैनैन और पैल्युड्रीन की थी। इस बाढ़ के समय में मलेरिया की रोक का कोई प्रबंध नहीं हुआ कदाचित पहले कुछ किया गया। जहां तक जानवरों की बीमारी का संबंध है उनमें बेधन की बीमारी काफी फैली हुई है। कुछ गांवों में मालूम हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जानवर मर भी गये? इसकी रिपोर्ट मैंने वहां के अधिकारियों को दी है और माननीय मंत्री जी को भी लिख कर दूंगा। हमारी तहसील के इस क्षेत्र की परिस्थिति यह है कि वह एक फसली क्षेत्र कहा जाता है और एक फसल नष्ट हो जाने के बाद दूसरी फसल में इस तहसील के इस क्षेत्र में जिसमें कि बाढ़ आई है कुछ होता ही नहीं। तो इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तहसील में दोनों फसलों की लगान माफी की बात पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त एक वास्तविक कठिनाई जो इस तहसील में है वह यह है कि इसमें दो नदियां बहती हैं और वहां यातायात की बड़ी कठिनाई है। पक्की सड़कें वहां नहीं है और नदियों पर कोई पुल नहीं है। तो बरसात में बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है। मुझे स्वयं दो जगह नाव पर जाना पड़ा और उस जमाने में यह हालत थी कि किसी भी काम के लिये लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना बिलकुल बन्द था। तीन दिन के सफर में मुझे केवल एक मुसाफिर दिखाई दिया जो एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। और उसे देख कर मैं सोचने लगा कि यह भी क्यों जा रहा है? तो वहां यातायात के लिये कोई प्रबंध आपको करना होगा। जहां तक बाढ़ में अस्थायी प्रबंध का संबंध है, मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में कुछ नावों की जरूरत है और इनका प्रबंध सरकार बड़ी सुविधा से कर सकती है बाढ़ के फंड से या किसी और फंड से। एक दो किश्तियां ऐसे स्थानों पर रहना चाहिये ताकि आने-जाने में समय पर दिक्कत न हो।

एक दूसरी समस्या यह है कि कुछ गांव बिलकुल कट गये हैं। एक गांव में मैं पहुंचा कि जिससे गंगा केवल ५० गज बाकी रह गई थी। पहले रिपोर्ट थी कि गंगा दो सौ गज बाकी है, लेकिन जिस रोज, ७ तारीख को मैं पहुंचा उस दिन वह वहां से कुल ५० गज पर थी और ऐसे ही नहीं, पानी शुरू होने के दो गज दूर पर ही बल्ली भर पानी था। उस गांव की खेती का क्षेत्र बिलकुल कट चुका था और उसके बारे में सरकार के पास रिपोर्ट भी आयेगी और हमें उस गांव को दूसरी जगह बसाने की समस्या पर विचार करना चाहिये। इसके सुझाव वहां से आयेंगे लेकिन यहां मैं आपके सामने भी अपने विचार रख दूंगा। इस गांव का नाम हैदरपुर है। इसके पास ही एक गांव फतेहपुर है उसमें बन विभाग की बहुत सी बंजर भूमि है। अगर वह जमीन इन काश्तकारों को खेती के लिये दे दी जाय तो उनकी समस्या हल हो सकती है और इस जमीन के पास ही एक गांव है जो इससे लगा हुआ है और जिसमें ऊंचा स्थान है जो आबादी के काम में आ सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, वह मेरा क्षेत्र है और मैं वहां घूमता रहा हूं। किन्तु इस बार वहां मेरे सामने एक नयी बात रखी गई। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी उस ओर ध्यान देंगे। इस स्थान से थोड़ा नीचे नरौरा डैम है। वहां के लोगों ने कहा कि हमारी क्षति तब से ज्यादा होने लगी है जब से कि यह नरौरा डैम बना है।

[श्री जगदीशप्रसाद]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी सोचेंगे कि इसका क्या कारण है ? क्योंकि जब बांध बनता है तो दरिया में दीवार बांधी जाती है और उसके कारण नीचे की मिट्टी बह नहीं पाती और उसकी सतह दीवार से लग कर ऊंची होने लगती है और इसके कारण नदी का बेड ऊंचा होता जायगा । मैं समझता हूं कि उसके कारण वहां गंगा का बेड ऊंचा हो गया है और जब भी थोड़ा सा पानी आता है तो वह इधर-उधर फेंकने लगती है और किनारे की खेती का नुकसान जल्दी हो जाता है । मैं समझता हूं कि इस पर माननीय सिंचाई तथा बाढ़ मंत्री जी ध्यान देंगे । अंत में मैं वहां पर जो माल विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको धन्यावाद दूंगा । अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको श्रेय भी देना चाहिये । उन्होंने वास्तव में कई जगह, वहां के तहसीलदार और कानूनगो ने अपनी जान पर खेल कर लोगों को ढाडस देने और सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया ।

*श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है हमारे जौनपुर जिले में भी बाढ़ का अधिक प्रकोप रहा है । सौभाग्यवश उसी दौरान में हमारे मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी वहां पर पधारे थे और उन्होंने भी बाढ़ की स्थिति को वहां पर देखा था । सचमुच उस समय ऐसी स्थिति थी कि जिससे जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी । जहां तक सरकार की सहायता का सम्बन्ध है या सरकारी कर्मचारियों के कार्य का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । हमारे सरकारी कर्मचारियों ने रात-रात भर चिराग जला कर बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य किया है । जिलाधीश ने भी छोटे-मोटे कर्मचारियों को अपने साथ में लेकर प्रत्येक क्षेत्र का दौरा किया है और वही हालत वहां के कप्तान साहब की भी थी । उन्होंने भी पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ लेकर बराबर जनता के जान माल की रक्षा की है । यहां तक कि हमारे जिले जौनपुर में प्रत्येक नदी में बाढ़ आयी हुई थी और जिले का प्रत्येक कोना बाढ़ से पीड़ित था परन्तु इसी कार्य और सहायता के फलस्वरूप कोई जान जाया नहीं हुई और लोगों के जान-माल की भी रक्षा की गयी ।

जहां तक सरकारी सहायता का सम्बन्ध है सरकार की तरफ से किश्तियों का प्रबन्ध किया गया और लोगों को बसाने के लिये, या उनको वहां से हटाने के लिये काफी प्रयत्न किया गया । जहां तक उनकी देखभाल का सम्बन्ध है, सरकार की तरफ से जो प्रबन्ध किया गया वह भी सराहनीय था । इसके अतिरिक्त हमारे जौनपुर के प्रमुख व्यक्तियों ने और प्रमुख संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने काफी सहायता पहुंचाई है जिसकी जानकारी हमारे सरकार को भी है । इसके अतिरिक्त अब हम यह देख रहे हैं कि बाढ़ खत्म होने के बाद कौन सी ऐसी सहायता पहुंचाई जाय जिससे उन गरीब व्यक्तियों की जान माल की रक्षा हो सके ? अब सरकार का सहायता पहुंचाने का जहां तक सम्बन्ध है वह तो इस सरकार ने उस समय की जब कि वहां पर बाढ़ का प्रकोप था । लेकिन अब आगे जाड़े का समय आ रहा है । उसमें सरकार को यह देखना है कि कौन सा प्रबन्ध करके उन गरीबों की रक्षा की जा सकती है, जिनके पास रहने के लिये झोपड़ी नहीं रह गयी है। उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जनता में हाहाकार मचा हुआ है । इसके सम्बन्ध में मुझे सरकार के सामने एक बात रखनी है । सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन दिया गया कि उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये जहां पर कोई जरिया माश नहीं है और लोगों के लिये रोजी का सहारा नहीं है वहां पर टेस्ट वर्क खोला जायगा जिससे उन लोगों को मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करने का अवसर मिल सके और वह अपने बच्चों को और अपनी जिन्दगी को बचा सकें । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई प्रबन्ध इस प्रकार का नहीं किया गया है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वहां पर उनके लिये ऐसी कोई व्यवस्था की जाय जिससे वह अपनी मजदूरी करके अपनी और अपने बालबच्चों की परवरिश कर सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध रहा है उन गरीब आदमियों के लिये जिनके पास छोटी-मोटी झोंपड़ी थी वह ऐसी जमीन पर बसाये जायं जो बाढ़ से बच सकें। उनको सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है। केवल १० रुपया और ५ रुपया मुफ्त सहायता दी गयी है। उस सहायता से उनकी झोपड़ी नहीं बन सकती है। जो सहायता ५०० रुपये या १ हजार या २ हजार रुपये की दी गयी है उसमें इस प्रकार की शर्तें हैं कि वह गरीब आदमी नहीं पा सकते हैं। ऐसी हालत में सरकार को यह सोचना है कि उन गरीबों के लिये कौन सा और रास्ता निकाला जाय जिससे वह अपनी अच्छी झोपड़ी बना सकें? ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वह अच्छे तरीके से अपना गुजर-बसर कर सकें। मैंने खुद जिले के कई स्थानों में सहायता भिजवाई है। सहायता और तकावी और उनके लिये जो गल्ला दिया गया है इसमें शक नहीं है कि सरकार की नीयत साफ थी कि उन गरीबों का भला हो, लेकिन जनता के अन्दर चन्द स्वार्थी लोग हैं वह उन गरीबों को सहायता न देकर अपने को ही गरीब बनाकर सहायता ले लेते हैं। इसमें सरकार को दोष नहीं है। सरकार का जहां तक सम्बन्ध है उसने उतना ही किया जितना करना चाहिये था। जहां तक हमारा फर्ज है हमको सभी गरीबों की सहायता करना चाहिये। जहां तक उनके बसाने का सम्बन्ध है, जैसा आज माननीय मंत्री जी ने कहा है, कि गांव सभाओं को आदेश दे दिया गया है कि जो परती जमीन है वह गरीबों को बसाने के लिये दे दी जाय। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह बाढ़ एरिया में नहीं हुआ है। जहां पर गांव सभाओं का कब्जा है वह नहीं दे रही हैं। उनसे मांगी जाती है तो वह आनाकनी करती हैं। कहीं पर जमीन उपलब्ध नहीं है जहां पर उनको बसाया जाय। कई बार मैंने अपना सुझाव जिलाधीश के सामने रखा कि कई ऐसी जमीनें हैं कि वहां पर गरीबों को बसाया जा सकता है लेकिन उसने जवाब दिया कि यह जमीन बहुत झंझट की है।

जब हमारे जिले में माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो मैंने बाढ़ क्षेत्रों के बारे में उनके सामने कुछ सुझाव रखे थे। पहला यह था कि मालगुजारी और तकावी में माफी दी जाय। चारे भूसे का भी प्रबन्ध किया जाय। उन्होंने इन बातों के लिये आश्वासन भी दिया था। माननीय सिंचाई मंत्री के सामने भी मैंने सुझाव रखे थे और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। अब मेरी मांग यह है कि बाढ़ खत्म हो जाने के बाद फिर से गरीब जनता की ओर ध्यान दिया जाय और उनके जीवनोद्धार के लिये सरकार कार्य करे। अब जाड़े का मौसम आ रहा है इसलिये कुछ प्रबन्ध जरूरी है वरना वे लोग मर जावेंगे। इसलिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार को इस बात लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि साल में इस सदन को एक बार फिर मौका मिला कि प्रान्त में व्यापक संकट के विषय में अपने विचार प्रकट कर सके। लेकिन मुझे माननीय माल मंत्री जी से एक सख्त शिकायत है कि इस विपत्ति के पूरे दौरान में वे एक बार भी पूर्वीय जिलों में नहीं गये। मैं चाहता था कि वह अपनी आंखों से वहां के लोगों की दशा देखते और उसका अनुभव प्राप्त करते। तब तो कुछ सम्भव था कि बाढ़ के कोप का प्रत्यक्ष रूप और उससे उत्पन्न हुई हालत की पूरी जानकारी उनको होती। आंकड़ों के संसार में रह कर अकसर माननीय मंत्री जी संतोष कर लेते हैं जो पर्याप्त नहीं है। फलौनी बांध और लालडिग्गी बांध के सम्बन्ध में जांच के लिये मुझे शिकायत है कि कमेटी के वहां पहुंचने या रहने की जानकारी वहां की जनता को अच्छी तरह नहीं दी गई थी। सब प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को उनसे बातें करने का अवसर नहीं मिला। गोरखपुर में जन-प्रतिनिधियों को ऐसा अवसर नहीं मिला और मैं आजमगढ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि जब वह कमेटी गई थी तो वहां की २,३ वामपक्षी पार्टियों की ओर से उनकी पूरी घेराबन्दी करनी पड़ी और तब जा कर वह बयान लेने के लिये तैयार हुई।

[श्री झारखंडेराय]

पश्चिमी यू० पी० में यह सही है कि वहां मकान कच्चे बनाये जाते हैं और व्यापक वर्षा से हानि हुई है। वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति पूरब के किसानों से अच्छी है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पश्चिम के किसानों को प्रोत्साहित करें कि वे पक्के मकान बनावें। इससे उनकी आगे हानि होने से बचत होगी।

इतना भारी काम निर्माण का बाढ़ के सिलसिले में होगा और इसके लिये मैं एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ठेकेदारों की निर्मम और निर्दय लूट से वहां की जनता को बचावें। जब हम एक-एक दाने के लिये भूखे मरते हों तो उस समय ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की लूट देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है। इसलिये इस लूट को रोकना चाहिये। भूसे और चारे का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। भूसा बांटा गया लेकिन शुरू में उसका अभाव रहा और जिलों से खबर होने पर सरकार ने उसका प्रबन्ध किया। बुन्देलखंड से बड़े पैमाने पर जो घास आई जो ५३–५४ की बाढ़ में भी आई थी उसे पूर्वी यू० पी० का जानवर नहीं खा पाता है। अगर सरकारी गोदामों में कुछ भूसे का भी प्रबन्ध रखा जाय तो अधिक अच्छा हो। गांवों को ऊंचा करने का प्रबन्ध हो रहा है और उसे बड़े पैमाने पर करना चाहिये। मुझे एक बात की खबर मिली है कि आजमगढ जिले में टमसा नदी के किनारे किसी गांव के ऊंचा करने की कोई योजना नहीं है? मैं चाहूंगा कि इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाय क्योंकि इस वर्ष बाढ़ का कोप उधर भी हुआ है। यह भी सुनने में आया है कि गांवों को ऊंचा करने के बाद एक गांव का दूसरे से सम्बन्ध पतली सड़कों के द्वारा किया जायगा। अगर यह बात सही है तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इससे वाटर लौगिन्ग होकर एक दूसरी ही समस्या पैदा हो जायगी। सरकारी सहायता के बारे में मुझे यह कहना है, और जिसे मैं अक्सर बाहर जन सभाओं में भी कहा करता हूं कि यह स्पष्ट है कि जो सहायता सरकार देती है उसका आधा ही उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनके लिये वह पूरी सहायता दी जाती है। बीच के लोग उसका बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, यह बात दूर होनी चाहिये। यह दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय प्रश्न है और हर पार्टी इस कार्य में सरकार की सहायता करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार सर्वदलीय कमेटियां जिलों में बनावे। केवल बाढ़ कमेटियों से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि उनमें जिले के सभी दल के लोग हों। जहां तक एम० एल० एज० का सम्बन्ध है हर जिले में हर पार्टी के एम० एल० ए० भी नहीं हैं। इसलिये जनता की पूरी लोकवाणी जिलाधिकारियों और सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें सन्देह नहीं कि इस साल सरकारी कर्मचारियों और सरकार ने भी अधिक तत्परता दिखाई है। हमारे जिले में पकड़ीताल के पानी के निकास का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। इसके लिये एक प्रार्थनापत्र ताल के पास की जनता की ओर से भी माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास स्वयं मैंने भेजा है और मुझे आशा है कि वह खुद इस पर विचार करेंगे। पूर्वी यू० पी० में ऐसे बहुत से ताल हैं जिनसे उतनी ही हानि हुई है जितनी कि नदियों के किनारे हुई हैं।

मुझे संदेह है कि इस साल जो अत्यधिक बारिश हुई है उसमें हाईड्रोजन बम्ब के बड़े पैमाने पर प्रयोगों से उत्पन्न असर मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर एक वैज्ञानिक विशेषज्ञों की कमेटी बैठायेगी जो इस मामले पर गौर करें।

अन्त में माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं। यद्यपि वे चीन के नाम से भड़क जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने चीन में तीन विशेषज्ञ आदमियों को भेज कर वहां की नदियों के बाढ़ और उनक कंट्रोल के बारे में कुछ अनुभव प्राप्त किया है। मैं माननीय मंत्री जी से उस अनुभव से लाभ उठाने की प्रार्थना करूंगा और साथ ही चाहूंगा कि चीन तथा दूसरे अनुभव

प्राप्त देशों से विशेषज्ञ बुलाकर और उनके जरिये भी इस विषय में सलाह ली जानी चाहिये ।

**श्री नारायणदास** (जिला फैजाबाद)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बाढ़ के विषय में हमारे सम्मुख अपने बयान को रक्खा है। उसमें उन्होंने बताया है कि ८५ वर्ष के बाद यह समस्या हमारे सम्मुख आयी है। अबकी जो बरसात हो रही है वह ४-५ महीने से बराबर हो रही है, और अब भी हो रही है, तथा पिछले वर्षों से कई गुना ज्यादा हुई है। हमारे सूबे में जब कि ९० प्रतिशत किसान रहते हैं उनकी क्वारी और रबी दोनों फसलों के खराब होने का अंदेशा हो रहा है ! सरकार जो कुछ इस संबंध में कर सकती थी वह कर रही है, जो आदमी कर सकते हैं वे कर रहे हैं, सब लोग मिल जुल कर काम कर रहे हैं। मैं इसके सिलसिले में एक मिसाल देता हूं। आज पाकिस्तान के अन्दर बाढ़ आयी, और चन्द दिनों पहले ही वहां के हजारों आदमी व पशु मरे और तबाह हो गये लेकिन उसके प्रतिकूल हम इतने सर्तक रहे कि इतनी बड़ी बाढ़ आने पर भी इतने कम आदमी और जानवरों की जानें गयीं। हमारी सरकार ने और वहां के निवासियों ने मिलकर उसका मुकाबिला किया। फैजाबाद एक ऐसा जिला है जहां बाढ़ का अनुभव बहुत कम होता है। वहां पर सब से बड़ी बाढ़ ८५ वर्ष पहले आई तथा सन् ४७ ई० में भी बाढ़ जब आयी थी उस वक्त ३७ इंच पानी बरसा था, और अब ९० इंच से अधिक बरस चुका है तो फिर ऐसी हालत में फैजाबाद की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस जिले में लगभग ३ हजार गांव हैं, इन गांवों में लगभग २ हजार गांव बाढ़-ग्रस्त हैं और पूरे जिले में पानी भरा हुआ है। दो सौ गांव बह गये, १२० हजार घर ढह गये और शहरों, कस्बों के दो ढाई हजार मकान गिर गये और लगभग ५ लाख निवासी बाढ़ ग्रस्त हुये हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि फैजाबाद में जो आफत आयी है उसके सिलसिले में मैं माननीय नियोजन व हेल्थ मंत्री, सूचना मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री, सेंटर के आदरणीय गृह मंत्री, राज्य पाल महोदय, उप-मंत्री व सभा सचिव तथा कांग्रेस के बड़े-बड़े अधिकारी वहां गये। इसके अतिरिक्त हमारे विश्व विख्यात नेता नेहरू जी भी वहां पहुंचे। उनके सामने जब समस्या लायी गयी और इसके लिये ५० हजार आदमी अपने हृदय को खोल कर उनके सामने पहुंचे, वह हृदय द्रावक दृश्य था। बड़े धैर्य से भरे मन से नेहरू जी ने बताया कि मानव जीवन में दुख और कठिनाई सबसे बड़ी कठिन चीज होती है लेकिन मानव का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है कि इन कठिनाइयों को पार करे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर फैजाबाद के निवासी, जहां बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, धैर्य रख कर इस मानव विनाश से संघर्ष करते हुए इस निर्माण के काम में जुट जायेंगे तो अगले साल हम इसको देखने आवेंगे। इसका असर यह पड़ा कि लोगों के हृदय में यह भाव हुआ, उनको यह प्रेरणा मिली कि हमारे फैजाबाद के अन्दर जो छोटे-छोटे और बड़े-बड़े लोग थे उन लोगों ने इस बाढ़ का मुकाबिला किया, फौजी शक्ति ने उत्साह से काम किया और आज भी वह बड़े उत्साह से बाढ़ का मुकाबिला कर रहे हैं। आज वहां की दशा यह है श्रीमन्, कि जो वहां के गांव बह गये हैं, वहां लोगों के रहने के लिये कोई मकान नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो कुछ हो सकता है उसने तम्बू आदि का प्रबन्ध किया और उसके लिये सब कुछ कर रही है। वहां के अधिकारी वर्ग मशीनरी की तरह से काम कर रहे हैं और बहुत सुन्दर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां प्रलय का सा सवाल होता है वहां मानव शक्ति काम नहीं कर सकती है। ऐसे समय पर वहां की जो पुरानी बस्ती रही है, जहां पर कि टीले पर पहले बड़े-बड़े पुराने सरदार लोग गदर के जमाने में काम कर चुके हैं, और वहां पर हजारों आदमी इस बाढ़ की वजह से सब बरबाद हो गये हैं। इन पर आकर पड़े हैं। मेरा सुझाव है कि पुरानी उजड़ी बस्तियां व किले-कोटों को पुनः बसाया जाय। ऐसी दशा में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बस्ती को ऊंचा करने के लिये जहां कि मिट्टी उठाई जाय उसके लिये भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। क्योंकि जिला बस्ती के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि जहां-जहां की मिट्टी उठायी गयी है, दो तीन वर्ष तक के लिये वहां की मिट्टी पैदावार

[श्री नारायणदास]

के लिये काम नहीं दे सकती। मैं अपने जिले फैजाबाद की बात करता हूं कि वहां पर करीब १,६६७ ताल हैं जिनको खेत की तरह से बना दिया गया है। बहुत सी नाली, गली व नालों को पट्टे पर देकर खेत बना दिया गया है। इसका अंजाम यह हुआ कि पानी का बहाव बिलकुल रुक गया और गांव की फसलें बाढ़ में बह गयीं। इन पर पुनः विचार किया जाय और मड़हां, (टोंस) व बिसुही जैसी भंयकर नदियों का ध्यान रखा जाय जो महा उत्पाती नदियां हैं।

जहां तक हरिजनों, गरीबों, भूमि हीनों का प्रश्न है ९० फीसदी हरिजन गरीब बिलकुल तबाह व बरबाद हो गये हैं! उनके सामने जहां तक तकावी का प्रश्न है उसमें बड़ी कठिनाई है क्योंकि उसके जो नियम बने हुए हैं उसको वे पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में हरिजनों की जो समस्या है वह बड़ी गम्भीर है। उनके पास न फसल है, न कपड़ा है, न खाने को है, न घर है, न और कोई चीज है जहां वे रह सकें। हम जानते हैं कि फैजाबाद में चकबन्दी योजना बड़ी कठिनाई से सफल हुई है, लेकिन इस संबंध मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों के साथ एक विशेष व्यवहार किया जाय और एक विशेष आदेश दिया जाय जिसके जरिये उनको अपने शिकमी आदि के खेत जो छीने गये हैं, या गलत इन्दराज द्वारा अथवा जबरदस्ती लिया जा रहा है वापस कराया जाय तथा सबसिडी के तौर पर या और किसी तरीके से उनको दिया जाय। उनको मौका दिया जाय कि वे अपनी स्थिति को बनावें। जहां तक श्रीमन्, हमारे शहर की बात है हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि शहर के अन्दर जो म्युनिसिपैलिटी है उसके देहात के नियोजन के काम में या और तरीके से हम उनको मदद दे सकें। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है जितनी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके अन्दर कुछ रूरल क्षेत्र भी है, मगर शहर की म्युनिसिपैलिटी उनके नियोजन के लिये कुछ काम नहीं करती है। इसका अंजाम यह होता है कि वे बिलकुल बेकार रहते हैं और उनको कोई मदद नहीं मिल सकती। जिस समय हमारे यहां घर गिरने शुरू हुए, चारों तरफ पानी फैले होने की वजह से देखते-देखते नगर के दो तीन हजार मकान बह गये। बिलकुल ऐसा मालूम होता है जैसे कोई बम गिर गया हो! ऐसी दशा में मैं श्रीमन्, अनुरोध करूंगा कि ऐसे नगरों की तरफ भी अवश्य ध्यान दिया जाय। और मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक दो मास के बाद जब पानी बन्द हो जायगा और किसानों को अपने घर बनाने का मौका मिलेगा तो इस बीच में उन को रुपया और तकावी देने के साथ बांस-बल्ली और फूस आदि दिया जाय तो ज्यादा कारगर होगा। जहां तक लगान, मालगुजारी या फीस की माफी का सम्बन्ध है वह केवल एक ही वर्ष की न दी जाय बल्कि वह अगले साल तक की माफ होना चाहिये क्योंकि जब फसल ही उनके यहां न होगी तो वह आगे भी कहां से फीस आदि दे पावेंगे? क्योंकि इस वक्त उनके पास खाना या कपड़ा कुछ भी नहीं रह गया है। इसके अलावा मैं जानता हूं कि यह जो अतिवृष्टि हो रही है हमारे वार्षिक ज्योतिष के पंचांगों या पत्रों में नहीं है। उसका कारण यह भी है कि यह समुद्र में जो हाईड्रोजन और एटम बम विदेशियों द्वारा फोड़े जा रहे हैं उससे भी भाप (बादल) ज्यादा बनती है और हवा और पानी का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए देखा जाय कि इन चीजों का मानव पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। मेरी प्रार्थना है कि बड़े-बड़े वैज्ञानिकों द्वारा यह सवाल हल कराया जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, १७ अगस्त को जब इस अधिवेशन की पहली बैठक हुई थी उस दिन भी बाढ़ के विषय पर विचार हो रहा था, और उस दिन मैंने देखा था कि बाढ़ के बारे में बातें करते-करते हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से बहते हुए चीन तक पहुंच गये! और आज भी मैं देख रहा हूं कि बाढ़ के विषय में चर्चा होते-होते हमारे कम्युनिस्ट सदस्य के सामने अनायास चीन का एक बहुत ही अच्छा सा नक्शा आकर खड़ा हो गया। मुझे श्रीमन्, कुछ ऐसा लगता है कि चीन की बात इतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है कि कहीं न कहीं तो हमारे और उनके दिमाग में एक ऐसी उलझन सी है जो अपनी समस्या की ओर से मुख फेर कर दूसरे देशों की ओर ले जा कर खड़ा कर देती है। मैं उन माननीय सदस्य के सम्मुख बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता

हूं कि माननीय मंत्री महोदय न तो चीन जायं और न भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी रिपोर्ट को देखने की चेष्टा करें। उनके सामने उन्हीं माननीय सदस्य की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख पत्र "चाइना" पेश करता हूं। यह बड़ा प्रमुख पत्र है और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संसार की ११ भाषाओं में प्रकाशित होता है और उस पत्र में वहां की सबसे बाढ़ बड़ी, जो चीन में सन् ५४ में आई थी, ह्वान में यान्जी नदी का वह नगर, जिस पर प्रतिवर्ष वहां बाढ़ का प्रकोप हुआ करता है। आज से २५ वर्ष पहले का वहां का इतिहास इसमें है कि उस नगर में बाढ़ आई और चीन की गवर्नमेंट ने वहां क्या किया उस सब का इसमें जिक्र है? १७ तारीख को मैं माननीय मंत्री जी के हाथ में एक अखबार की एक कटिंग दे गया था। उसमें चीन सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र का उद्धरण देकर लिखा था कि बाढ़ के कारण गत वर्ष कई हजार प्राणियों की केवल एक नगर के इर्दगिर्द मृत्यु हुई थी। सदस्य आ कर देख सकते हैं कि इस 'चीन' पत्र में वहां की एक दुखद घटना का जिक्र है। ह्वान की बाढ़ के विषय में वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने कहा है कि सन् ३० में जब बाढ़ आई तो वहां ८८ इंच पानी बरसा और ३२,६०० आदमियों के प्राण गये। और वहीं सन् ५४ में ९७.८ इंच पानी बरसा था और उस समय वहां २ लाख ८० हजार स्वयं-सेवकों ने बाढ़ रोकने का काम किया और लिखा है कि सबने बड़ी खूबसूरती से काम किया। पर कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि एक भुनगा भी वहां मरा या है एक तिनके की भी हानि हुई है। यह कम्युनिस्ट टैकनिक है कि दूसरे लोगों द्वारा हानि दे देना तथा अपने हानि लाभ का जिक्र तक नहीं करना! और यह एक ऐसी मिसाल पेश करना है जिसमें एक देश कैसे दूसरे देशों की बातों को बढ़ा चढ़ा कर और अपने देश की बातों को किस चालाकी के साथ छिपा लेता है। कितनी प्रतिभा इस बात की उन देशों में है जैसे चीन है! तो इस तरह से मिसालें देने से हमारी समस्या का हल नहीं हो सकता।

इसके साथ-साथ मैं अपने उन साथियों से जिनको इस विषय में शायद शिकायत हो कि हम सरकारी कर्मचारियों से अधिक काम कर सकते हैं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सही है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते और यह भी सही है कि बाढ़ के आनेके समय ऐसी बहुत सी भूलें हुई हैं कई विभागों की ओर से जिनसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की विभीषिका बढ़ गई है। किन्तु यह बात भी सही है कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा सुन्दर काम किया है। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का एक प्रतिनधि हूं और गत वर्ष जो वहां के फ्लडस यहां आये और बाढ़ के पानी के बारे में यह साफ सूचना थी कि घड़ियाल और उनके बच्चे पानी में फैले हुये थे और तैरते थे, उस समय मेरी हिम्मत छूट गई लेकिन उस पानी में डूबते हुए अगर मैं किसी के सहारे आगे बढ़ गया तो वह उस जगह का हाकिम परगना था। और इस वर्ष जब भी श्रीमन्, मैं विदेश में था और एक ही बार अपने बाढ़-क्षेत्र की परिक्रमा करके बाहर चला गया था तब भी, इस समय तक मेरे पास चिट्ठियां मौजूद हैं उस क्षेत्र की कि हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमें ऐसा हाकिम परगना दे दिया जिसने आपकी अनुपस्थिति में हमें मुसीबत से बचाया और हमें तकलीफ नहीं होने दी। तो किसी न किसी रूप में हमें ऐसे लोगों के कार्यों की प्रशन्सा करनी पड़ेगी। देश सेवा और देश भक्ति का व्रत या देश सेवा का संकल्प का केन्द्रीकरण केवल हममें ही नहीं हो गया है। किन्तु इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि हम लोग अपनी विपत्ति में रोते हुए बहुत दौड़ते हैं, उन पर आंसू बहुत बहाया करते हैं किन्तु उनके साथ-साथ उनका इन मुसीबतों का सदुपयोग भी हो सकता है। गंगा की ओर बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के बाद जहां कि गंगा की बाढ़ आई थी वहां से जब पानी निकल जाता है तो वहां की फसल बड़ी अच्छी हो जाती है। यह भी लोग जानते हैं कि यमुना की बाढ़ के बाद वहां की फसल अच्छी नहीं होती लेकिन गंगा की बाढ़ के बाद वहां की फसल अच्छी हो जाती है। जब ऐसी परिस्थिति हो तो उस समय हमको अपने बाढ़ और उससे नित्यप्रति आने वाली विभीषिकाओं के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा और भी विचार करना होगा। और इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख एक देश की मिसाल पेश करना चाहता हूं। सम्भव है कि कुछ मित्रों को उस देश की मिसाल अच्छी न प्रतीत हो लेकिन अभी इसी वर्ष २६ और २७ अगस्त की बात है। मैं यहां नहीं था, यहां से हजारों मील की दूरी पर था और वहां एक

[श्री परिपूर्णानंद वर्मा]

अखबार देखा जिसका नाम है 'न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून'। उस अखबार में २६ या २८ अगस्त का एक लेख निकला जिसका शीर्षक था "फ्लड्स कम्स ऐज ए बून" (बाढ़ का वरदान)। हमारे देश में ही नहीं, यह हमारे देश की ही समस्या नहीं है यह एक बहुत बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है जिस देश की सम्पत्ति के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसमें इसी साल जून और जुलाई के महीने में इतनी भयंकर बाढ़ आयी कि उस प्रकार की बाढ़ हमारे उत्तर-प्रदेश में अभी तक कभी नहीं आयी। उस बाढ़ के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी उसको वहां की सरकार ने, वहां के लोगों के लाभ के रूप में कैसे परिणत कर दिया। इसका विज्ञान भी एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। तरकारी के दाम बढ़े तो कैसे? किसान के पास दाम पहुंच जाय कैसे? इस उत्पादन के वितरण और विनिमय के तमाम ढांचे को बदल दिया जाय जिससे बाढ़ के कारण उत्पन्न परिस्थिति में किसान जो आज तबाह है उसका कल्याण हो सके। इसका एक बड़ा विज्ञान होता है, इसकी एक रिसर्च होती है। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी कमी यह है कि बाढ़ सम्बन्धी अनुसंधान के सम्बन्ध में हम कोई विशेष प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। नित्य प्रति समस्यायें आती हैं, उनके साथ हम लड़ते चले जाते हैं, उनको सुलझाते चले जाते हैं। मैं नहीं समझा कि ऐसी कोई बात हो सकती है कि अमुक नगर में बाढ़ आवे तो वहां मंत्री महोदय जाकर ही काम कर सकते हैं यह कोई आवश्यक बात नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी और गत वर्ष भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मंत्रियों ने जितना दौरा किया है वह सराहनीय है और उन्होंने जो कुछ सेवायें की हैं वह भी सराहनीय हैं। किन्तु इसके साथ-साथ एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि नित्य प्रति जिस समस्या के लिये उलझन है, जो हमेशा उलझनें हमारे सामने रखती हैं उसमें डे-टुडे फूडिंग से काम नहीं चल सकता। उनका निराकरण करने के लिये काफी रुपया हमें खर्च करना पड़ेगा। और मंत्री महोदय के समक्ष हमारे मित्र केवल चीन की मिसाल देना चाहते हैं परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग इंग्लैन्ड का है उसने फ्लड्स के रिसर्च के बारे में एक उच्च परमानेंट सीट कायम कर रखी है। यूनिवर्सिटियों में और उनकी तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा रहा है कि यदि बाढ़ आती है तो उससे कैसे लाभ उठाया जाय? अमेरिका में जून और जुलाई में तो बाढ़ आती है और अगस्त के महीने तक समस्त बाढ़ का इलाज हो जायगा। जरा इसकी तरफ हमें ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि श्रीमन्, यह तो निश्चित है कि नदियों की रूप रेखा बदल गई, उनकी धारायें बदल गई। प्रत्येक सौ दो सौ वर्ष में प्रत्येक नदी की गतिविधि में और प्रत्येक पहाड़ के उतार चढ़ाव में जाग्रफिकल परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक देश की जागरफी का यह अनुभव है और भौगोलिक अनुसंधान की यह प्रत्यक्ष चेतावनी है कि हर १००–२०० वर्षों के बाद अगर आप किसी देश का मानचित्र उठा कर देख लें तो वहां जागरफिकल परिवर्तन हुआ मिलेगा। मेरे एक मित्र सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता किन्तु लाल बत्ती हो गई है वर्ना मैं कई मिसाल दे देता। अगर आप जागरफिकल मेगजीन उठा कर देख लें आपके ही नहीं बहुत से प्रदेश के सामने यह समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिये डे-टुडे साल्युशन से काम नहीं चलेगा बल्कि अनुसंधान, खोज व वैज्ञानिक विश्लेषण करना पड़ेगा।

**श्री व्रजभूषण मिश्र**—अधिष्ठाता महोदय, बहुत से सदस्य अभी बोलना चाहते हैं, अतएव मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

**अधिष्ठाता**—प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो इस वर्ष बाढ़ हमारे सूबे में कई जिलों में आई हुई है और मेरे जिले में तो हमेशा सैलाब का प्रकोप हुआ करता है, लेकिन इस वर्ष अधिक वर्षा की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है ऐसा और कभी नहीं हुआ। मेरे जिले बहराइच को जो नदियों के कटान से नुकसान हुआ है ऐसा और किसी

जिलों में नहीं होता। उसका एक मुख्य कारण है वह यह कि नेपाल से जो पहाड़ी नदियां निकलती हैं घाघरा, राप्ती और सरयू ये सीधी मेरे जिले से हो कर निकलती हैं। इनके पानी की रफ्तार जितनी तेज मेरे जिले में रहती है उतनी और किसी जिले में नहीं रहती। इस लिये अपने दोनों किनारों पर ये नदियां काफी कटान करती हैं। जो सहायता माननीय मंत्री ने बाढ़-पीड़ितों को भेजी है वह तो हर जिले में दी जाती है लेकिन हमारे यहां यह सहायता देर में पहुंच पाती है। इसकी वजह यह है कि मेरे जिले में सड़कें बहुत कम हैं सिर्फ दो तीन सड़कें हैं। सैलाबी इलाके में जिन क्षेत्रों में गांव कट रहे थे, वहां तक पहुंचने के लिये सरकार के पास कोई साधन नहीं थे और नदी की धार पर--उल्टी धार पर-जब नाव ले जाई जाती है तो इतने धीमे चल पाती है कि पूरे दिन में तीन चार मील पार कर जो लोग जाते हैं वे आधे रास्ते से लौट आते हैं, और इस तरह से जहां गांव कट रहे थे वहां जिलाधीश और सरकारी अहलकार नहीं पहुंच पाये। थोड़े से खर्चे के कारण ऐसा होता है। एक रास्ता है जो बाउंडरी के करीब घाघरा नदी के किनारे गांव कट गये हैं वहां अगर दो दो, तीन-तीन हयूम पाइप डाल दिये जाते तो वहां पूरी मदद पहुंच जाती। लेकिन ऐसा न होने की वजह से हमेशा बाढ़ आती है तथा पब्लिक परेशान रहती है और सरकारी अहलकार वहां नहीं पहुंच पाते हैं। नावें भी हमारे जिले में बहुत कम हैं। अब सरकारी आदेश के जरिये से १० हजार रुपये दिये गये हैं उससे कुछ नावें बनवाई गई हैं। सहायता के बारे में जो सरकारी आंकड़े बताये जाते हैं उससे मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन वह सहायता देर में दी गई है। उसकी खास वजह यह है कि जिस वक्त सैलाब बढ़ रहा था और लोग परेशान थे उस वक्त तहसीलों अंदर लेखपाल और कानूनगो अधिवासी स्टेटमेंट बना रहे थे। जब कमिश्नर साहब ने दौरा किया तो वह समस्या उनके सामने आई और हमने उनसे इन बातों का जिक्र किया तब वे अहलकार छोड़े गये। जब जिले के अधिकारियों से कहा गया कि जब जनता परेशानी में है तो आपके कर्मचारी तहसीलों में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने धीमे स्वर से यह कहा कि हम मजबूर हैं। एक दूसरा आर्डर भी हमारे सर पर लदा हुआ है और कहा गया है कि चूंकि यह भी जरूरी है लिहाजा सबसे पहले यह काम होना चाहिये। लिहाजा मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मौके पर, ऐसे संकट के समय अपने कर्मचारियों को वह छोड़ दिया करे और उसके जो दूसरे विभाग हैं जो उनसे काम लेते हैं उनसे भी इस्तदुआ है कि वे उस जमाने में ऐसे सर्कुलर न जारी किया करें। हमारे जिले में भी बाढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसकी समस्या बहुत जटिल है।

जैसा कि और जिलों के बारे में लोगों ने बताया, फीस के बारे में जो आपने मुकर्रर किया है उसके बाद जो और महीने आते हैं उनको फीस देने का कोई सहारा मालूम नही होता। जैसा कि हमारे माल मंत्री महोदय ने बताया है कि इस साल जोताई कम हो पायी है, इससे फसल बोने के बारे में किसान बहुत पिछड़ जायंगे। मैं तो कहूंगा कि किसान को रबी की फसल बोने का जो समय था वह निकल रहा है और इस वक्त तक जो इतनी बेशुमार बारिश हो रही है उससे मेरा अन्दाजा है कि अगर आज से ही बायल हो जाय, यानी पानी न गिरे, तो भी दस पन्दरह दिन के बाद खेतों में हल चलने के लायक होगा और अभी एक मर्तबा भी खेतों में हल नहीं गया है। इसके बाद रबी की क्या फसल होगी? अगर एक बार जोताई कर भी दी जाय तो उससे फसल अच्छी नहीं होगी बहुत कमजोर होगी। इस लिए हमारा अनुरोध है कि किसानों पर सरकार कृपादृष्टि करके काफी सहायता देने की कोशिश करे। साथ ही साथ उनके ऊपर जो अधिक वर्षा से जो नुकसान हुआ है उसके भी आंकड़े ठीक-ठीक पता लगाने की कृपा करें। हमारे जिले में श्रीमन्, मंत्री महोदय ने अपनी कृपा से आठ लाख कुछ हजार रुपया तकावी के लिये दिया है। लेकिन हमने, लोगों ने जो अपने क्षेत्रों में जा कर देखा तो उससे पता चलता है कि अभी गांव के गांव मुसल्लम बाकी हैं जहां तकावी नहीं मिली है! यह मैं नहीं कहता कि इतना धन कहां से आ जाय जो हर आदमी को मिल जाय। लेकिन यह भी उचित न होगा कि पड़ोस के एक मौजे को तकावी मिल जाय और दूसरे मौजे को न मिले, ऐसी शिकायत भी मुझे अच्छी नहीं मालूम होती है। मैं

[श्री सियाराम चौधरी]

अपने माल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले में बाढ़ कमेटी ने जो सिपारिश आपके पास भेजी हो, उसके अन्दर जो भी मांग की हो, मेरा खयाल है कि पांच लाख रुपया और हमारे यहां के जिलाधीश ने अपनी उस बाढ़ कमेटी की बैठक में पास करके मांगी थी जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि क्या उत्तर दिया गया ? देने का अश्वासन दिया गया या नहीं ? लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जिले के अन्दर बहुत से गांव ऐसे बाकी हैं जिनको तकावी नहीं मिली है और वह परेशान हैं। हमारे जिले में तकावी के समय एक आदमी धक्का मुक्की में मर भी गया, क्योंकि आपका नियम ऐसा बना हुआ है कि जिसके नाम जमीन है वही तकावी पा सकता है। इसलिए एक बूढ़ा आदमी जो अपने घर में बीमार पड़ा हुआ था, जब उसके लड़कों को तकावी नही मिली तो दूसरे रोज खुद वहां पर गया। उस समय बारिश भी काफी हो रही थी, उससे भीग भी गया, कमजोर था ही, खून गिरने के बाद मर गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन नियमों में तब्दीली की जाय। अगर वहां के कर्मचारी यह जानते हैं कि उसी व्यक्ति का लड़का है या जो जिम्मेदार है, उसको तकावी दे देनी चाहिये। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग जो बिला वजह परेशान हुए उनको तकलीफ न उठानी पड़ती। श्रीमन्, भूसे के बारे में जो हमारे मंत्री महोदय ने बताया है हमारे जिले में भूसा मांगा गया था। लेकिन किसी एक काश्तकार को भी भूसा न मिल सका। उसका कारण यह हुआ कि जब बाद में भूसा मंगाया गया तो काफी बारिश हो रही थी। स्टेशन के ऊपर सारा भूसा भीग गया, प्लेटफार्म पर मैदान में पड़ा रहा। जानवर खाते नहीं हैं वह वहीं पड़ा रह गया।

हमारे जिले में टेस्ट वर्क्स में जो मजदूरी दी जा रही उसको देखते हुए उसमें काम करने वाले लोगों का जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है। हमारे मंत्री महोदय ने जो यह बताया कि वहां पर जो और निर्माण के कार्य होने हैं, जैसे बंधी का काम और गांव को ऊंचा करने का काम, वह हमारे जिले में भी हो रहा है। लेकिन जो बंधी पर काम करते हैं उनके लिए टेस्ट वर्क्स से भी कम मजदूरी दी जाती है। इसके बारे में कोई जांच आप करायेंगे। वह सोलह खत्ती तक एक के बाद दूसरी खोदते हैं। जहां पर खत्ती खोदी जाती है वहां पर काफी मिट्टी लायी जाती है और दूर-दूर से लायी जाती है। लेकिन उनको वही चार, पांच, छः आने मजदूरी दी जाती है जो टेस्ट वर्क में मिलती है। उससे भी कम मजदूरी उनको वहां मिल रही है और जिस जगह बंधा बांधा जा रहा है उसकी ओर सरकार की तरफ से कोई टेस्टवर्क नहीं चलाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को इसमें इन्साफ करके उन ठेकेदारों को ताकीद करनी चाहिये कि जितनी खत्तियां लगावें उनकी उतनी मजदूरी बढ़ाते जायं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ के विषय पर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आवाज यह हुई कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां बाढ़ की क्या बात है ? मुझे तो अफसोस यही है कि इस सदन में जिस जगह से मैं आता हूं वहां के सम्बन्ध में इतनी गलतफहमी है। यह बडे दुखः का विषय है। सारे प्रदेश और उसके पूर्वी जिलों में जो बीमारी फैली हुई थी वह पश्चिमी जिलों में भी फैली और दूसरे रूप में पहाड़ी प्रान्तों में भी आई। यह बारिश जो सारे प्रान्त में हो रही है अगर उसके बारे में पूछा जाय कि यह वर्षा जिस मिकदार और जिस मात्रा में मैदानी इलाके में हो रही है क्या उसी मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रही है ? यह गलत नहीं होगा कि यह उतनी ही तेजी से वहां भी हो रही है और जितना नुक्सान इससे वहां इस साल हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इसलिये और वहां बाढ का प्रश्न नहीं तो वह बारिश जिस की वजह से बाढ़ उत्पन्न हो रही है उसका प्रश्न वहां पर अवश्य है।

श्रीमन, अभी जो छुट्टी इस सेशन के बैठने के पहले हुई थी हमें अपनी कांस्टीटूएंसी में जाने का मौका मिला और हमें इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि वहां बारिश लगातार कई रोज से होती चली जा रही है और अभी तक भी जैसा अखबारों से

भी पता चलता है बारिश बन्द नहीं हुई है। उसका फल यह हुआ है कि जो धान की फसल अब तक कट चुकी है उसको एक जगह जमा कर दिया है वह पानी में डूब रही है। जो घर में रख दी गयी है लगातार बारिश होने की वजह से उसमें अंकुर पैदा हो गये हैं. और जो खड़ी है वह गिर करके पानी से लबालब भरी हुई है। श्रीमन, इसलिये जो हालत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मैदान की जनता की है वही हमारे यहां की है। हमारे माल मंत्री जी ऋषिकेश गये तो वहां उनके पास कोई ज्यादा खबर नहीं आ पाई लेकिन मैं उनकी इत्तला के लिए यह नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर भी आज टेस्ट वर्क और गल्ला सप्लाई और जो अन्य प्रकार से सहूलियतें जो दी जा सकती हैं वह देने की आवश्यकता है। इस बात की सरकार जांच कराये कि वहां की स्थिति इस समय कैसी है? वहां बड़ी भयंकर स्थिति हो गयी है। अगर अधिकारी वर्ग यहां खबर नहीं दे सके हों तो उसका एक कारण यह है कि यातायात के साधन बन्द हो गये हैं, सड़कें टूट गयीं हैं, पुल बह गये हैं और घाटियों में जो इरोजन हुए उससे जमीनें बह गयीं। एक एम० एल० ए० गढ़वाल ने बतलाया कि एक स्त्री अपने पुरुष के साथ ससुराल जा रही थी, रास्ते में नदी थी। पुल तो वहां बहुत कम होते हैं। बारिश हो रही थी थोड़ी देर में जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो क्या देखता है कि वह स्त्री बिलकुल गायब है! तो ऐसी जगह कंदराओं में जहां कि लोग रहते हैं उनके बारे में सुनने वाले और देखने वाले बहुत कम हैं। इसलिये मैं अपना फर्ज समझता हूं कि वहां पर मंत्री जी अपनी जानकारी करायेंगे।

**श्री चरणसिंह**—मैं ऐसे आदमी की बाबत क्या जानकारी कराऊंगा जिसने अपनी धर्मपत्नी को इतने पीछे छोड़ दिया कि जब वह बह रही थी तब भी उसको मालूम नहीं हुआ।

**श्री सत्यसिंह राणा**—मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्रीजी बिल्कुल समझे ही नहीं। मैं कहना यह चाहता था कि नदी के किनारे जब वे खड़े थे और इस बात को सोच रहे थे कि नदी कैसे पार की जाय तो ऊपर से एक पहाड़ टूटकर आया और वह वहीं डूब गई। श्रीमन, अगर मंत्री महोदय ऐसी परिस्थिति समझते होते तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुश्किल से कहते।

एक बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षिक करना चाहता था वह यह है कि जो रिलीफ आज हमारे सामने बयान की गयी है वह एक प्रकार की इमीजियेट टैम्पोरेरी रिलीफ है, और पूर्वी जिलों में बाढ़ का आना एक हमेशा की समस्या हो गयी है। इसलिये चाहते हम यह थे कि सरकार किसी ऐसी सुनियोजित योजना को भवन के सम्मुख रखती जिससे आयन्दा आने वाले समय में या १०–१२–वर्षों में पूरे तौर पर बाढ़ कंट्रोल की जा सके। इस सम्बन्ध में एक और बड़ी दिक्कत है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उसी नदी की ओर और उसी स्थान की तरफ सरकार का ध्यान जाता है, और वहां पर डाइक या डैम बना कर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना बनाना बहुत अंश तक गलत होगा। मेरा विश्वास है कि जब तक जिस नदी से बाढ़ आती है उसके उद्गम से लेकर जहां तक वह जाती है उसका पूरा सर्वे नहीं किया जाता और उसको कंट्रोल करने के लिये एक पूरी योजना नहीं बनायी जाती तब तक बाढ की समस्या का हल होना मुश्किल है। पहाड़ों में जहां कि उन नदियों का उद्गम स्थान है, पेड़ दिनों दिन कट रहे हैं। एफारेस्टेशन का कार्य होना नहीं है। अगर सरकार का ध्यान वहां पर वृक्षारोपण की तरफ हो तो इसमें काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा जो वहां से नदियां हती हैं वे अपने साथ सिल्ट लाती हैं जिसे बीच के रीजन में जमा करती हैं जिससे उका बेड ऊपर उठता चला जाता है, और बरसात में बाढ़ आ जाती है। इसी कार वह सिल्ट जहां वे नदियां समुद्र में या किसी दूसरी नदी में मिलती हैं, वहां बढ़ता

[श्री सत्यसिंह राणा]

जाता है। इसलिये डैम्स से यह समस्या हल नहीं होगी। अगर यह सिल्ट डैम में चली जायगी तो उसके भर जाने के बाद वह डैम या डाइक टूट करके उस गांव और जिले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नदी के उद्गम स्थान से लेकर जहां तक वह जाती है उसका सर्वे किया जाय और उसको कंट्रोल किया जाय और उसके उद्गम स्थान पर एफारेस्टेशन किया जाय और उसके नीचे मैदान में उसके सिल्ट के कंजर्वेशन के लिये और पानी के कंजर्वेशन के लिये योजना बनायी जाय। ताकि आगे जो पानी बहे वह सिल्ट को बहाने में समर्थ हो सके। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जो ऐसी नदियों की सहायक नदियां हैं उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है। शुरूआत में खतरा पहाड़ों से शुरू होता है। वहां पर बड़े-बड़े बोल्डर्स आते हैं, जिसकी वजह से दिनों दिन बाढ़ आने का अन्देशा रहता है। इसलिये पहाड़ों में भी जहां-जहां आवश्यक हो बांध बांधे जायं ताकि नदी ट्रेन हो सके। ऐसा करने से आने वाले समय में बाढ़ की समस्या का हल निकल सकेगा और लोग सुखी रह सकेंगे।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि जब से श्रीमन पैनेल में आये तब से आज बड़े सुन्दर अवसर पर मैं श्रीमन को उस चेयर पर देख रहा हूं। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई।

मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने सिवाय छींटाकशी करने के गवर्नमेंट को कोई कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन्स नहीं दिये। मैं आज अपनी गवर्नमेन्ट को कुछ बड़े सुन्दर सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि रिहन्द डैम बना है ठीक वैसा ही घाघरा नदी के ऊपर एक डैम बनना चाहिये और उस पर काफी रुपया सरकार खर्च करे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वे हाल ही में दिल्ली जाने वाले हैं। मुझसे पार्लियामेंट के मेम्बरों ने बताया कि हमारा एक डेपुटेशन प्लानिंग के मिनिस्टर से मिला और श्री नन्दाजी ने कहा कि यू० पी० गवर्नमेन्ट ने कोई स्कीम हमारे पास इस किस्म की नहीं भेजी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और एक सुन्दर स्कीम बना कर उनके पास भेजे, जिससे जो आफत हमारे ऊपर आती है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, वह दूर हो। यह दैविक ताप है, कि यह प्रकृति का प्रकोप है। हमको और गेंदासिंह जी को सोचना चाहिये कि यह सब हमारे, कर्मों का फल है। मैं कहना चाहता हूं कि--Coming events cast their shadows before में इसका मतलब यह है कि आने वाली चीजें पहले ही मालूम होने लगती हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पश्चिम में जहां पानी बहुत कम बरसता था वहां आज दिल्ली बही जा रही है, सामान बहा जा रहा है, रेलें बंद हैं। मुझे उनसे सहानभुति है, दुख है और मैं चाहूंगा कि हर प्रकार की उनकी मदद की जाय। लेकिन केवल डस्ट फेंकने से तो काम चलता नहीं है। जैसे कहा गया है कि--पकर बहियां बल आपनी छोड़ पराई आस। माननीय माल मंत्री जी के पास कोई अलाद्दीन का चिराग नहीं है जो वह गेंदासिंह जी की मांगों को पूरी करते रहें और रात दिन भीख मांगने से काम नहीं चलता है। 'रहिमन वे नर मर चुके जो कहुं मागन जायं, उनते पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाहिं।'

हमारी सरकार ने इन्कार नहीं किया है और वह हमेशा देती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के ऊपर बड़ा भारी संकट आया है। वह विपत्ति जो सामने दिखाई देती है कि बरसात के बाद बड़ी भारी महामारी आने वाली है, भुखमरी आने वाली है और किसान लोग रोगग्रस्त होंगे और जो हमारे भिखमंगे है, मैंने यह नाम इसलिये लिया कि वह लैंडलैस लेबरर्स हैं। वह ५ करोड़ है पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कह रहा हूं। पूर्वी जिलों में ५० प्रतिशत आबादी है और एक के नीचे करीब सब आते हैं।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हरिजनों के लिये माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लेकिन में चाहता हूं कि जो बात आप कहे वह कार्यान्वित होनी चाहिये । हम किसी से शिकायत नहीं करते हैं । मुझे शिकायत होगी तो गवर्नमेन्ट से करूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी मंत्री जी और ऊपर से तगड़े रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें मदद न मिले और हमें मदद मिल रही है । ८५ हजार रुपया बस्ती जिले के गांवों के लिये दिया गया है वह कम है । एक लाख के करीब मकान गिर गये है। १९ सितम्बर को मैं गया था। मैं वहां पर बड़े-बड़े लोगों के घर गया । पंडितो ने कायस्थों ने और वकिलों ने मुझे ले जाकर दिखाया कि मकान गिरने वाले है । मैंने एक सवाल के सिलसिले में निवेदन किया था कि १०० आदमियों को १००,२०० रु० का अनुदान दे दिया जाय तो वह झोपड़ी बनाकर रह सकें। आज सरकार की असीम कृपा से हमारे यहां चर्खा सेंटर्स खुल गये हैं, लेकिन डी० सी० सी० का कहना है कि २६ केन्द्र और खुलने चाहिये । लेकिन अभी तक इन केन्द्रों में चर्खा नहीं पहुंचे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस चीज को नोट करे और वहां चर्खा पहुंचाये जांय मैं केवल गालियां देने नहीं आया हूं बल्कि गवर्नमेन्ट को कांकरीट सजैश्चन्स देने आया हूं ।

दूसरी बात यह है कि ८० लाख एकड़ जमीन जहां पर धान की फसल थी वह बरबाद हो गई है। इसकी इंकम ८० करोड़ रुपये होती है और १५ करोड़ के मकान गिर गये है । इस प्रकार से पूर्वी जिलों में १०० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इसलिये थोड़ी सी रकम देने से काम नहीं चल सकता है। हमें सचेत होना चाहिये और कई करोड़ रुपये सरकार को खर्च करना है और नदी में बाढ़ आने के कारण यह मुसीबत नहीं आई है बल्कि नुक्शान पानी बरसने से और वाटर लौगिग से हुआ है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा हैं । घाघरा हमारे यहां बहती है। हमारे यहां ११,११ नदियां समुद्र की तरह बह रही है, मथुराप्रसाद पांडेय से जांच करा के देखें कि वहां जलामय था ?

जब मुख्य मंत्री जी गये थे तो मगहर से लेकर गोरखपुर तक जलजला था । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह दशा हमारे प्रान्त की है, हमारे जिले की है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो फीस माफ की है उसके लिये में रैक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह फुल शेसन की जाय। इसके अलावा हमारे यहां की तहसील हरैया वह इलाका है कि जो सिर्फ बालू का इलाका है वहां के किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है । वहां जमीदार और चमार दोनों बराबर है, और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्री सरकार लगाये। विलेज की रेंजिग में १२ रुपया दिया जाता है एक यूनिट को । मेरा कहना है कि वह उसी गांव के आदमी को दिया जाय । इसके लिये मैंने कलेक्टर को भी कहा वहां पर प्लानिंग की मीटिंग में, और मैं चाहता हूं कि वह साढ़े चार रुपया गांव के किसान को ही मिले इससे सरकार का प्रोपेगन्डा भी होगा और वह उस काम को सही मानों में कर सकेंगे । तो मैं आपकी इजाजत से गवर्नमेन्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितनी बन सके उतनी मदद उनकी कीजिये और जो स्कीम बनाई गई है वह नन्दा जी को लिख कर भेजी जाय । जो योजना अंतिम बने वह सही योजना बने जिससे कि हमारे प्रान्त का और हमारे देश का वास्तव में भला हो । इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने माल मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

†**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—जनाब मोहतरिम स्पीकर साहब, आज सिर्फ सैलाब का ही नहीं बल्कि हमारी बदकिस्मती से हमारे सूबे में जो बारिश का अंदाज रहा है उससे जो शदीद नुकसान पहुंचा है उससे देहातों को ही नहीं बल्कि शहर को और कस्बों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों को ही नहीं मकानात को भी काफी नुकसान पहुंचा है और मकानात रहने के काबिल नहीं रह गये है। इसके पहले सन् १९५२ में जब सैलाब आया और पानी ज्यादा बरसा था उस वक्त भी मैंने गवर्नमेन्ट से अर्ज किया

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

था कि एक तरफ देहात का ख्याल किया जाय और दूसरी तरफ शहरों को जो मकानात का नुकसान पहुंचा है उसके लिये म्युनिसिपैलिटीज को हिदायत जारी की जाय कि कम से कम वह ऐसे मकानों पर अपना टैक्स माफ करे । जनाब वाला, मैं आपके जरिये से खुसूसियत के साथ आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि गौंडा जिले में उतरौला कस्बे के करीब राप्ती एक नदी है और इसके अलावा वहां एक नदी और है । दो नदियां हैं, इस बार बारिश की तेजी से दोनों नदियां मिल गई और उनके पानी ने बेपनाह तरीके से वहां बरबादी की है, और इसके साथ ही साथ उतरौला खास और कुर्बजवार में ऐसा गैरमामूली तरीके से नुकसान पहुंचा है मकानात को कि उनकी दो चार साल में भी दुरुस्ती होना मुमकिन नहीं है । हो सकता है कि मसरूफियत की वजह से ख्याल न किया गया हो लेकिन अब भी वक्त है । वहां पर जो लोग दूसरे मुकाम पर जाना चाहते थे तो उनके लिये कोई इंतजाम नहीं था । गवर्नमेन्ट की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं था और न कोई ऐसा जरिया था कि वे लोग अपना माल अस्बाब लेकर दूसरी जगह जा सकते । मेरे ख्याल में यह बात तवज्जह में आई नहीं लेकिन अब भी मौका है । आप वहां के लगान में काफी कमी करें और जहां तक इमदाद देने का ताल्लुक है वह उतरौला के कस्बे और उसके कुर्बजवार को ज्यादा से ज्यादा मिल सके इसकी कोशिश करें । वहां के जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनकी फीस मांफ करें, और इसमें मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ मुत्तफिक राय है कि अगर आपने उनकी फीस दिसम्बर तक माफ की तो वह कम होगी । क्योंकि सैलाबजदा इलाके के लोग दिसम्बर के बाद भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि वह अपनी फीस, अपने बच्चों की फीस दे सकें । जहां तक फीस का ताल्लुक है, जैसे लाखों रुपया और गवर्नमेन्ट ने हमेशा इमदाद दी है इन सैलाबजदा लोगों को, उसी तरह से यह भी समझा जाय कि उनको इमदाद दी जा रही है और पूरे साल की फीस माफ की जाय इन लड़कों की थोड़ी सी तादाद होगी और वह आसानी के साथ माफ की जा सकती है । मैं उसी के साथ साथ यह अर्ज करूंगा कि आपने शायद सुना हो कि अब भी जो सड़क कस्बे के अन्दर मनकापुर से आती है वह वह कस्बे से होकर बलरामपुर जाती है । उस सड़क की हालत यह थी कि वह कहीं कहीं खराब रहती थी लेकिन इस बरसात के दिनों में उसकी जो हालत हो गयी है उसमें वह नाकाबिले गुजर हो गयी है । मुझे डर है कि इस बरसात के बाद ऐसी गैरमामूली बीमारी वहां पर फैलेगी जिससे बचना वहां गरीबों के लिये मुमकिन नहीं होगा । वहां पर एक छोटा सा अस्पताल भी है जिसमें दवायें बहुत कम या बिलकुल न होने के बराबर है । वहां पर तिब्बी इमदाद बहुत आसानी से पहुंच नहीं सकती है, और आज तक की तवारीख यह है कि उस कस्बे उतरौला के बाशिन्दे इस तिब्बी इमदाद से महरूम रहे हैं । और महरूम रहने की वजह से उनका खतरा और भी बढ़ सकता है । तो ऐसे वक्त में मैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, जिनसे बहुत सी उम्मीद की जाती है, यह अर्ज करूंगा कि वह उस तरफ अपनी तवज्जह फरमाये और मुझे उम्मीद है कि वह उन गरीब आदमी के लोगों की इमदाद करेगें ।

मैं समझता हूं कि सैलाब का मामला जो आज बहस के लिये हमारी गवर्नमेन्ट ने रखा है यह कोई किसी एक पार्टी का मामला नहीं है । यह तो एक इन्सानियत का मामला है जिससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है । किसी एक तबके का मामला नहीं है, यह तो हजारों शहर और बस्तियों का मामला है जिस पर हमदर्दी से गौर करने की निहायत जरूरत है । इस पर किसी किस्म की लकीर खींचने की जरूरत नहीं है । अगर कोई कमी रह गयी है तो हमारा यह अव्लीन फर्ज है कि उसकी तरफ मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलायें । हमारी यह तवक्को है कि गवर्नमेन्ट जल्द से जल्द अमली कदम उठायेगी और जो भी इमदाद मुमकिन है उससे वह गुरेज नहीं करेगी । हमारी यह

उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब किसी वजह से उस तरफ से अपनी तवज्जह हटा लें यह नहीं हो सकता । रुपये की वजह से कुछ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जाहिर है जो रकम हमारे पास है वह महदूद है और उस महमूद दायरे में ही उसको खर्च करना है। लेकिन यह जरूर देखना है किस खित्ते में ज्यादा नुकसान हुआ है और किस खित्ते के लोग इमदाद के ज्यादा मुस्तहक है ? अगर कोई ऐसा इलाका है जैसा कि मैंने बतलाया कि जहां पर बीमारी फैलने का अन्देशा है तो वहां के लिये गवर्नमेन्ट को इस बात का इन्तजार नहीं करना चाहिये कि बीमारी फैलने के बाद वहां पर इन्तजाम किया जाय ! अगर वहां पर बीमारी फैल गयी और हजारों आदमियों का नुकसान हो गया, जानें चली गयीं, बच्चों का नुकसान हो गया, तब आप इमदाद करने लगे तो उस वक्त वह इमदाद दें तो उस वक्त वह इमदाद उनके लिये फायदेमन्द साबित नहीं होगी । जिस इलाके का मैंने जिकर किया है जहां पर जाने के लिये बड़ी दिक्कत है अगर वहां के लिये दवाइया कसीर तादाद में मुहैया कर दी जाय तो हजारों लोगों का, जो मरने वाले हैं इलाज हो सकता है । बाद में चाहे आप उनके लिये लाखों रुपया खर्च करे और कितनी ही देखभाल करें उससे उनको क्या फायदा हो सकता है ? इसलिये जनाबवाला के जरिये से मैं मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि मैं अभी दिल्ली गया था । वहां पर जो मैंने सैलाब का मंजर देखा है, जो तबाही का मंजर देखा है वह ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर कोई भी इन्सान रोये बगैर रह सके । हजारों की तादाद में लोग उस सैलाब के तमाशे को देखने के लिये पहुंचे थे । लोगों को पानी से बाहर निकाला जा रहा था । घरों को बचाने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी । उन लोगों की इमदाद के लिये फौज पहुंची हुई थी और कुछ पुलिस भी गयी थी । बहुत बड़ी मुश्किल के साथ लोगों को पानी से बाहर निकालकर लाया गया । जो सैलाब का तमाशा देखने के लिये जाते थे उससे उनको और दिक्कत पड़ती थी । मैंने उस चीज को तमाशे की हैसियत से नहीं बल्कि दर्दनाक हालत को देखने की हैसियत से देखा था । मेरी दरख्वास्त है कि वहां से उसकी रिपोर्ट को मंगाया जाय और देखा कि उतरौला की हालत क्या है, और वहां के कुर्बेजवार की हालत क्या है ? उस हलके में करीब ८३ हजार वोटर है । इतने वोटर वहां पर हों आप उसका अन्दाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा वह इलाका है ! उससे आप किसी तरह से आंख नहीं मूंद सकते हैं। हमें इस बात की जरूरत है कि एक बड़ी मिकदार में उतरौला के कुर्बेजार की मदद की जाय । वहां पर जहां तक पानी पहुंचा है वहां खेती सब बरबाद हो गयी है और मकान भी गिर गये हैं, बल्कि कोई पुख्ता मकान ही ऐसा बचा होगा कि जिसके अन्दर पानी न पहुंचा हो और ज्यादा नुकसान न हुआ हो वरना आम तरीके से छोटे मोटे मकान इस काबिल नहीं रह गये है कि गरीब लोग उनमें रह सके । अगर आपका इंजीनियर जाकर उन मकानों को देखे तो वह मजबूर होगा वह हुकुम देने पर कि इन मकानों को खत्म कर दो। उस वक्त एक बड़ी समस्या आपके सामने होगी जिसका हल करना आपके बस का नहीं रहेगा बल्कि वह सिर्फ कुदरत के बस की बात रह जायगी। ओढ़ने को कम्बल और खाने के लिये गल्ला और थोड़ी दवाइयां आप पहुंचवा दें तो मेरे ख्याल से थोड़े रुपये में काम चल जायगा। दूसरी जमातों के पास रुपया नहीं है और न सामान है । रस्मोरसायल के सिलसिले सरकार के अख्तियार हैं। हो सकता है कि मुकाबिले के लोग भी इमदाद करें। मैं समझता हूं और आखिर में इतना कहूंगा कि आप उतरौला और चन्दपुर की तरफ ध्यान देंगे ताकि वहां हकीकी इमदाद हो सके और थोड़े से रुपयों की इमदाद में वहां के लोग काफी मुतमइयन हो जावेंगे।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, आज उस बाढ़ की विपत्ति को हम असेम्बली में लेकर बातचीत करने चले हैं और बतलाने चले हैं कि हमारे जिलों में किस तरह से बाढ़ की विपत्ति आई ? बाढ़ अभी तक पूर्वी जिलों में हुआ करती थी और वे इसके अभ्यस्त थे, परन्तु अबकी बार तो पश्चिमी जिलों में बाढ़ ने गजब ढा दिया है। मैं कहता हूं

[श्री दीनदयालु शर्मा]

इसमें घबराने से नहीं, बल्कि बाढ़-पीड़ितों के अन्दर धैर्य और साहस तथा सक्रिय कार्य करने से और उनको सात्वना देने से काम चलता है। पहिले जब ऐसी दैवी विपत्तियां आया करती थीं तो बहुत सी सेवा समितियां और दूसरी जमातें ऐसी हुआ करती थी जो काम करने के लिये निकल पड़ती थीं। मैं समझता हूं कि आज उनके संगठन कमजोर पड़ गये हैं और ऐसे संगठन अधिकतर नहीं रह गये हैं फिर काम कौन करे? जहां बाढ़ आती है वहां खादर का क्षेत्र होता है और वहां यातायात के साधन नहीं होते तो जनता के साथ ही पैदल जाकर काम किया करते थे। जो कार्य सरकारी कर्मचारियों ने किया वह सराहनीय है, और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हर प्रकार से मुसीबत में कार्य किया। यह मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं। परन्तु हमें सोचना यह है कि क्या खाली इस काम से हमारा उद्देश्य पूरा हो जायगा? हमको ऐसा वातावरण पैदा करना है कि जनता यह समझे कि हम जितने मेम्बर यहां आते हैं हम सक्रिय कदम उठाते हैं और हम यह ऐलान करें कि हम आज का और कल का और परसों का अपना डी० ए० बाढ़ पीड़ितों के लिये दें। वर्ना तो यहां भाषणों की बाढ़ से काम नहीं चलने वाला है। इसलिये प्रत्येक मंत्री, उपमंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अपनी तीन दिन की तनख्वाह दे और मेम्बर तीन दिन का डी० ए० दें। इससे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी कि हमने बाढ़पीड़ितों को हमदर्दी की।

दूसरी बाद मुझे यह कहनी है कि बाढ़ के लिये एक योजना होनी चाहिये। साल भर में जो प्रगति का कार्य हम करते हैं वह हर साल बाढ़ आने से नष्ट हो जाता है और बाढ़ की गोद में सदा के लिये सो जाता है क्याकि ऐसी योजना के मुताबिक हमें काम करना होगा। यह दैवी प्रकोप है और जनता के अन्दर यकायक आता है। उस पर काबू पाना ५,७ साल की आजादी में कोई मामूली बात नहीं है। जो देश बहुत दिनों से आजाद हुये हैं और बहुत आगे हैं उनके साधन बहुत आगे हैं वे बाढ़ पर काबू पा चुके हैं, और मैं समझता हूं कि २५,३० साल में हम भी बाढ़ को खत्म कर देंगे। हम एक योजना के मुताबिक लेंगे। यह तो एक जनरल बात हुई। अगर इजाजत हो तो मैं अपने जिले के बारे में भी कुछ कह दूं। हमारे यहां बाढ़ से सैकड़ों गांव एक दम नष्ट हो गये। सही बात मैं यह बतलाता हूं कि दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक जो ६० मील का क्षेत्र जमुना के इलाके में है उसमें ओखला का बांध टूट जाने से जिससे एक दम पानी आया। रेल की लाइन से पानी ने निकल कर एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। खादर के इलाके के लोग अधिकतर मवेशी पालते हैं। उनके पास जमीन तो थोड़ी होती है। मवेशियों के दूध और घी से अपनी गुजर बसर करते हैं। इस बाढ़ से मवेशियों को जो दुर्गति हुई है, मंत्री महोदय उसे कथन नहीं किया जा सकता है। कितने मवेशी मरे, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, और कितने बीमार हुये इसकी भी कोई गिनती नहीं है। इसके कारण जो बदबू वहां फैली हुई है उसके बारे में क्या कहूं! इसके अलावा आदमियों के अन्दर जो बीमारी फैली है वह भी विचारणीय है। उनको अभी तक सही तरीके से दवादारू नहीं मिली है। यह माना कि सब साधन वहां जुटाये हुये हैं मगर फिर भी एक दैवी प्रकोप हुआ और वहां एकदम सहायता नहीं दी जा सकती है। मेरे जिले में भी जो यह बीमारी फैल रही है उसे एकदम रोकना जरूरी है। मैं नहीं कह सकता कि जमींदारों के रहते हुये जुल्म होते थे, मगर किसानों को खराब से खराब जमीन रहने को मिलती थी। मगर जमींदारी खत्म हो गई और अब मंत्री महोदय आपने एक कानून बना दिया है। जहां गांव छोटे-मोटे बस रहे थे उनके जंगल मुहकमा जंगलात को दे दिये हैं और थोड़े जंगल गांव सभाओं के पास आये हमारी तरफ चूकि फारेस्ट का कोई खास प्रबन्ध नहीं है इसलिये नौकरी कुछ को दी गई और उनका काम सिर्फ यह है कि जंगल में जो मवेशी जाते हैं उनसे पैसा लेते हैं जो सरकार में जमा नहीं किया जाता। और कुम्हारों से एक आना टैक्स है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है और आगे होगा भी नहीं। अच्छी जमीनें वहां थीं और गांव आसानी से बस सकते थे और बगैर खेती वाले भी वहां रह सकते थे। उसमें हमको कुछ

थोड़ा बहुत लाभ हो जाता और हमको सहायता होती ऐसी दैवी विपत्ति में। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं; और वह यह है कि कुछ काम प्लानिंग में हुआ। बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े सराहनीय कार्य हुये श्रमदान के। लेकिन हमको कोई टेक्नीकल ज्ञान तो था नहीं, हम में से कोई विशेषज्ञ भी न था और न हमें कोई एडवाइस ही मिली। हमने जहां समझा सड़कें बनायी, नालियां बनाई और जहां जो काम उचित समझा किया। एक तरफ से मिट्टी उठाई तो दूसरी तरफ टीला खड़ा कर दिया! जब पानी बरसा तो उसका बहाव इधर का उधर और उधर का इधर हुआ और जब आगे जाकर कहीं रुक गया तो उसने एक समस्या पैदा कर दी। यह इस कारण से हुआ कि जब हमने यह काम किया तो हमें कोई टैक्नीकल नालेज नहीं थी। और जो भी काम किये वह अन्धाधुन्ध किये। इस प्रकार जहां खादर भी नहीं था वहाँ भी पानीने बाढ़ का रूप धारण कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है, देखने का मौका तो मिला नहीं, सरकार से हमने कहा था कि फ्री पास दे दो तो हम भी पूर्वी जिलों को देख आते, लेकिन वह भी नहीं दिये गये। सुना है कि सरकार एक योजन बना रही है गांवों को ऊंचा करने की। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक जगह से मिट्टी खोदकर दूसरी जगह को ऊंचा करके गांवों को वहां बसाया जायगा। चारो तरफ से मिट्टी खोदी जायगी और बीच में नाव की भांति ऊंचा कर दिया जायगा। मिट्टी कोई बहुत दूर से तो लाई नहीं जा सकती है वह तो नजदीक, फर्लांग, दो फर्लांग से ही खोद कर लाई जायगी और झील सी बना दी जायगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह क्या तरीका अख्तियार कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को सोचेगी क्योंकि जो सरकार का रुपया लगता है वह जनता का रुपया ही है तो उस रुपये का सदुपयोग होना चाहिये चाहे लंबी ही योजना क्यों न हो, और उसको अच्छी प्रकार से खर्च किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं और यह मेरी निजी बात है। मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय उस पर गौर करें। हमारे जिले में से काली नदी जाती है, वह मेरठ में से भी जाती है उसका बहाव बिलकुल सांप की भांति है। उसकी बाढ़ गजब का होती है। जब पानी आता है तो रुकता रुकता आगे चलता है और फैलता जाता है, गांवों के अन्दर भर जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसकी सर्वे कराकर उसको सीधा खुदवा दीजिये। हजारों एकड़ जमीन उससे निकल आयेगी। मंत्री महोदय ने उसके लिये वादा भी किया था लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर इसको जल्दी कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अतिरिक्त यहां पर एक बाढ़ कमेटी भी है। पहले बाढ़ के लिये पूर्वी जिलों की बात थी अब उसमें पश्चिमी जिलों के लोग ले लिये जायें तो बहुत अच्छा होगा। अब रुपया हमारे जिले में जो दिया गया है वह केवल इतनी बाढ़ आने पर केवल एक हजार ही दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ रुपया और भिजवा दें।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, बाढ़ के संबंध में इस भवन में यह दूसरी बार विवाद हो रहा है और मैं समझता हूं कि विवाद की यह आवृत्ति कदाचित उचित ही रही है। यह ऐसा है कि इस बार बाढ़ ने भी ऐसा दिखलाई देता है। कि जैसे कोई जिद्द पकड़ ली हो और एक प्रतिशोध की भावना से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसका आक्रमण होता जा रहा है। अगस्त में आक्रमण हुआ भयंकर और प्रचन्ड। एक बार उसपर विचार हुआ सितम्बर आक्रमण हुआ, उसके ऊपर आज दूसरी बार विचार हो रहा है, अबमालूम होता है कि अक्टूबर में भी बाढ़ शुरू हो गयी है और तीव्र गति से शुरू हो गयी जिसका अन्दाजा और अनुमान हम समाचार पत्रों से लगा सकते हैं। उचित ही था यह विवाद होता और श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपने इस आदरणीय सदन के अपने सम्मानित मित्रों, सम्मातिन साथियों और भाइयों सब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़े ऊंचे स्तर पर इस विषय पर विचार किया है। मैं नहीं मानता

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कि किसी ने भी किसी दलबन्दी गुटबन्दी या और किसी भावना से विचार किया है। एक बड़ी भारी विपत्ति और संकट प्रदेश में आ गया है और उससे किस प्रकार अपने प्रदेश की जनता का त्राण किया जाय इसी एक परम सद्भाव की भावना से ही सभी ने इस पर विचार किया है। और इस कारण हमारे इस विवाद का स्तर बहुत ऊंचा रहा है। और मैं नहीं जानता कि इस प्रकार बाढ़ हमारे प्रदेश में क्यों आयी ? बाढ़ बहुत आया करती थी, हमेशा आया करती थी, लेकिन आज तो कुछ ऐसा दृश्य है कि सारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसा लगता है कि समस्त उत्तर भारत बाढ़ से बह गया। पेप्सू में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, देहली में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में, केंद्र में, उसके पूर्वी अंचल में, और उत्कल में, बिहार में, बंगाल में, और आसाम में, सब जगह एक कोने से दूसरे कोने तक बाढ़ ही बाढ़ है और भयानक रूप में बाढ़ है। जैसा कि संवाद दाताओं के समाचारपत्रों से मालूम होता है पाकिस्तान के क्षेत्र में भी बाढ़ है और वहां तो हजारों व्यक्तियों की जानें गयी हैं, प्राणनाश भी बहुत हुआ है, धन सम्पत्ति का नाश तो हुआ ही होगा। यह एक साधारण स्थिति दिखलाई देती है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों को अवश्य विचार करना चाहिये। सुना यह करते थे कि जंगल कम हो जाने से हमारे प्रदेश में सूखा पड़ने लगा और २१ प्रतिशत या १७ प्रतिशत से घटकर वह ९ प्रतिशत हो गया। पिछले बार पांच वर्षों में कहीं कहीं बाढ़ आती थी और खासकर पूर्वी इलाकों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने लगी, जहां बाढ़ का संकट अक्सर व्यापक क्षेत्र में दिखलाई देता है। हमने एक योजना बनायी जिसमें सिंचाई के साधनों का विस्तार भी किया। सोचा यह गया कि जहां सूखा पड़ता है वहां जंगल लग जायंगे तो वे बादल को रोक देंगे, तो उसके लिये हमने वृक्षारोपण सप्ताह भी मनाना शुरू किया। लेकिन तब से वृक्ष भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं लग सके हैं और न वे सौ-सौ, पचास वर्ष के हो हुये हैं जो बादल को रोक कर पानी बरसा दें। लेकिन यह जो बरसात हुई कहीं कहीं ६० इंच वर्षा हुई कहीं ७० इंच वर्षा हुई, कहीं ८० इंच वर्षा हुई, कहीं ९० इंच वर्षा हुई और कहीं कहीं १०० इंच तक वर्षा हुई है। पता नहीं यह प्रलयंकर जल कहां से आ रहा है ? अभी झारखंडेराय जी ने एक बात कहीं, मैं सोचता हूं कि उसको मजाक में उड़ा देने की बात नहीं है। यदि संभव हो तो वैज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर भी विद्युत कण का असर हुआ हो ? इस सारे प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है। ऐसा मालूम होता है कि सारे बादल ही उलट पड़े। मैं अभी पहाड़ पर से आ रहा हूं। कहा यह जाता है कि पहाड़ों पर बाढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन वहां वह भयंकर बरसात हुई है कितने पहाड़ टूट गये हैं, कितने सड़कों पर गिर गये हैं। कितनी सड़कें खराब हुई हैं, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है! यह मैंने स्वयं देखा है और यह एक ऐसी बात है जिस पर विचार करना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। कई महीने हुये पानी बरसते हो गये हैं। हथिया नक्षत्र भी बीत गया, दूसरा नक्षत्र भी बीत गया, लेकिन पानी बरसता ही जा रहा है। मालूम होता है कि सावन की समां लगी है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की ऋतु में ही परिवर्तन हो गया और यहां बारहों महीने पानी बरसेगा। और अभी माननीय माल मंत्री ने जो संकेत किया वह और भी परेशान करने वाला है मकान बनायें, घर बनायें, गांव बनायें गांवों को ऊंचा करें, बाध बनायें तमाम काम हैं जिन से फुरसत नहीं मिलती। हमारे माननीय माल मंत्री जी ने गांवों को ऊंचा करने की बात कही और यह काम अभी कम हुआ है, बड़ी दिक्कत है। जैसा कि सदस्यों ने भी कहा कि कहां से मिट्टी लाई जाय, आबादी के नजदीक से ले नहीं सकते, दूर से कैसे लायें? कहां से लायें, तमाम पानी भरा हुआ है और वहां अभी तक आना जाना तक कठिन है, कहीं छाती बराबर पानी है कहीं कमर बराबर पानी भरा पड़ा है। तो मकानों को ऊंचा बनाने का अभी जैसे इन्तजाम हो, अभीतक बरसात हो रही है, नदियों में बाढ़ आ रही है। इसलिये ऐसी परिस्थिति में हमें एक विशेष विचार की आवश्यकता है।

जहां तक बाढ़ क्षेत्रों में सहायता के कार्य का संबंध है हमारे माल मंत्री जी ने उस का बड़ा विस्तृत और विषद वर्णन सदन में कर दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि विधान सभा के माननीय

सदस्यों को संतोष ही हुआ है और भले ही कुछ आंकड़ों के संबंध में किसी की कोई दूसरी राय रही हो लेकिन सरकार की ओर से किन्हीं भी आंकड़ों को कोई छिपाने की इच्छा नहीं है। कुछ कभी वह हो सकते हैं या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितना भी सहायता का कार्य हो रहा है और जो योजना चल रही है जिस का वर्णन यहां किया गया है उस पर सदन में संतोष ही प्रकट किया गया है। मैं समझता हूं कि सहायता के संबंध में यह कहना कि सहायता कम दी जा रही है तो यहां तो कोई भी इस बात का दावा नहीं करता है कि वह सहायता बाढ़ पीड़ितों के तमाम कष्टों का विनाश और परिहार कर देगी। हम स्वयं जानते हैं कि इतने से वह नहीं हो सकता। उनके तमाम मकान गिर चुके हैं, एक एक दीवार गिर गई है, और उनको एक झोपड़ी के लिये २०० रुपया भी दिया जाय तो ४ लाख मकानों के लिये, मैं गुणा भाग नहीं जानता, तो वह रकम ८ करोड़ रुपये के करीब होती है। हमारी और इस सरकार की इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस समय कर सकें, साधनों की कमी है, और उसके लिये हम आप या यह सरकार दोषी नहीं है। इसलिये इस विपत्ति के काल में जो कुछ भी हम साधनों के अनुकूल कर सकते हैं वह हमें करना चाहिये, लेकिन इसमें शिकायत का मौका नहीं है कि ऐसा कहा जाय कि जानबूझ कर दस रुपये दिए जाते हैं जिससे बाजार से नमक, तेल, तम्बाकू, लकड़ी आ जाय! यह हो सकता है कि जो सहायता दी जा रही है, वह अगर बढ़ाई जा सके तो बढ़ाई जायगी।

जहां तक रिलीफ के काम का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और उस की तारीफ भी की गयी है। और सब से अधिक तारीफ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की और साथ साथ अधिकारियों की सार्वजनिक कर्मचारियों की है और बड़े व्यापक रूप से यहां संतोष ही प्रकट किया गया है, और मैं ऐसे कर्मचारियों को भी जानता हूं कि जिन्होंने खतरे में कूदकर काम किया है और बाढ़ के क्षेत्र में कार्य करते हुये ऐसे अधिकारी भी मुझे मिले हैं जो वहां की हालत बयान करते हुए धार धार आंसुओं से रोते थे। और उनका हृदय वहां के दृश्यों को देख कर पिघल गया और उन्होंने वहां बड़ी मेहनत से और त्याग की भावना से सहायता का काम किया है। हमारी सिंचाई विभाग की ओर से जो कार्य हो रहा है उस सम्बन्ध में कुछ बातें सिंचाई रिपोर्ट में दी गयी हैं जिनका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं। एक बात यह कही गयी कि माननीय मालमंत्री जी बाढ़ के पूर्वी क्षेत्र में स्वयं नहीं गए? मुझे तो यह आक्षेप उनके लिये बड़ा निष्ठुर सा लगा और ऐसा कहना उचित नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि वह स्वयं ही हर जगह जा कर देखें, शासक सहस्राक्ष होता है, अर्थात् उसकी हजार आंखें होती हैं, जिस मंत्री का विभाग वह है और जो उसके सारे सहायता कार्य का कर्णधार है और जिसको पूरे क्षेत्र का ज्ञान रखना है और जो एक नौका का पतवार लिये बैठा है उसका हर समय यहां बना रहना आवश्यक है कि जिसके नीचे सारा विभाग, पूर्व और पश्चिम, सब में काम कर रहा है, मैंने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, केन्द्र के मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नन्दा जी ने, तमाम उन जिलों के एम. एल. एज. ने, एम० पीज० ने वहां जा कर हालत को देखा। उन्होंने ही नहीं कई उपमंत्री और सभासचिव भी गए और बराबर सरकारी अधिकारी जा कर देख रहे हैं और जरा जरा सी रिपोर्ट आ रही हैं। आप की आंखें जो देख रही हैं केवल वही दृश्य आप के सामने हैं परन्तु मंत्री जी की सहस्र आंखें हैं जो देख रही हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जो उनसे छिपी है, काम हुआ है और सरकार को सतर्कता से जो करना चाहिये और जितनी उस की क्षमता है करती जा रही है।

गांवों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में कई बातें कही गईं। मैं माननीय गेंदासिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमने पिछले साल इस काम को शुरू किया और गोरखपुर की हालत को भी देख कर हमने निश्चय किया कि वहां भी गांव ऊंचे किये जांय और उन की रक्षा की जाय। तमाम इंजीनियर्स उसकी उपयोगिता में संदेह करते थे कि ऊंचा कर के क्या करोगे? हमने कहा ट्राई किया जाय, हमने वह प्रयोग किया। हम चाहते थे कि देवरिया, बस्ती और गोरखपुर में जहां नदियों के पेटे में गांव ज्यादा हैं जो ध्वस्त हो जाया करते हैं वहां ऐसे गांव ऊंचे हों। तो देवरिया में तो लोगों ने न केवल सहायता करने से इन्कार कर दिया बल्कि बाकायदा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसके विरोध भी किये जाते हैं क्योंकि लोग जानते नहीं हैं कि ऊंचा करने से क्या लाभ होते हैं ! लोगों ने कहा कि बल प्रयोग किया जाता है तो हमने कहा कि बल प्रयोग रत्ती भर नहीं होना चाहिये। जो लोग चाहें कि हो वहां किया जाय। बस्ती के लोगों ने हमारी सहायता की और वहां तीन सौ और सौ सवा सौ के करीब गांव गोरखपुर में उठाये गये और उनकी उपयोगिता भी इस बार कुछ दीख पड़ी। प्रत्येक माननीय सदस्य ने जिन्होंने देखा है और झारखंडे राय जी ने भी सब ने कहा है कि थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली है। हमने अब इसकी व्यापक योजना शुरू की है और २५ सौ गांवों को ऊंचा करने में ३ करोड़ रुपया रखा है। इसके अलावा, बहराइच में, आजमगढ़ में, गोंडा में, बलिया में सन् ५४ के बजट में हमने ६०, ७० लाख रुपया रखा है कि गांवों को ऊंचा करें। तो करीब साढ़े तीन चार करोड़ रुपया इन गांवों को ऊंचा करने में खर्च हुआ। ठेकेदारों से काम लेने में हमें कोई रुचि नहीं है। यह आदेश दिये जा चुके हैं कि जो गांव सभायें इस काम को करती हैं उनसे कराया जाय और अगर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो हमें बताया जाय कि कहां नहीं हो रहा है ? हम जांच करेंगे कि कैसे नहीं हो रहा है ? आदेश के अपालन करने की दृष्टि से यह काम नहीं हो रहा है, वहां की ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि ऐसी गांव सभायें हैं जिन्होंने काम को आधा अधूरा करके छोड़ दिया और कह दिया कि हमसे इससे आगे नहीं हो सकता। ऐसी मिसालें एक दो नहीं हैं बल्कि पचासों मिसालें हैं कि उन्होंने अधूरे में काम को छोड़ दिया और हमें उस काम को पूरा करना पड़ा। तो उसमें काफी कठिनाइयां हैं लेकिन हमारी घोषित नीति है कि गांव सभाओं से इस सम्बन्ध में काम लिया जाय और जहां आवश्यक हो हम उसकी देख-भाल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ठेकेदार उस से अलग किये जायं और गांव सभाओं के द्वारा ही उनको ऊंचा करने की कोशिश की जाय। मिट्टी लेने की शिकायत की गई कि हम मिट्टी लेते हैं। दीनदयालु जी ने कहा कि देखो नहीं तुम चारों ओर गड्ढा कर दोगे। इसमें चारों ओर गड्ढा या खंदक खोदने की बात नहीं है, एक फुट डेढ़ फुट लम्बी मिट्टी हम लेते हैं बराबर उस इलाके के पास है। जहां हम खोदते जाते हैं वहां बाढ़ का पानी जब आता है तो चार साल में आठ साल में दस साल में अगर इरोजन का रेगुलेटर बना दिया जाता है और उसे रोक दिया जाता है तो वह नदियां उसको पाट सकती हैं। यह कोई इरादा नहीं है कि हम वहां खाई खंदक खोद दें या तालाब बना दें, जिसमें लोग गिरें और मरें। तो हालत यह है कि लोग मिट्टी खोदने नहीं देते और मिट्टी लेने से रोकते हैं। समझते नहीं बेचारे, फिर भी उनको समझाया जाता है और अगर समझाने बुझाने से वहां से मिट्टी मिल जाती है तो कोई परती जमीन अगर है या कोई बाग बगीचा है या कोई ऐसा स्थान पड़ा हुआ है तो हम उससे मिट्टी लेते हैं। और ऐसे ही स्थानों से मिट्टी लेने की कोशिश की जाती है जहां से कोई नुक्सान न हो और लोगों से समझने बुझाने से काम चल जाय और गड्ढा या खंदक खोदने के विचार से मिट्टी नहीं ली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांवों को ऊंचा करने से हमें काफी लाभ हुआ है। उनके पानी के बहाव को हम नीचा करते हैं और दूसरी बात कटाव के सम्बन्ध की है। यह बात सही है और मैं निवेदन कर चुका हूं कि बहुत से गांव कटे हुये हैं।

हमारे भाई परिपूर्णानन्द जी कह रहे थे कि भौगोलिक स्थिति सौ पचास वर्ष में बदलती रहती है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी नदियां हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति प्रतिवर्ष परिवर्तन करती रहती हैं। घाघरा, गंडक, राप्ती, गोमती और टोंस, वह कहीं कहीं तो बड़ा गजब करती है। आज इधर घूम गयी और कल उधर घूम गई, और इस प्रकार कटाव करती रहती है। यह परिस्थिति इन नदियों की है और इनके कटाव की समस्या बहुत बड़ी है। मैं इस भवन में एक बार पहले निवेदन कर चुका हूं कि खाली घाघरा के कटाव में सौ करोड़ रुपया हम खर्च करें तो फैजाबाद से ले कर जहां गंगा में जा कर बलिया की सीमा पर मिलती है उस सीमा तक एक स्तर बनावें जिससे नदी के कटान को

रोक सकें। कम से कम १०० और १५० करोड़ रुपये खर्च हो जायंगे। यह काम कोई एक दो दिन में होने वाला नहीं है, ५, ६ वर्ष लग जायंगे तब जा कर तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कटने की समस्या आ जाती है। अगली पंचवर्षीय योजना में हमने २०–२५ करोड़ रुपये रक्खे हैं। उन स्थानों पर जहां विशेष कटाव राप्ती और घाघरा आदि नदियों से होता है उस के लिये योजना बनायी गई है कि किस तरह से हम इस चीज को रोक सकते हैं और बांध बना सकते हैं? नदी की नकेल को और बाढ़ की भयंकरता को खत्म करने के लिये राप्ती पर बांध बांधने के लिये एक योजना है जो अगली पंचवर्षीय योजना में शरीक कर रक्खी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि घाघरा पर एक बांध बनाया जाय। घाघरा पर बांध बनाने का कौन सा स्थान है? पूरा सर्वे हो चुका। यह ख्याल गलत है कि हमने कोई योजना नहीं बनायी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये लोअर शारदा की स्कीम है। उस स्कीम से बाढ़ का पानी शारदा नहर में डाला जायगा लेकिन इससे बाढ़ की समस्या हल नहीं हो सकती। २, ४ हजार क्यूजक पानी ले लेने से कोई बाढ़ की समस्या हल नहीं हुआ करती! राप्ती के ऊपर बांध बनाने का विचार अवश्य है। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और उसे हमने अगली पंचवर्षीय योजना में रक्खा है और अगर वह मंजूर हुई तो हम उसे खत्म करेंगे।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ३१ योजनायें चल रही हैं, करीब ७ करोड़ रुपये की, सन् ५६ तक हम उन पर खर्च करना चाहते हैं, मय गांवों को ऊंचा उठाने के और मय बांधों के गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और फैजाबाद जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, और जहां १० लाख एकड़ जमीन हर साल डूबती है, उसे बचाने के लिये हमारी ३१ योजनायें चल रही हैं। अब उसमें जहां जहां वाटर की लागिंग हुई है उसका जिक्र किया गया। उसकी तमाम स्कीम्स बनी हैं कि किस तरह से पानी का निकास हो? फ्लड के दो दो सर्किल कायम हैं। ९ डिवीजन और २६–२८ सब-डिवीजन कायम हैं। एक चीफ इंजीनियर ऊपर से है। ७, ८ करोड़ रुपया खर्च कर चुके और यथासंभव इस परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। योजनायें बन गयी है। यह ख्याल गलत है कि योजनायें बनी नहीं। योजनायें बनी हैं और बार बार पेश की गयी हैं, उनको देखा गया है। पश्चिमी इलाके की उपेक्षा की गई यह मेरे प्रति निष्ठुर सा आक्षेप हो जाता है। गांव के ऊपर बांध बांधने की योजना है। इसके लिये ३० लाख की योजना बना रक्खी है। रामगंगा डैम बनाने के लिये जहां सिंचाई और पावर के लिये भी इन्तजाम होगा वहां डैम बनाने के लिये भी १६, १७ करोड़ की योजना है। गंगा की बाढ़ का जिक्र जगदीश प्रसाद जी ने किया। आपके देहरादून, लखीमपुर खीरी, निघासन, बरेली की बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये योजनायें हैं। ओखला का बांध ब्रीच हुआ। ६ अक्तूबर को मैं वहीं मौजूद था। तमाम चेष्टाओं के होते हुए भी सारा बांध टूटा। असाधारण बरसात से जहां हजारों आदमी मर सकते हैं वहां जमुना का पानी गांव के अन्दर आ गया। पहले बांध २० फुट ब्रीच हुआ, फिर १०० फुट और अब २५० फुट तक ब्रीच हो गया और बुलन्दशहर और मथुरा तक वह पानी चला जा रहा है। भरपूर चेष्टा की कि इसका प्रबन्ध किया जाय। इस साल हमने टोंस, गोमती, जो इस प्रकार की नदियां हैं, जो हर साल बाढ़ से लोगों को तबाह किया करती हैं उनके सर्वे का प्रबन्ध किया है। इस साल असाधारण वर्षा से जमुना में बाढ़ आ गई है, हर साल नहीं आती। इसका भी प्रबन्ध करेंगे। उस के लिये योजनायें रक्खी हैं। उन्हें देखा जा सकता है। एक बात और है। हमारे भाई परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि बाढ़ का अनुसंधान कराया जाय। और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह बड़ा विस्तृत किया गया है। बाढ़ की भयंकरता और हमारी योजनाओं के कारण उस का विस्तार हो ही रहा है क्योंकि कोई भी स्कीम बिना रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेस्ट किये हुये हम नहीं चलाते। लेकिन बाढ़ के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके कारण वह व्यापक बनाया जा रहा है और तमाम समस्यायें उसको रेफर की गयी हैं। उन पर काम शुरू किया गया है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कितना सिल्ट बैठ जाता है, कितना नदी का डिस्चार्ज है अगर पानी को बांध दें तो क्या नतीजा होगा ? हमारे जो बांध बन रहे हैं उनके बांधने से नदियों का पेटा कितना बढ़ जायगा, आगे चल कर के क्या नुक्सान हो सकता है ? उसका अनुसंधान शुरू किया गया है । हमारे यहां स्वायल कंजर्वेशन का शास्त्र व्यापक नहीं था । हमने उस काम को तेजी से शुरू किया है । उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमें बड़ी सहायता मिल रही है योजनाओं को चलाने में और बाढ़ का मुकाबला करने में ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । हमारे भाई झारखंडे राय जी ने कहा कि टोंस के किनारे गांवों को ऊंचा करने का काम नहीं किया गया । शायद उनको जानकारी नहीं है । तीन सौ गांव टोंस के किनारे ऊंचे हो रहे हैं । नदियों के पेटे में जितने गांव आते हैं उन सब को ऊंचा करने की हमारी योजना चालू है और आशा है कि भारत सरकार से हमें कर्ज ही के रूप में सही सहायता मिल जायगी ताकि हम उस काम को चला सकें । सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने हमारी ३१ योजनाओं को स्वीकार कर लिया है ।

काली नदी जो हमारे प्रदेश में काली धारा के रूप में बहती है शर्मा जी का सुझाव ठीक है, हम उसका सर्वे करवा रहे हैं और ऐसी कई सर्पाकार नदियां हैं, राप्ती, टोंस, सई, ये सर्पाकार नदियां प्रदेश को डंसती हैं और ऐसा डंसती हैं कि लहर तक भी नहीं ले सकता, सत्यनाश ही होता है । इसका सर्वे हमने आरम्भ कर दिया है और काली का भी सर्वे होगा ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर, और वह यह है कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय संकट का समय है । केवल एक प्रदेश नहीं कई प्रदेश हमारे देश के जहां अन्न का अच्छा भंडार पैदा हो रहा है, बरबाद हो गये । हमारे प्रदेश के करोड़ों आदमियों के अतिरिक्त करोड़ों आदमी हमारे देश के इस विभीषिका से इस समय त्रस्त हो रहे हैं । लेकिन 'विषद धैर्य मथाभ्युदयेक्षमा' । हमको धैर्य के साथ और साहस के साथ इसका सामना करना है । पांच करोड़ रुपये की सहायता एक फसल के अन्दर देना उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि बहुत व्यापक योजनायें चलाने का बोझा उठाये हुए है, जैसा कि माल मंत्री जी ने बताया तकावी तथा ग्रैटुटस रिलीफ आदि सब मिला कर पांच करोड़ की सहायता, कोई छोटी बात नहीं है । जिस प्रकार हमारा प्रदेश है । कमती है, यह सभी अनुभव करते हैं । लेकिन हम अपनी शक्ति से बाहर कर रहे हैं । यही तरीका होता है उस का सामना करने का । इसके कारण हमारी योजनायें न चलें .....

"विघनै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना ।
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।।"

बार बार विघ्नों से प्रताड़ित होने पर भी हम अपने धैर्य और साहस को न खोयें । जिस कार्य को हमने उठाया है उसे भगवान का नाम लेकर साहस पूर्वक करते चलें यही हमारा संकल्प है । उसका यही तरीका है । एक बार द्वापर में बड़ी भारी बाढ़ आयी । यमुना लगी मथुरा को डुबाने । तो उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर खड़े हो । कथा तो यह कहती है कि गोवर्धन पर्वत श्रीकृष्ण ने उठा लिया और जितने ग्वालबाल थे उन सब ने उसमें लकड़ी लगायी । इस प्रकार से उन्होंने मथुरा की रक्षा की । इस समय जो आपत्ति है उसमें जनता को कृष्ण बनाना है, और हम और आप सब अपनी अपनी शक्ति भर लकड़ी लगा कर योगदान करें और इस प्रदेश की रक्षा करें ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय दीनदयालु जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके इस सुझाव के लिये जो उन्होंने आज इस सदन में प्रस्तुत किया है कि सदन के माननीय सदस्य और कर्मचारी वर्ग अपनी तीन दिन की सैलरी या भत्ता बाढ़ फंड में दें । मैं इस अवसर पर यह कह देना चाहता हूं और आवश्यक भी समझता हूं कि पारसाल भी जब बाढ़ आयी थी तो उस समय हमारे अपोजीशन

के जो नेता हैं माननीय गेंदा सिंह, उन्होंने अपनी एक महीने की सेलरी माननीय पंत जी को जो चीफ मिनिस्टर थे, भेज दी थी और इस साल भी इस तरफ के बैठने वालों ने यह फैसला किया है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव माननीय दीनयालु जी ने दिया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मैं उन तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने सूबे के इस विपत्ति काल में बहादुरी के साथ इस विपत्ति से संघर्ष करने में सहयोग दिया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

लेकिन इस अवसर पर मैं मुनासिब समझता हूं कि हम और यह सदन उनको प्रोत्साहन न दे जिन्होंने जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। श्रीमन्, छुट्टी के बाद जब मुझे अपने जिले में जाने का मौका हुआ तो हमारे जिले के जुडीशियल अफसर बाढ़ के निरीक्षण के लिये गये थे। वह दिन भर मछली का शिकार खेलते रहे। जब गांव समाज ने उन्हें ठेके पर उस तालाब को नीलाम कर दिया था उन लोगों ने आब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको बंधवा दूंगा गलत मामलों में, और गांव समाज को भंग कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मालूम नहीं गांव वालों ने मुख्य मंत्री जी को सूचना दी है या नहीं ? उन्होंने मुझ से कहा अवश्य था। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण जो उन्होंने इस सदन में दिया बहुत गौर से सुन रहा था। मैं यह समझता हूं कि अपने सूबे में सवा करोड़ के करीब व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हैं और अधिक वर्षा से प्रभावित हैं। सवा अरब के करीब सम्पत्ति नष्ट हो गयी है जिलों में। मैं नहीं समझता कि हम यह वादा कर सकें या यह सरकार दावा करे कि उसने बड़े उचित ढंग से सहायता पहुंचाई है या जो पहुंचाई है वह बहुत काफी है। श्रीमन्, मैंने देवनन्द शुक्ल जी का भाषण बड़े गौर से सुना, जो हमारे जिले से आते हैं। उन्होंने बताया कि २०,००० के करीब घर देवरिया जिले में बरबाद हुये हैं। हमारे जिले में ३,५०० गांव हैं और ४ लाख के करीब घर हैं और एक गांव में २५ फीसदी से अधिक घर अतिवृष्टि और बाढ़ से बरबाद हुये हैं। इस प्रकार एक लाख के करीब घर हमारे जिले में बरबाद हुये हैं। मैं जब अपने गांव में गया तो अपने क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति को जांचने के लिये मैंने दौरा किया, और मेरे पास कुछ दरख्वास्तें भी हैं। उसके लिहाज से जिन बीस गांवों का मैंने दौरा किया जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं। ६१७ घर स्वयं बने जो मौके पर टूटे हुए पड़े हैं और रहने के काबिल नहीं हैं। अगर हमारे जिले में औसत लगाया जाय तो ३० प्रतिशत घर रहने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारा जिला ऐसा जिला है—और भी पूर्वी जिलों में ऐसा है—कि घर फूस के छाये हुए होते हैं। तो अधिक बारिश से काफी क्षति हुई है। और मैंने देखा कि आज दूसरों के घरों में लोग रहते हैं अपने मवेशियों और बालबच्चों के साथ। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय देवनन्दन शुक्ल जी ने जो रिपोर्ट इस सदन को २०,००० घर गिरने की दी है, यह कम है। एक लाख के करीब घर हमारे जिले के बरबाद हुये हैं और पूर्वी यू० पी० में इसी प्रमाण से जो कि २५ फीसदी के करीब है, घर बरबाद हुये हैं। अब आवश्यक है कि लोगों के घरों के लिये कुछ किया जाय। मैं मानता हूं कि जो रिपोर्ट हमें बतलायी गयी है, माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है उसमें घरों के लिये तकावी देने के लिये व्यवस्था है। लेकिन मैं श्रीमन्, एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शहर में, जो एक आदमी खेती नहीं करता, घर उसके पास नहीं है, वह ८,००० रुपया तकावी के लिये ले सकता है और रहने के लिये घर बना सकता है, क्या कारण है कि हम जो गांव में २५ फीसदी बे घर बसते हैं, जो लैंडलेस हैं उनको सरकार कोई तकावी नहीं देती। मुझे बड़ा दुख है। मेरे पास दरख्वास्त है, जिसे मैं, यदि वह चाहें तो, उनकी सेवा में अर्पित करूंगा। २५ फीसदी रहने वाले गांव में वह लोग जो खेती नहीं करते, उनको तकावी नहीं मिलती, कानून में उनके लिये व्यवस्था नहीं है। जो खेती नहीं जोतते उनको तकावी न दिया जाय, यह है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बतावें कि उन्होंने उनके लिये क्या व्यवस्था की है ? मैं मानता हूं कि थोड़ी सी रकम रखी गयी है। लेकिन उन लोगों को तकावी देने के लिये, जीविका चलाने के लिये भी कोई सहायता नहीं दी गयी है। अगर कहीं सहायता की गयी है तो आध सेर फी आदमी पीछे अनाज एक बार बांट दिया गया है। यह मेरे क्षेत्र का अनुभव है, मैं नहीं जानता कि

[श्री रामेश्वरलाल]

और माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में क्या अनुभव है। लेकिन उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय धर्मसिंह जी का, और माननीय बनारसीदास जी को कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि देवरिया जिले में भूख से मौतें हुई हैं। वे वहां गये थे और उन्होंने खुद देखा कि एक हरिजन परिवार में ५ सेर आम की गुठली के अलावा और कुछ नहीं था और काम करने वालों को एक रुपया मजदूरी एक महीने में दी जाती थी। तो मैं उन माननीय मंत्री या माननीय सदस्य से, जिन्होंने एक दिन कहा था कि पूर्वी यू० पी० में लोग स्वाद के लिये गुठली खाते हैं, कहना चाहता हूं कि स्वाद और शौक के लिये कोई गुठली नहीं खाता। स्वाद के लिये कोई आदमी ऐसी चीज, जो भक्षण के योग्य न हो, नहीं खाता। मजबूरी होती है और मजबूरी में इज्जत जाती है, जान जाती है, बुरे कर्म होते हैं और क्या क्या आदमी करने को तैयार नहीं होता? गुठली कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं यह मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई छिपाने की साजिश की है। लेकिन मैं उनके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि वन महोत्सव हुआ। अभी जब मैं अपने क्षेत्र में गया था तो तहसील में एक ऊंचे अफसर से मालूम हुआ कि वन महोत्सव में लगाये गये पेड़ों की संख्या सरकार द्वारा मांगी गयी है और यह बड़ी अच्छी बात हुई है कि बाढ़ आ गयी। अब हमको अधिकार है कि यह लिख दें कि सारे पेड़ बह गये। श्रीमन्, पेड़ नहीं लगे थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों ने जो आंकड़े घरों के गिरने या बर्बादी के दिये हैं वे सही नहीं हैं। इसलिये सही नहीं हैं कि हमने जो पता लगाया और माननीय सदस्य जो अपने क्षेत्रों में गये होंगे उन्होंने देखा होगा कि सड़कों के अलावा कर्मचारियों ने बारिश में, बाढ़ में या गांव गांव में जाने की बहुत कम हिम्मत की है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाहर का काम किया है लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है वे छोटे कर्मचारी हैं और इने गिने कुछ बड़े लोग। श्रीमन्, तो वे रिपोर्ट क्या देंगे?

इसके अलावा जो तकावी दी जा रही है वह १०-१० रुपये की दी जा रही है! जब मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने देखा कि सिर्फ दो गांवों में १०-१०, ५-५ रुपये की तकावी दी गयी थी और बाक़ी जो २४ गांव गंडक नदी के क्षेत्र में हैं, उनमें पहली तारीख तक नहीं बांटी गयी थी। जब मैं गया, अनुनय, विनय की, तो दूसरी तारीख से बांटना शुरू हुई थी और मेरा खयाल है कि अब तक बंट गयी होगी। श्रीमन्, खेतों की फस्ल, मक्का, ज्वार और ऐसी ऐसी चीजें जो भदई में होती हैं वे सब नष्ट हो गयीं। और गन्ना की फसल जो हमारे यहां की मुख्य फस्ल है वह भी अगर १६ आने नहीं तो १४ आने मारी गयी है। रबी की फसल भी खराब होने वाली है। ऐसी हालत में क्या १० रुपये उनको दे देने के बाद हमें खामोश बैठ रहना चाहिये? ऐसे अवसर पर माननीय गेंदासिंह जी का यह सुझाव कि करोड़पतियों पर टैक्स लगाया जाय क्या मुनासिब नहीं होगा? श्रीमन्, करोड़पति तो चाहते हैं कि उन पर टैक्स लगाया जाय। वे चाहते हैं कि दान दें। गीता प्रेस दे रहा है, बिड़ला जी दे रहे हैं और बड़े-बड़े लोग दे रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा छोटी गंडक जो हमारे जिले में बहती है वह रेतीली नदी है। राप्ती में रेत नहीं है। महुई गांव के पास ६ इंच मोटी रेत की तह १०० एकड़ जरखेज जमीन पर उसने डाल दी है। ऐसी जगह पर किसानों को सहायता दी जाय और उस रेत को बहाने की चेष्टा की जाय। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है और गांवों को वह तीन तरफ से घेर लेती हैं और बरबाद कर देती हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि सरकार जिन नदियों का बहाव सीधा कर सके उस को करना चाहिये। अन्त में मैं निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, सिंचाई मंत्री

जी ने भी कहा और घाघरा का नाम लिया, छोटी गंडक का भी नाम लिया लेकिन बड़ी गंडक को छोड़ दिया गया, तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय गेंदा सिंह जी का वास्ता है इसलिये इसका नाम तक नहीं लिया गया।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी गंडक का नाम लिया था कि हर साल यह अपना रास्ता बदल कर चलती है।

**श्री रामेश्वरलाल**--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बड़ी गंडक ने देवरिया को घेर लिया है और आज जो वहां परेशानी हुई है वह सब इसी बड़ी गंडक के कारण हुई है क्योंकि बड़ी गंडक से छोटी गंडक में पानी आया है और वहां गांव के गांव तबाह हो गये हैं। देवरिया में जो विपत्ति आयी है इसका श्रेय माननीय मंत्री जी और सरकार को है। इसलिये कि घाघरा को इधर बंधवा दिया, नारायनी को चम्पारन की तरफ बंधवा दिया और राप्ती को गोरखपुर की तरफ बंधवा दिया। तो इस तरह से देवरिया को एक कुंड सा बनवा दिया है।

अन्त में श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी नदी को बंधवाया जाय तो उसके दोनों किनारों को बंधवाया जाय। एक तरफ के बंधवाकर दूसरों पर विपत्ति न डाली जाय। श्रीमन्, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि गांवों के बसाने का सवाल है। हमारे यहां गांवों की जमीन कटी है सब से बड़ी अड़चन तो यह है कि जो बंजर है वह लो लैंड और ऊंची है उस पर खेती हो रही है। तो ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे गांव समाज उन जमीनों को एक्वायर कर सके या सरकार एक्वार कर ले। ढ़ाई करोड रुपया बहुत ही कम है इससे अधिक का इंतजाम होना चाहिये। इसके अलावा खाने पीने का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। चाहे इसके लिये टैक्स लगाना पड़े या किसी भी प्रकार से कर सकें करना चाहिये।

**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ का जिक्र और जहां तक हमारा इलाका है तो हम तो दूसरी चीज के आदी थे और हम माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया करते थे कि हमारे यहां आकर देखिये सूखे इलाके को जहां हमारे मवेशी प्यासे मर जाते हैं। सिंचाई के प्रबंध के लिये हम प्रार्थना किया करते थे और कहते थे कि हमारे लिये पलेवा से ही प्रबंध कर दें या कुयें खुदवाकर सिंचाई का इंतजाम हो जाय। बाढ़ की तो बात ही दूसरी है। हम तो मवेशियों के लिये कुओं से पानी का इंताजम करते थे और जहां मई जून में निकलना दुश्वार होता था। यह हालत थी हमारे मथुरा जिले की। अब तो ओखला और ताजेवाला बांध टूट रहा है। इससे पहले ही माननीय राममूर्ति जी और आचार्य जी ३० तारीख से दो तीन तारीख तक देख आये हैं, और माननीय राममूर्ति जी से बातचीत भी हुयी और उन्होंने कहा कि आप लोग एक तरफ तो सिंचाई के पानी के लिये लड़ते हैं और दूसरी तरफ की शिकायत का क्या प्रबंध किया जाय? मैं खुद मानता हूं यह दैवी प्रकोप है और इसका जिक्र करना भी बड़ा कठिन है। जो नुकसान हुआ है वह अवर्णीय है, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता है।

जहां तक बाढ़ और गर्की का सवाल है इसको ५ तरह से बांटा जा सकता है--(१) बाढ़ के आने पर, और (२) गर्की के समय सरकारी कर्मचारियों से कितना योग हमें मिला, (३) सरकारी सहायता कितनी मिली, और (४) हम लोगों ने कितना सहयोग दिया? जहां तक नुकसान का सम्बन्ध है तो जब पूर्वी जिलों का जिक्र होता था तो हम सोच नहीं पाते थे कि बाढ़ क्या आपत्ति है? हमारे यहां बुलन्दशहर में बाढ़ आयी या हमारे यहां गर्की हुयी? अब हमने देखा और हमें अनुभव हुआ कि वास्तव में बाढ़ आने से कितना दुख होता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितना अब तक हमारा सहयोग पूर्वी जिलों को रहता था अब उससे दुगना रहेगा। वास्तव में अब हमें मालूम हो गया है कि इस आपत्ति का सामना करने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है और गवर्नमेंट का सहयोग कितना उसमें होना जरूरी है। तो जहांतक मैं अपने इलाके का जिक्र आपसे करूं, उसमें माट और छाता दो तहसीलें हैं जिनका कि जिक्र

[श्री रामहेत सिंह]

माननीय माल मंत्री जी ने किया। इन दो तहसीलों पर इस बाढ़ का असर पड़ा है और उनमें इसका इतना असर पड़ा है कि जब हम तीन, चार तारीख को सिंचाई इंजीनियर, हेल्थ अफसर और अपने विभाग के छोटे बड़े अफसरों के साथ उसका निरीक्षण किया, और उसके बाद पी० डब्लू० डी० के इंस्पेक्शन बंगलों में बैठ कर यह अन्दाजा लगाया कि कितनी तकावी की मांग की जाय तो हम सब के साथ इस राय पर पहुंचे कि सिर्फ छाता तहसील के लिये कम से कम १० लाख रुपया हम मांगें और वह हमें मिले, तब हम इस इलाके की क्षतिपूर्ति किसी हद तक दूर कर सकते हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां ज्यादा बाढ़ आयी है वहां कितना नुकसान हुआ होगा और इसके लिये कितनी सहायता की आवश्यकता है? तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक मांग का सवाल है वह पूरी होनी चाहिये और जहां तक हमारे एरिया का सवाल है उसमें हम आप जितना चाहें सहयोग दे सकते हैं इसलिये कि हम हमेशा के तो आदी नहीं हैं इसके। हमारे यहां मवेशी ज्यादा रहते हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास १०,१२ मवेशी न हों और ज्यादातर लोगों के पास २५, ३० और ४० मवेशी की किसान हैं। वह मवेशी काफी दूध देती हैं, उनके बछड़े वह लोग बेचते हैं। आज वहां गरकी के इलाके की घास खाने से मवेशी बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा वहां ज्वार और बाजरे की फसल नष्ट हो गयी है। जहां साल भर में २२ इंच वर्षा होती थी और दो तीन सालों से खेती में वहां यह होता था कि जितनी नीची खेती होती थी वह रबी की फसल के लिये रखते थे कि कम से कम पानी में हम उसकी सिंचाई कर सकें। लेकिन इस बार जितने नीचे खेत थे वह सब इस ज्यादा पानी में बरबाद हो गये हैं और हम उन्हें एक, डेढ़ महीने तक जोत भी नहीं सकते। तो इस प्रकार रबी की फसल भी पीछे हो गयी और खरीफ की फसल तो नष्ट हो चुकी है मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां तकावी के लिये माननीय माल मंत्री जी विशेषतौर पर ध्यान दें। कलेक्टर महोदय से मेरी बातचीत हुयी थी और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की गर्की आयेगी इसका अन्दाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने थोड़ी सी तकावी की मांग की थी और वह हमको गवर्नमेंट ने ज्यों की त्यों दे दी।

**श्री चरणसिंह**—जितनी मांगी थी उतनी दे दी।

**श्री रामहेत सिंह**—मैं यही कह रहा हूं। इसके बाद मैं जब चौथे दिन उनसे मिला और कहा तो उन्होंने कहा कि मैं दुबारा कैसे मांगूं? उन्हें मांगने में कुछ लज्जा सी लगती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी लज्जा और शर्म को वह खुद ही छुटावें और जनता की मांग को खुद ही भेजने की तकलीफ फरमायें।

एक बात मैं और कहूंगा कि हमारे यहां जितने गांव हैं वह सब नीचे को बसे हुये हैं, ऊंचे नहीं हैं क्योंकि कभी बाढ़ का प्रकोप उधर नहीं हुआ। अब उन कस्बों, गांवों तक आने का कोई साधन नहीं है। जब राममूर्ति जी और डिप्टी मिनिस्टर पी० डब्लू० डी० वहां गये थे तो वहां हमने माट और छाता के लिये यह योजना बनायी थी कि नाले से जितना पानी निकाला जा सके वह निकाल दिया जाय। लेकिन गांव के पानी को निकालने के लिये उन्होंने कहा था कि हम २४ पंपिंग सेट भेज रहे हैं। नाले आप खोद लें ताकि बाहर का पानी निकल जाय और गांव का पानी पंप से निकल जायगा। राम मूर्ति जी ने और आचार्य जी ने कहा था। अगर आपने पंपिंग सेट न भेजें हों तो उन्हें जल्दी भेजने की कृपा करें।

दूसरे, जहां तक मलरिया का सवाल है वहां काफी है। गर्की के एरिया में यह खास तौर पर ज्यादा हो जाता है। हमारे यहां लास्ट टाइम में दवाइयां पहुंची हैं लेकिन हमारे अधिकारियों का ख्याल है कि अगर वह यूनिट्स उनके साथ कर दी जायं तो काम अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही वहां और दवाइयों की आवश्यकता है। इसके लिये एक अलग योजना बनायी जाय तो अच्छा है।

दूसरे, जो गांव कैनाल से या सड़कों से एक या दो मील की दूरी पर थे उनको हमने श्रमदान द्वारा कच्ची रोड बनवा कर उनसे मिला दिया है । और साल भर तक जब गाड़ियां बहलियां चलती हैं तो वह सड़क पूरे तरीके से खत्म हो जाती है । हर साल श्रमदान करके उसको बना लेते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जैसा इंजीनियर अग्रवाल साहब ने कहा था जब वह वहां गये थे, कि हम कुछ सरकार से मांगें करेंगे और कुछ गांव वालों के सहयोग की बात हो जाय तो यह काम हो सकता है । हम भी इसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं यह उन्होंने कहा था । उनके सहयोग से, जहां तक पुलिया का सवाल है जो १ डेढ़ मील के हिस्से में गांव के बीच में पड़ती है, उसको बनवाने के लिये उन्होंने वायदा किया था । कुछ पक्की बनाने के लिये सरकार सहायता दे तो वह बनायी जा सकती है । जहां तक कच्ची बनाने का सवाल है वह तो हम बनाने के लिये तैयार हैं लेकिन मैटीरियल की आवश्यकता हो तो वह सरकार दे । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी आप ध्यान देने की कृपा करें ।

अब जहां तक मवेशी का सम्बन्ध है उस गर्की के इलाके में एक खास बीमारी होती है जिसको गलघोंटू कहते हैं । यह बीमारी ऐसी है कि इससे मवेशी बहुत जल्द मर जाते हैं । हमारे यहां मवेशियों के डाक्टरों की बहुत कुछ कमी है और उसके लिये दवाइयों की भी बहुत कमी है । मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसका जल्द से जल्द वहां के लिये इन्तजाम करें और जो भी हो सके उसका जल्दी इन्तजाम करें । मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं चाहे वह हरिजन हों, चाहे वह उच्च वर्ण के हों कोई भी हों, २००, ३०० खेतिहर मजदूर हर बड़े गांव में रहते हैं उनके लिये वहां मकान का सवाल पैदा होता है । मेरी तहसील में एक लाख ६७ हजार की आबादी है । मुझे हाकिम परगना ने बतलाया कि दो हजार रुपया उनको दिये गये हैं जो मकानों के लिये लोगों को दिये जायेंगे । ५० रुपया हर आदमी को दिया जायगा । इस ५० रुपये में तो लोग अपना छप्पर भी नहीं छाप सकते हैं । कम से कम २ हजार रुपया अलग से एक मकान के लिये उनको मिलना चाहिये । जहां तक तकावी का सम्बन्ध है उसके लिये मैंने निवेदन कर दिया है उसके लिये भी ज्यादा से ज्यादा प्रबंध किया जाय । पंपिंग सेट के लिये भी मैंने कह दिया कि उसका प्रबन्ध किया जाय जिससे गांव से पानी निकल सके । आशा है आप कृपा कर इन सब बातों पर ध्यान देंगे ।

**श्री चरणसिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सिवाय एक दो माननीय मित्र के, जो किन्हीं कारणों से कड़वी बात कहने से अपने आपको नहीं रोक सके बाकी सभी दोस्तों ने सुझाव देने की कोशिश की है । राज कर्मचारियों ने जो काम किया है उसकी कदरदानी की है और गवर्नमेंट की जो कठिनाई और लिमिटेशन्स हैं उनको भी उन्होंने एप्रिशियेट किया है । फिर भी ऐसी कुछ बातें कही गयीं कि अगर वाकयात की पूरी वाकिफकारी उन मित्रों को होती तो शायद वह ऐसा नहीं कहते । इसलिये मैं आपकी इजाजत से जो मोटी मोटी बातें कही गयी हैं उनके सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट की नीति है, जो सरकार की मजबूरी है सदन के सामने फिर से दोहराऊंगा ।

पहली बात यह है कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह शिकायत की कि सब आंकड़े गलत हैं । श्रीमन्, हो सकता है कि आंकड़े गलत हों किन्तु जैसा अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि हो सकता है एक हजार इधर या एक हजार उधर । लेकिन आंकड़े गलत हैं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । २४ हजार हों या २२ हजार हों । जो नकशा है, इमदाद करने की जो हमारी स्कीम है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे पास रुपया है उसमें कुछ ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है । आंकड़ों की थोड़ी बहुत गलती की कोई खास बात नहीं है । यह दलील तो आमतौर पर लोग शुरू में कमजोर दलील समझकर देते हैं और फिर बाद को बड़ी-बड़ी दलील देते हैं या कुछ लोगों का तरीका यह होता है कि पहले बड़ी-बड़ी बात कहेंगे और आखिर में वह सब से छोटी बात को कहेंगे या वह लोग इस तरह की दलील देते हैं जिनके पास और दलील कम हो जायं । श्रीमन्, मैं आपके जरिये से श्री गेंदासिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि वह कहते हैं कि आंकड़े

[श्री रामहेत सिंह]

गलत हैं, फलां गांव में यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। श्रीमन्, यह २०,२५ जिले के आंकड़े जिलाधीश क जरिय, एस० डी० ओ० क जरिये, तहसीलदार के जरिये, नायब तहसीलदार के जरिये, महकमे माल का जो जाल बिछा हुआ है उसके जरिये से इकट्ठा हुये हैं। अगर माननीय गेंदासिंह जी आज २४ घंटे भी दौरा करें तो इन जिलों की तहसीलों में भी नहीं जा सकते, गांवों की तो बात दूर रही। लिहाजा उनकी बारबार यह शिकायत करना कि आंकड़े गलत हैं, श्रीमन्, मेरी मोटी बुद्धि में ज्यादा नहीं समाता। अच्छा साहब, आंकड़े गलत ही सही, महकमा माल के राज कर्मचारी जानबूझ कर धोखा देते हैं। ठीक है, जुर्म का इकबाल करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर कर दिया जाय, यह उन्होंने इलाज बतलाया। मैं उनसे इससे ज्यादा रचनात्मक सुझाव की उम्मीद करता था क्योंकि इस तरह के सुझाव देना उनके लिये भी अपमानजनक है और सारे सदन के लिये भी। यह एक स्पेशल आफिसर सारे सूबे में कैसे आंकड़े इकट्ठे कर लेगा। कैसे ६०० मील के सूबे में अकेला जायेगा। अगर नहीं जायेगा तो वह जिलाधीश, एस० डी० ओज०, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल और पंचायत राज्य के सेक्रेटरी के जरिये से ही आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और उन्हीं की आज आपको शिकायत है।

**श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि एक आदमी इसके लिये मुकर्रर कर दिया जाय और न मैं अब भी कहता हूं कि सारा काम एक स्पेशल आफिसर कर लेगा। मैंने यह कहा था किसी जगह को लेकर एक छोटी सी सब-कमेटी बना दी जाय उसके साथ मैं तथा वह भी चलें और चल कर देखें कि जो बात कही जाती है वह सही है या गलत है।

**श्री चरणसिंह**—यह सुझाव दूसरा था जिसमें आपने कहा कि माननीय सिंचाई मंत्री तथा कुछ और लोग इकट्ठा होकर तहकीकात कर लें और योजना भी बनायें। लेकिन यह सुझाव आपने पहले दिया था। मेरे पास सिलसिले से नोट है, "स्पेशल आफिसर फार कलेक्टिंग स्टेटिस्टिक्स"। खैर, उनकी बात सही रही। लेकिन इस प्रकार के काम से क्या नतीजा निकलेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। २४ हजार की जगह साढ़े २४ हजार की संख्या हो जाय तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही, मैंने कहा था कि ६४० गांवों में काम चल रहा है यानी बस्ती में ३२०, गोरखपुर में २४० और देवरिया में ८०, और ४०० गांवों में खत्म हो गया है यानी बस्ती में २४०, देवरिया में ५० और गोरखपुर में ११०। अब माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि एक में भी नहीं हुआ लेकिन श्रीमन्, हमारी लेटेस्ट खबर यह है। उन गांवों के नाम माननीय त्रिपाठी जी उनके पास भेज देंगे।

माननीय मित्र ने यह कहा कि ५ हजार गांवों का रेंजिग कहां हुआ? (श्री गेंदासिंह के कुछ कहने पर) श्रीमन्, मैं यह समझ रहा हूं कि मेरी युक्ति काम कर रही है। श्रीमन्, तीसरी बात उन्होंने यह कही कि उन क्षेत्रों के लड़कों की स्कूल की फीस अप्रैल ५६ तक माफ हो जानी चाहिये। यह ठीक है बहुत अच्छा है। हम दिसम्बर तक देखते हैं। हमें यह भी देखना है कि कितना रुपया हमें फीस की माफी में देना पड़ेगा और कितना रुपया हमारे पास है? इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि फसल कैसी होती है? क्योंकि पिछली बारिश के बावजूद जौनपुर और फैजाबाद में फसल बहुत अच्छी थी और अगर दूसरे रेन्स वहां न होते तो फसल बहुत अच्छी होती। देवरिया के लिये भी कहा गया था कि फसल अच्छी है। कहने का मतलब यह है कि खरीफ की फसल सारी नष्ट नहीं हो गयी। इसलिये नैसेसिटी को देखकर हम विचार करेंगे तथा इस बात पर भी हमें विचार करना है कि हमारे पास कितना रुपया है। अब फ्लड के इलाके में स्कूल के बच्चों की फीस माफ होने का हुक्म सादिर किया गया है और वाटर लागिंग वाले इलाके का नहीं, यह बात गलत है। वह सब जगह के लिये है। यदि कहीं कोई कलेक्टर या अफसर ऐसी बात करता है और कोई माननीय मित्र मेरी नोटिस में लायेंगे तो उनको तशरीह करके मैं भेज दूंगा।

हां, माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात और अच्छी कही कि मकान ऐसे बनाये जायं जो न पानी में गलें, न पानी में बहें और न आग से जलें और न तलवार से कटें। जैसे गीता का श्लोक हो जाय, आत्मा हो जाय। श्रीमन्, करोड़ों रुपये के मकान जो इंजीनियर्स बनाते हैं जिसमें सालिड कंकरीट और पत्थर लगा होता है वह तो पानी में बह जाता है। अगर कोई खास सीमेंट बनायी जाय जिसके मकान बनाने पर वे पानी से न बहा करें, आग से न जला करें तो हो सकता है लेकिन जो मकान आग से न जलेगा उसमें आदमी नहीं रह सकता। खैर, यदि माननीय गेंदा सिंह जी और झारखंडे राय जी को कोई ऐसा मकान बनाने वाले इंजीनियर्स मिल सकें, पास पड़ोस के किसी मुल्क में भी ऐसे मकान बने हों, क्योंकि उनको ऐसी खबरें दूसरे मुल्कों से ही मिला करती हैं। तो वे हमको यह बतला देंगे मैं अपने इंजीनियर्स से भी इस सम्बन्ध में मशविरा लेने की कोशिश करूंगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात और कही कि संस्थाओं के मकानों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति के लिये गवर्नमेंट ने अब तक कुछ सोचा नहीं है। यह बात सही है। इस तरह सार्वजनिक संस्थाओं के मकान जो जनता द्वारा बने थे, उनको फिर जनता ही चन्दा करके बनवायेगी। उसके लिये हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पचास-पचास हजार रुपये की, पचीस-पचीस हजार रुपये की बिल्डिंग बनी हैं, एक-एक लाख रुपये की स्कूलों की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है तो श्रीमन् सोचना यह है कि कैसे हो, कहां से रुपया आवे? जनता ने पहले बनवाया था और फिर जनता ही उनको बनवायेगी। उसके मुताल्लिक में गवर्नमेंट की तरफ से कोई आशा दिलाने को तैयार नहीं हूं। हां, किसी तरह की कोई इमदाद होगी तो वह दूसरी बात है। शिक्षा विभाग स्कूल निर्माण के लिये समय-समय पर जो कुछ ग्रान्ट होगा देता रहेगा और वह बनता रहेगा लेकिन इसके लिये कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी-छोटी ८,९ बातों का जवाब ही दूंगा। पहाड़ों की बाबत कहा गया, हमारे गढ़वाल के माननीय सदस्य गायब हैं। श्रीमन्, गढ़वाल में ३० सितम्बर को समाप्त होने वाले हफ्ते में सन् ५४ में १.९९ इंच वर्षा हुयी और इस साल १.९८ बारिश हुई, टेहरी गढ़वाल में इस हफ्ते में १.३८ बारिश हुयी और इस साल १.२९ बारिश हुई। पहली जून से लेकर ७ अक्तूबर तक पिछले साल गढ़वाल में ५५.८२ बारिश हुयी और इस साल अब तक ५२.६३ इंच बारिश हुयी। यानी सारे साल में कम हुयी। टेहरी-गढ़वाल में ५०.१२ इंच पिछले साल बारिश हुयी और इस साल ४१.५९ इंच बारिश हुई, यानी इस साल भी कम बारिश हुयी। यह बात दूसरी है कि जिस वक्त माननीय मित्र इधर से गुजर रहे होंगे, उस दिन बारिश ज्यादा हो रही होगी और उसी को उन्होंने जेनरलाइज कर दिया।

अब रही टेस्ट वर्क्स की बात। पिछली मई में गढ़वाल में टेस्ट वर्क के लिये हमने २० हजार रुपया दिया। उस वक्त रबी की फसल अच्छी थी इसलिये उस वक्त हमने टेस्ट वर्क का काम वहां बन्द कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि जब बरसात उतरेगी और इसकी जरूरत समझी जायगी तो मैं फिर गवर्नमेंट को लिखूंगा। तब वे जितने रुपये के लिये लिखेंगे उनको उतना रुपया टेस्ट वर्क के लिये दे दिया जायगा। तो इससे जाहिर है कि किस तरह से किसी चीज को जनरलाइज करके वे पहाड़ में काम कराने के पुरजिद हैं।

श्रमदान की सड़कों के बारे में भी कहा गया है कि पी० डब्लू० डी० को चाहिये कि इन सड़कों को अच्छी तरह से बनावें और उसके ऊपर जो पुल वगैरह हैं उनको ठीक करने व चौड़ा करने आदि का प्रबन्ध करें। इस बात को मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और दोबारा फिर अर्ज करता हूं कि जहां पर पुल या नाले आदि को चौड़ा करने की जरूरत होगी उसके लिये हम कोशिश करेंगे कि वह किया जाय। इसके लिये इंजीनियर्स की तरफ से सर्वे का काम हो रहा है और उनकी रिपोर्ट आ जाने पर फौरन ही इस काम को करने की कोशिश की जायगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट से हम उसके लिये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक जितने श्रमदान के काम हुये हैं उनके ऊपर पुल आदि बनाने व उनको चौड़ा करने में किसी तरह की कोताही न की जाय। और उसको कंसोलिडेट करके टेक्निकल सर्वे करें। जहां तक श्रमदान को बिलकुल बन्द कर देने की बात है, अगर जमीन के एक्वीजिशन आदि में थोड़ी बहुत मिस्टेक रही हो तो इसका मतलब यह नहीं है

[श्री चर सिंह]

कि उस काम को बन्द कर दिया जाय। बल्कि उधर और ज्यादा ध्यान देने की बात पर विचार किया जाय ।

तीसरी बात माननीय झारखंडेराय जी ने कही कि जो कमेटियां बनी हुई हैं उन में सब की नुमाइन्दगी नहीं है। मैं सोच रहा था कि आखिर इतना प्रचार करते-करते इतने व्याख्यान देते-देते समय बीत गया, लेकिन उनको फिर भी इतनी मोटी बात का पता नहीं है ! हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कि जिलों में जिला रिलीफ कमेटियां हैं जिनमें हर लेजिस्लेटर, एम० एल० ए० और एम० पी० बिला लिहाज पार्टी के हैं और हर विभाग के लोग हैं और जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके चेयरमैन हैं। गांवों में पैंचायतें बनी हुई हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि माननीय झारखंडे राय जी की बुद्धि इतनी पैनी नहीं है कि वह न जानते हों, हो सकता है कि समझाने में हमारी हो गलती हुई हो, या सूचना विभाग के प्रचार में कोई गलती रह गई होगी। वह प्रचार न कर सका होगा कि गांवों में पंचायतें और जिलों में डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटियां हैं। हो सकता है कि माननीय झारखंडे राय को पता न हो क्योंकि वह आजकल ज्यादातर लखनऊ में रहते हैं और उनके पत्रों पर गलत पता दिया जाता हो। इधर ज्यादातर वह मेरठ में भी रहे हैं और उन पर पब्लिक वर्क ज्यादा पड़ा होगा। हमारे मित्र जो देवरिया से आए थे उन्होंने कहा कि गैर-किसानों को तकावी नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली और मिलनी भी नहीं चाहिये । तकावी के माने हैं किसानों को कर्जा, तो उसके माने भी कर्जे के हैं और वह बतौर मालगुजारी के वसूल की जाती है और नालिश नहीं करनी पड़ती। गैरकिसानों के पास जमीन नहीं है लिहाजा उनको तकावी नहीं दी जाती क्योंकि सरकार के पास पैसा गरीबों का है। और वह बिना जमानत रुपया कर्जा समझ कर दे दें तो वह वसूल न होगा। लिहाजा उन को तकावी न दे कर ग्रेचूटस रिलीफ दी जाती है। अब यह दूसरी बात है कि कम रुपया दिया गया लेकिन दिया तो जा रहा है। दस लाख ५२ हजार रुपया लोगों को ग्रेचूटस रिलीफ देने के लिये ही दिया गया है। अगर वह कहते हैं कि कम है तो मैं खुद मानता हूं कि वह रुपया बहुत कम है जैसा कि मेरे सहयोगी माननीय त्रिपाठी जी ने भी कहा।

भूसे के लिये कहा गया कि वह इकट्ठा रखा जाया करे। मैंने पिछली बार भी वादा किया था और इस बारे में माननीय गेंदासिंह ने पहले भी कहा था कि फ्लड रिलीफ पोस्ट्स पर भूसा भी इकट्ठा किया जाय और अगर बाढ़ के समय जरूरत हो तो वह बांटा जाय। मैंने उनसे कहा था कि इस पर विचार करेंगे और वह सुझाव विचाराधीन है। लेकिन यह जरा विचार करने की बात है कि भूसा इकट्ठा करने में कठिनाई कितनी होगी। वह गल्ले की तरह थोड़ी जगह में इकट्ठा नहीं होता, उसके लिये बड़े गोदाम चाहियें और उम्मीद है कि यह मुसीबत जो चार पांच साल से आ रही है वह परमात्मा की दया से अब हर साल न आवेगी। हर जिले में अगर पच्चीस-पच्चीस जगह भूसा इकट्ठा किया जायगा तो हर साल कितनी परेशानी होगी ? पहले वह इकट्ठा किया जाय और फिर जब अक्तूबर भी निकल जाय तो उसको दिसम्बर में बेचा जाय। सोचिये कि उससे कितना काम बढ़ेगा, कितनी दूकानदारी फैलेगी ? फिर भी जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस पर अभी विचार किया जायगा और अगर कठिनाई न होगी तो उस पर अमल किया जा सकता है।

पांचवी बात माननीय दीनदयालु जी ने कही, वह पहले भी मुझसे उस का जिक्र कर चुके हैं। वाकई वहां जंगलात के जो फारेस्टर हैं वह कुम्हार की तरह डंडा लेकर बैठ जाते हैं। वाकया यह है कि जिन गांवों के कुल रकबे का आधे से ज्यादा गैरमजरुआ रकबा था, जहां अधिक रकबा जंगल था वह वन विभाग को दे दिया था। और कम था तो गांव पंचायत को दे दिया था इस ख्याल से कि इस रकबे का क्या करेंगे। पूर्वी जिलों में भी और पश्चिमी जिलों में भी ऐसे रकबे ज्यादा नहीं हैं। जो रकबे दिये हैं वे या तो अवध के अन्दर लखनऊ डिवीजन में हैं। लखनऊ और रायबरेली जिलों में ५६ प्रतिशत जमीन जेरे काश्त है और

४४ फीसदी अनकल्टीवेटेड लैंड हैं। लेकिन ज्यादा तर रकबे बुंदेलखंड, मिर्जापुर और इलाहाबाद वगैरह के हैं जो फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिये हैं और हर जिले में कुछ-कुछ हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह बात जो दीनदयालु जी ने कही इस पर डेढ़ साल से विचार चल रहा है, फाइल चल रही है और करीब करीब फैसला हो चुका है। जहां फारेस्ट डिपार्टमेंट का काम पहले से नहीं चल रहा है वहां जो जमीन हमने दी है चाहे सौ दो सौ एकड़ के टुकड़े में ही फैला हुआ है तो वहां फारेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है। वहां खर्चा ज्यादा होगा और नफा कम होगा। इसलिये हमारा इरादा यह है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से ऐसी जगहों में इन जमीनों को वापस ले कर या तो गांव समाज को देंगे या कलेक्टर को देंगे और कलेक्टर को इस लिये देने का विचार है कि चारों ओर से हर आदमी जमीन चाहता है। बहुत से वैद्य लोगों की चिट्ठी आयी है कि हमें १०० एकड़ जमीन दे दो, बहुत से पढ़ने वाले लड़के कहते हैं कि हमें जमीन दे दो! ऐसी हालत में मैं तो यह समझता हूं कि जमीन नेशनल ऐसेट है। हम यह चाहते हैं कि जमीन के लिये कोई ऐसी स्कीम बने ऐसा न हो कि मुझसे माननीय शिवनारायण जी कहें या माननीय चतुर्भुज जी कहें, माननीय राजकुमार जी कह दें या माननीय नवलकिशोर जी कहें और यह सिफारिश करें कि यह बहुत अच्छा रिसर्च का काम करने वाला आदमी है इसको जमीन दे दो तो धीरे धीरे जमीन का फ्रैगमेंटेशन होता जाय। हम इस बात के हक में नहीं हैं कि इंडिविजुअल्स को मिले बल्कि हम तो इस बात के भी हक में नहीं हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर को भी हक हो, डिस्क्रीशन हो कि जमीन जिसको चाहे वह दे दें। हमने अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी से और दीगर आफिशियल्स से कहा है कि ऐसा प्रयत्न करें चाहे केबिनेट की मंजूरी ले लें, चाहे लेजिस्लेशन के जरिये से जैसे हो जमीन किसी को देने का किसी के डिस्क्रीशन पर वह इंडिविजुअल्स को न मिल जाय। क्योंकि कुदरत किसी प्रदेश या देश के लिये रोज-रोज जमीन तो बनाती नहीं है, तो ऐसा न हो कि जमीन इस तरह से फ्रिटर अवे होती रहे। बाकी जो उन्होंने कठिनाइयां बतलायीं वह मैं मानता हूं लेकिन साथ ही जैसा मैंने उनको बीच में टोका था कि उनका मसला इससे हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को बुलन्दशहर में मिली है वह खादर की जमीन है। अगर खादर की जमीन के लोगों को खादर की जमीन पर बसाओगे तो क्या फायदा होगा? खादर के गांव को बांगर पर बसाया जाय तो फायदा होता है। लिहाजा उनका प्रस्ताव समस्या को हल नहीं करता। तो मैं यह चाहता हूं जमीन गांव सभा या कलेक्टर को दे दी जाय।

हमारे भाई शिवनारायण ने कहा कि बस्ती में आफिसर तो पहुंच गये लेकिन चर्खे अभी तक नहीं पहुंचे। अगर ऐसा है तो मैं विभाग से मालूम करूंगा। अब गांव समाज की जमीन हरिजनों को नहीं मिलती है। जौनपुर के किसी दोस्त ने फरमाया कि आपने तो आर्डर दे दिया था लेकिन गांव समाज जमीन हरिजनों को देते नहीं। अध्यक्ष महोदय, गांव समाजों को जमीन देने के अख्तियार नहीं हैं। जो हमने आर्डर दिया है उसमें गांव समाज को डिस्क्रीशन नहीं छोड़ा है उनको कोई अख्तियार तमीजी नहीं है। जमींदारी अबालिशन रूल्स की दफा २६ के मातहत गवर्नमेंट डाइरेक्शंस जारी करती है जो कि ला का फोर्स करती है। अगर कहीं कोई कठिनाई है तो मैं मालूम कर लूंगा।

छठवीं बात यह है कि कहा यह गया कि बुलन्दशहर और दूसरे जिलों में मेडिकल रिलीफ नहीं पहुंचती है। उन्होंने यह तो माना कि इरादे की कमी नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में मदद नहीं पहुंच रही है। हो सकता है ऐसा ही हो एनीमल हस्बेंडरी के कमिश्नर और डाइरेक्टर मेडिकल हेल्थ को और खटखटायेंगे कि और जल्दी करो, तेजी लाओ। जहां तक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का संबंध है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैं ३० तारीख की रात को दफ्तर से मकान पहुंचा तो मैंने तो हिन्दुस्तान में यह पढ़ा कि मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद और मेरठ और गालिबन मुज्जफरनगर—शायद मुजफ्फरनगर का जिक्र नहीं था—इनमें गर्की आ गयी है, बड़ी बारिश हुई। मैंने अगले रोज पहली तारीख को रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से कहा कि कोई इत्तला कहीं से आई है? उन्होंने कहा कहीं से कोई इत्तला नहीं आई। तो सब को टेलीफोन करने के लिये कहा गया और कहा गया कि अपने-अपने यहां से सब लोग डिटेल्स भेजें। फिर मैं यहां से बाहर चला गया।

[श्री चरणसिंह]

४ तारीख को लखनऊ वापिस आने पर पता चला कि मेरठ और बुलन्दशहर या मुरादाबाद में से एक जगह से रिपोर्ट आई है, तो इतनी कोशिश हमारी तरफ से जानने के लिये हुई। अखबारों में पढ़ लेने से ही अपनी तरफ से कोशिश की जाती है। कलेक्टर ने अगर चार हजार मांगा तो हमने कहा कि पांच हजार दो, तो इस तरह की तो नीति बरती जाती है। कल शाम पढ़ा कि बुलन्दशहर जिले पर बड़ी भारी विपत्ति है। मुजफ्फरनगर और मथुरा में बारिश इस वक्त भी हो रही है। मेरठ में जो नुक्सान हुआ है वह अधिकतर वाटर लागिंग से हुआ है और मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर और मथुरा इन तीनों में जमुना की बाढ़ से ज्यादा नुक्सान हुआ है। इन तीनों जिलों की जो अब तक कि रिपोर्ट है उस से पता चलता है कि बुलन्दशहर को सब से ज्यादा नुक्सान हुआ है। जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का नोट मेरे पास आया वह यह है कि २३ गांव खुर्जे में और ८७ गांव सिकन्दराबाद में अफेक्टेड हैं और इन ८७ गांवों में से यह ६ गांव सुल्तानपुर, रायपुर, शाहपुर, अकबरपुर और दो और जिलों से बिलकुल कट-आफ है आगे चल कर उन्होंने यह इतला दी कि कलेक्टर के पास कोई नाव नहीं है। मोटर बोट का तो काम वहां है ही नहीं। उन्होंने एक रेस्कूय पार्टी भेजी। वह कहते हैं कि सुबह गई और शाम की इत्तला है कि उसका कोई पता नहीं। फिर कुछ दूसरे लोग भेजे गये। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर को कांटेक्ट किया। इन गांवों को दिल्ली से आसानी से बचाया जा सकता है। दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप यह समझिये कि मैं इन गांवों की अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। अब अखबार के खबर कहां तक ठीक हैं मालूम नहीं—लिहाजा फोन किया और मालूम हुआ कि मुजफ्फरनगर की हालत खतरनाक है। मथुरा में थोड़ी सी मिलीटरी रहती है। सोचा मुमकिन है उनके पास मोटर बोट हो। मथुरा के कलेक्टर से कहा कि अपने यहां के मिलिटरी आफिसर्स से कांटेक्ट करो। उसने कहा कि वह पहले ही कर चुके हैं और मालूम हुआ कि मोटर बोट नहीं है। दिल्ली वालों से कहा तो दिल्ली वालों ने जो कहा वह मैं आप की इजाजत से अंग्रेजी में एक पैरा पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप के भाषण का समय है आप चाहे जैसे प्रयोग करें।

श्री चरणसिंह—"Deputy Commissioner, Delhi informed me over phone that a boat has been provided for rescue work for persons of these six villages of Bulandshahr district which had been cut off from the district headquarters and some people of these villages had already met the Deputy Commissioner, Delhi."

वह बुलन्दशहर नहीं जा सकते, दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह लोग मुझसे मिल चुके हैं। एक बोट मैं दे चुका हूं जो कि डेढ़ सौ आदमियों की रक्षा की व्यवस्था कर सकी है और फिर दोबारा बोट गयी है। मोटर बोट भी देने को तैयार हैं। एक बात और है। वह कहते हैं कि ओखला ब्रीच पर हम लोग बहुत व्यस्त हैं लेकिन फिर भी आप लोगों की इमदाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी लिखते हैं—

"But he had already made provision for boats, foodgrains etc., for these marooned villages of Bulandshahr district. D. C. Delhi further stated that..."

यह विकल जी, रामहेत सिंह जी और दीनदयालु जी ध्यान से सुन लें।

"Persons of these villages who came to see him at Delhi politely turned down the offer to be given free rations and their only request was to be given one boat although D. C. Delhi had offered two boats to them."

डिप्टी कमिश्नर दिल्ली ने कहा कि आपको गल्ला दे दें तो उन्होंने कहा कि हमें गल्ला नहीं चाहिये। तो इसलिये वह मुसीबत में हैं, हर तरह की इमदाद दी जाय, भूखों मर गये, यह नहीं है। श्रीमन्, माननीय विकल जी से दीनदयालू जी से मेरी दरख्वास्त

है कि मुसीबत है। लेकिन जैसे मुसीबत सहने के हम आदी हैं वह दूसरों की मदद लेना पसन्द नहीं करते, इसलिये इस बात को यहां से जाकर ज्यादा न फैलाओ। जो थोड़ी बहुत इमदाद की जरूरत है वह की जाती है। और भी कुछ लिखा है लेकिन वक्त नहीं है। मुजफ्फरनगर को अभी एक बजे फोन किया।

"collector, ....."

**श्री अध्यक्ष**--इसका आप हिन्दी में अनुवाद करते चलिये।

**श्री चरणसिंह**--कलेक्टर ने लिखा है--६७ गांव वाटर लागिंग और बाढ़से ग्रस्त हैं जिनमें तीस की हालत खराब है और १२ बिलकुल मैरुंड हैं। दो छोटी नदियां, कांटा और कोहली हैं। हमने मिलिटरी अथारिटी, रुड़की से कहा कि मोटर बोट दे दो। लेकिन उनकी मोटर बोट वहां पहुंच नहीं सकती। डिस्ट्रिक्ट आफिसर ने फिर कहा परसों हमारे लिये पहुंचना नामुमकिन हो गया। कल बारिश कम हुई। कल सुबह सात बजे से फिर से भारी वर्षा होने लगी है और दो इंच पानी बरस चुका है।

आगे वह कहते हैं कि अम्बाला डिवीजन के कमिश्नर को उन्होंने कटैक्ट करने की कोशिश की। वह नहीं मिले। करनाल के डिप्टी कमिश्नर को कंटैक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अम्बाला के कमिश्नर से फिर कंटेक्ट करने की कोशिश की है और कोशिश इस बात की है कि एरोप्लैन के जरिये उनको सामान पहुंचाया जाय सके। जब मैं बैठा था तब यह नोट मुझे मिला। मैं यहां से जाने के बाद इस सम्बन्ध में अम्बाला से न सही दिल्ली से, दिल्ली से न सही फ्लाइंग क्लब के जरिये कोशिश करूंगा। अब तो वक्त नहीं रह गया, कल देखा जायगा कि क्या किया जा सकता है। तो यह बात नहीं है कि इधर से बेफिक्री है। अपनी तरफ से कोशिश की है। अखबारों से भी जो मालूम होता रहा है उस पर कार्यवाही की। अब तीन चार बातें और कहना चाहता हूं। रुपया बहुत कम है, इमदाद बहुत होनी चाहिये। लेकिन क्या किया जाय। इस मामले में गवर्नमेंट अपने आप को अनएनबिएबिल पोजीशन में पाती है। ऐसी स्थिति है कि किसी गवर्नमेंट को, किसी व्यक्ति को ईश्वर इस स्थिति में न डाले क्योंकि एक तरफ तो इरादा है अपने लोगों की इमदाद करने का और दूसरी तरफ वह मजबूरी है। अगर आदमी का इरादा न हो, कोई तकलीफ नहीं होती, आंख फूटी पीर गयी, तिल ओट पहाड़ ओट। लेकिन, श्रीमन्, उन्हीं लोगों में रहने वाले, उन्हीं के बीच पैदा हुए हम लोगों में कोई अन्तर नहीं है। आज गवर्नमेंट में या जनता में, शासक और जनता में कोई अन्तर है। यह शब्द जो शासक है यह बड़ा कठोर है। क्या सेवकों में और जनता में कोई अन्तर है? कोई नहीं है। इरादा सब का नेक है, यह बात दूसरी है कि पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अपने माननीय मित्रों को बताया कि रुपये की कमी है। फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं। तो जैसे गवर्नमेंट और जनता में अन्तर नहीं है तो यह गवर्नमेंट क्या चीज है। ९ आदमी बैठा दिये गये हैं, मिनिस्टर्स। एम० एल० एज० और मिनिस्टर्स में क्या अन्तर हैं? कोई बात मैं छुपा कर नहीं रखना चाहता। मैंने तो यह भी कहा था कि माननीय मित्र अगर इजाजत दें, वह अनकल्टीवेटेड लैन्ड लेना चाहते थे, तो मैं आप को फाइल दिखा सकता हूं। हर फाइल में न गरमी है, न तेजी है, प्रेम है। तो इसमें काम नहीं चलता, गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है, मजबूरी है।

एक साहब ने कहा कि बजट में रुपया रखा है। तो बजट कोई खान है? बजट किसको कहते हैं? बजट अंग्रेजी का लफ्ज है। उस से रुपया पैदा होता हो, ऐसी बात नहीं है। उसके यह मानी नहीं है, ४ करोड़ रुपया टैक्स को ८ करोड़ कर दें तो ५ के बजाय १० मिल जायंगे, २० मिल जायंगे। वह काफी होगा क्या? नहीं होगा श्रीमन्। यहां जो दलीलें, जो अल्फाज और जो तलखी एक आध भाई की तरफ से प्रकट की गयी, अगर उससे दूना भी रुपया रखा गया होता तो बिल्कुल यही अल्फाज और दलीलें रहतीं और वाकया यह है कि उतनी तकलीफ दूर नहीं होती। तो रुपया आये कहां से? ४ करोड़, १० करोड़, ११ करोड़ दे दो, इससे काम नहीं चलता।

[श्री चरणसिंह]

फिर एक सुझाव आया साहब तामीरी ("टैक्स दि रिच") जो रिच आदमी हैं उन पर टैक्स लगा दो। तो रिच आदमी की डेफिनीशन कहां से शुरू होती है? सौ रुपये से, दो सौ से, ढाई सौ से या तीन सौ से होती है? या ऐसी बात है कि बड़ों की तनख्वाह घटायी जाय और छोटों की बढ़ाई जाय?

**श्री गेंदासिंह**—इस पर भी गौर कर लेंगे।

**श्री चरणसिंह**—३०७ आदमी तीन सौ से अधिक पाने वाले और २,५९,६५० आदमी कम पाने वाले, इसी तरह से यह रेश्यु होगा गरीब और रिच का? और फिर टैक्स कहां से लगेगा? मैं दरख्वास्त करता हूं कि कोई माननीय मित्र सुझाव दें, लेकिन साथ ही कांस्टीट्यूशन को भी देख लें कि फिर न बदलना पड़ जाय। कहां से टैक्स होगा रिच का? क्या डेफिनीशन होगी? क्या हर एक के बैंक बैलेंस को देखते फिरेंगे या मकानों की तादाद गिननी होगी? शर्त यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। अब जो भी आप सुझाव दें, गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, लेकिन सुझाव दीजिये कांस्टीट्यूशन देख कर।

श्रीमन्, खैर अब तो कह दिया कि टैक्स लगा दीजिये। इस बात से क्यों लौटेंगे, लेकिन जब आबपाशी बढ़ जाती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? बिजली का टैक्स शहर में है, या गरीबों के घर में लगी हुई है, बिजली ड्यूटी पर क्यों आपत्ति होती है? तो इससे काम नहीं चलता। मैं इस सिलसिले में यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के सारे फरायज हैं, कुछ हमारे बतौर चरणसिंह, बतौर गेंदासिंह, बतौर रामकुमार शास्त्री भी फरायज हैं, या नहीं? सन् १९२९ में जो बाढ़ आयी थी तो जितने नान-आफिशियल एफर्ट्स हुये थे उस से आज चौथाई क्या बल्कि दसवां हिस्सा भी नहीं दिखलायी पड़ेगा। वजह क्या है? आज लोग परमुखापेक्षी हो गये हैं, 'सरकार-मुखापेक्षी' हो गये हैं। कैसे काम चले?

श्रीमन्, एक बात इस सिलसिले में कह दूं कि हमें बड़ी परेशानी इस बात से है कि चन्दा मांगने वाले हमारे पास बहुत आते हैं, मिनिस्टरों के पास आते रहते हैं। मिनिस्टरों को देना चाहिये, यह मैं मानता हूं। लेकिन हर चीज को गवर्नमेंट से सम्बन्धित करना कहां तक मुनासिब है? सब रुपया उन्हीं के पास है, न किसी से मांगना चाहिये, न किसी को देना चाहिये, केवल उन्हीं से जा कर ले लो। यह भावना फैली हुई है। मैं जानना चाहता हूं—गीता मन्दिर वालों ने क्या किया और लोगों ने क्या किया उनको मुबारक है—लेकिन जितनी बड़ी विपत्ति आयी है क्या कोई आन्दोलन है सूबे में? क्या कोई हवा इस तरह की फैली हुई है? क्या लोग जैसे सन् ३६ में बिहार में भूकम्प आया था तब घर-घर से, एक-एक कुटिया से पैसा इकट्ठा हुआ था उसी तरह से आज पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की गयी है? और क्या उस वक्त और कोई और लोग थे? यहीं जो मेरे भाई लोग बैठे हैं यही थे। तो इस तरह से रुपया आ सकता है, बहुत आ सकता है और बहुत नहीं तो आधा आ सकता है, चौथाई आ सकता है। अगर शायद उससे काम न चले तो एक हवा तो ऐसी फैल सकती है। श्रीमन्, मैं आप से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि माननीय मित्रों से कि जब २२ तारीख को वे जायं तो तय कर लें कि हजार, पांच सौ रुपये इकट्ठा करेंगे और उसमें डालेंगे।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—श्रीमन्, मैं दो बातें जानना चाहता हूं।

**श्री चरणसिंह**—मैं जानता हूं जो आप जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि शासन ने क्या दिया? रेवेन्यू सेक्रेटेरियट ने २०२ रुपये इसमें दिये हैं, मिनिस्टर से लगा कर क्लर्क तक।

एक बात यह कही गयी कि बस्ती की उपेक्षा की जाती है। श्रीमन्, अगर ५ मिनट मेरा समय और कर दें.....

**श्री अध्यक्ष**---उसके लिये आप को प्रस्ताव लाना पड़ेगा क्योंकि ६ बज जावेंगे।

**श्री चरणसिंह**---श्रीमन्, आप के जरिये से मैं हाउस से प्रस्ताव करता हूं कि ५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री गेंदासिंह**---मैं इस शर्त पर यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि रामसुन्दर जी की बात माननीय राजस्व मंत्री जी सुनें।

**श्री चरणसिंह**---मंजूर है।

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सदन का समय ६ बजे के बाद ५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---श्रीमन्, मैं दो बातें जानना चाहता था। एक तो सरकार ने तकावी और मालगुजारी सब को तो माफ़ कर दिया लेकिन पंचायत और डिस्ट्रिक्ट का जो टैक्स है उसकी वसूली जारी है। श्रीमन्, मैं साफ़ कहना चाहता हूं कि उसमें लोगों के बैल वग़ैरह कुर्क होते हैं। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह माफ हो जायगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात जो माननीय माल मंत्री के दस्तख़त से एक काग़ज़ यहां दिया गया है उसमें लिखा है कि ५४,०७० रुपये जिला धिकारियों को और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को दिये गये। मैं यह जानना चाहता था कि इसमें से कितना जिलाधिकारियों को दिया गया और कितना सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को दिया गया है और वे सार्वजनिक कार्यकर्ता कौन हैं।

**श्री चरणसिंह**---आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। मतलब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं? ५४ हजार रुपये कैसे तकसीम किये गये हैं यह मैं पहले बता चुका हूं। शायद श्रीमान् जी उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब रही पंचायत टैक्स की वसूली की बात। तो उसके माफ करने की बात तो थी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि उसके मुल्तवी करने पर विचार किया जायगा। तो वह किया जायगा।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स के बारे में क्या कहते हैं?

**श्री चरणसिंह**---डिस्ट्रिक्ट बोड के टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

हां, श्रीमन्, तो कहा यह गया कि बस्ती की उपेक्षा की गयी। यह ख्याल उनका गलत है। बस्ती की उपेक्षा नहीं की गयी। वह कहते हैं कि और जगह सत्तू दिया गया, यहां नहीं दिया गया। श्रीमन्, इसमें सत्तू कहीं लिखा नहीं है। बस्ती के हिस्से में जितना वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आना चाहिये हिसाब से उससे दूना वक्त और रुपया लगा। अगर १६ आने आते हैं बस्ती के हिस्से में तो १७ आने खर्च किये जाते हैं। वहीं अधिवासी की समस्या और वहीं काग़ज़ात की गलती की समस्या, वहीं और ऐसी समस्यायें हैं, तो इसमें काफी वक्त बनिस्बत और जिलों के लगता है। उनकी यह शिकायत, मैं ज्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहता, कुछ मुझे जंची नहीं, बिल्कुल नहीं जंची। बस्ती के साथ कोई सौतिया व्यवहार नहीं किया गया है। एक बात उन्होंने यह कही कि पूर्वी जिलों में मैं नहीं गया। मेरे सहयोगी ने जवाब दे दिया। लेकिन अगर इतना ही कहा जाता तो मैं कुछ नहीं कहता। पहले भी कहा गया था, मैं चुप हो गया था और जवाब भी शायद दिया था। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ऋषीकेश के लिये तो वक्त निकल गया आया। इस बात से मुझे तकलीफ हुई। श्रीमन्, मैं ऋषीकेश गया तो हरिजनों की मीटिंग थी, केवल उस मीटिंग में गया था।

**श्री अध्यक्ष**—अब मालूम होता है कि समय बढ़ाना पड़ेगा।

**श्री चरण सिंह**—नहीं, और समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। खैर मैं बतलाता हूं कि इसी के लिये मैं गया था। न वह मेरा जिला है और न मेरी कांस्टीट्युयेंसी है। मैं अपने जिले तक में नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, दो एक मित्रों ने कहा कि इसमें रेवेन्यू आफिसर्स की कोताही और ईमानदारी की कमी रही। श्री देवनन्दन शुक्ल ने तो यहां तक कहा कि सब राजकर्मचारियों का चरित्र सन्देह से ऊपर नहीं है। मैंने दुबारा कहा तब भी यही कहा। फिर कहा, तब कहा कि ज्यादातर राजकर्मचारियों का चरित्र सन्देह से ऊपर नहीं है। राजकर्मचारी यहां जवाब नहीं दे सकता है, और अगर कोई कर्मचारी ईमानदार नहीं है तो महकमा माल से किस तरह से उसके ऊपर बज्रपात होता है यह सबको मालूम है। इसके साथ ही मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि अगर किसी के लिये इस तरह से कहा जाता है तो मेरा फ़र्ज है कि मैं सदन में सही बात अर्ज करूंगा चाहे किसी भाई को कड़वा लगे। फैक्ट तो यह है कि सब का चरित्र सन्देहजनक नहीं है बल्कि वास्ट मैजारिटी ऐसे लोगों की है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है इसलिये मैं सदन में सच्ची बात कहना अपना फर्ज समझता हूं। माननीय नेता सदन, मेरे सहयोगी और प्रधान मंत्री तक गये तो मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता.....

**श्री अध्यक्ष**—समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ अक्तूबर, १९५५।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १११ एल० ए०—१९५६—७९६।